मंगलवार, २३ नवंबर १९५४

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

555 L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अक १३ –गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा

मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नहरी पानी सम्बन्धी विवाद

*२७२. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दो आदमियों के शिष्ट मण्डल ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी सम्बन्धी विवाद को सुलझाने के लिये अग्रेतर वार्ता करने को सितम्बर, १९५४ में दिल्ली और कराची आया था, विश्व बैंक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन के प्रतिवेदन का क्या स्वरूप है;

(ग) क्या इस समस्या के समाधान के लिये कोई त्रिदलीय वार्ता होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो कब, और कहां ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). भारत सरकार

को इस प्रकार के किसी प्रतिवेदन की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) और (घ). जी हां । ६ दिसम्बर, १९५४ को वाशिंगटन में वार्ता शुरू होगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सिलसिले में कोई शार्ट-टर्म अरेन्जमेन्ट हो रहा है ?

श्री हाथी : हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कब तक होने की सम्भावना है और इस पर कब तक बातचीत शुरू होगी?

श्री हाथी : ६ दिसम्बर को जब वह मिलेंगे, तब होगी ।

लोहा

*२७९. श्री गिडवानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९५४ में जुलाई, १९५४ के मुकाबले में लोहे का उत्पादन घट गया;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी के कारण दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): (क) नहीं, श्रीमान् । सब प्रकार

के लोहे के उत्पादन को देखते हुए कोई कमी नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

रुई

*२८०. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लम्बे रेशे की रुई के आयात में कुछ कमी हुई है; और

(ख) छोटे रेशे की रुई के उत्पादन के लिये क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कोई नहीं, क्योंकि हम मध्यम और लम्बे रेशे की रुई के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार कर रहे हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कितनी कमी हुई है ।

श्री कानूनगो : पहले लम्बे रेशे की रुई का उत्पादन कुल उत्पादन का १९ प्रतिशत होता था । अब १९५३-५४ में इस का उत्पादन ३५ प्रतिशत हुआ है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या लम्बे रेशे की रुई के स्थान पर छोटे रेशे की रुई को काम में लाने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री कानूनगो : यह सम्भव नहीं है छोटे रेशे की रुई के सम्बन्ध में हमारा यह विचार है कि और अच्छे नमूनों से इस की किस्म सुधारी जाये ।

पंडित डी० एन० तिवारी : माननीय उपमंत्री ने कहा कि लम्बे रेशे की रुई के स्थान पर छोटे रेशे की रुई का प्रयोग करना असम्भव है । क्या उप मंत्री जी को ज्ञात है कि १८ फरवरी १९५४ को वित्त उपमंत्री श्री ए० सी० गुहा ने सभा में कहा था कि लम्बे रेशे की रुई का आयात करना पड़ता है और सरकार यह कोशिश कर रही है कि लम्बे रेशे की रुई के स्थान पर छोटे रेशे की रूई का प्रयोग किया जाये ?

श्री कानूनगो : यह स्पष्ट ही है, क्योंकि लम्बे रेशें की रुई अधिक कीमती होती है । किन्तु आज कल छोटे रेशे की रुई के मुकाबले में लम्बे रेशे की रुई के बने हुए कपड़े की मांग अधिक है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सामुद्रिक सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम के अधीन रुई के शुल्क की वापसी के लिये कोई दावा किया गया है ?

श्री कानूनगो : जी हां, अवश्यमेव किया गया होगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : अभी तक कितना भुगतान हुआ है ?

श्री कानूनगो : यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से पूछना होगा ।

पूर्वी बंगाल के प्रव्रजक

*२८१. **श्री बी० के० दास :** क्या पुनर्वास मंत्री सभा पटल पर इस सम्बन्ध में एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से अक्तूबर, १९५४ तक प्रति मास कितने व्यक्तियों ने पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल को प्रव्रजन किया ; और

(ख) कितने प्रव्रजकों को काम के स्थानों और अन्य शिविरों में भेज दिया गया, तथा उन के लिये कोई अन्य व्यवस्था कर दी गई ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले):

(क)	जुलाई	६,२१० व्यक्ति
	अगस्त	८,१२७ "
	सितम्बर	१०,६४४ "
	अक्तूबर	१०,३५२ "
	कुल	३५,३३३ "

(ख) २१,५४४ व्यक्ति ।

श्री बी० के० दास : क्या इन में से कोई व्यक्ति अब भी सियालदह स्टेशन तथा किसी अन्य स्थान पर निराश्रित पड़े हुए हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : नहीं, श्रीमान् ।

श्री बी० के० दास : क्या यह योजना ठीक प्रकार से चल रही है कि जैसे ही व्प्रजक भारत आयें, उन को काम के स्थानों पर भेज दिया जाये ?

श्री जे० के० भोंसले : कुछ मामलों में ऐसा हो रहा है, परन्तु कुछ लोग उस के बजाय मार्गस्थ शिविरों में भेज दिये जाते हैं ।

श्री बी० के० दास : इन में से कितने व्यक्ति कृषक वर्ग के हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : यह बताना बड़ा कठिन है, किन्तु यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न की पूर्व सूचना दें तो मैं निस्सन्देह इस का उत्तर दे दूंगा ।

श्री बी० के० दास : क्या अब तक इन में से कुछ व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जा चुका है ?

श्री जे० के० भोंसले : संभवतः नहीं, श्रीमान् ।

श्री अमजद अली : क्या इन सब व्यक्तियों का विस्थापितों के रूप में पंजीयन हो गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां, जैसे ही वे आते हैं, उन का तुरन्त ही पंजीयन कर लिया जाता है ।

सूडान को टेक्निकल सहायता

*२८२. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूडान सरकार ने भवन निर्माण करने वाले इंजीनियरों तथा विशेषज्ञों के रूप में भारतीय टेक्नीकल सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) सूडान सरकार से भवन निर्माण करने वाले इंजीनियरों इत्यादि के सम्बन्ध में हमें कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है किन्तु न्यायिक पदाधिकारियों के रूप में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक प्रार्थना अवश्य प्राप्त हुई है । साथ ही भूतत्वीय परिमाप के दो पदाधिकारियों में एक शिक्षा शास्त्री तथा अध्यापकों की सेवा के लिये भी प्रार्थना प्राप्त हुई है ।

सूडान सरकार ने भूमापकों, जन गणना पदाधिकारियों और एक रेलवे इंजीनियर के पद के लिये भारत के समाचार पत्र में एक विज्ञापन देने के लिये भी कहा है ।

(ख) भारत सरकार अपनी पूरी शक्ति से सूडान सरकार की सहायता करने को तैयार है, और विशेषज्ञों के लिये उन की प्रार्थनाओं की ओर तुरन्त ध्यान दिया गया है । ये सम्बद्ध मंत्रालयों के पास भेज दी गई हैं, और न्यायिक पदाधिकारियों के लिये जो उन की प्रार्थनायें थीं वे राज्य सरकारों के पास भेज दी गई हैं । सूडान सरकार की प्रार्थना के अनुसार कुछ पदों के विज्ञापन भारत के समाचार पत्रों में दे दिये गये हैं ।

श्री जेठा लाल जोशी : यह मानी हुई बात है कि ऐसे विशेषज्ञों की बहुत कमी है और विद्वानों के उत्प्रवासन से इस कमी में और वृद्धि हो रही है । सरकार इस कमी को दूर करने के लिये क्या करने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि

इस कमी को दूर करने अथवा भारत में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये हम क्या करने वाले हैं । यह बहुत बड़ा प्रश्न है और अत्यन्त महत्वपूर्ण है और योजना आयोग इस ओर विशेष ध्यान दे रहा है । इस कमी के होते हुए भी यदि कोई पड़ोसी तथा मित्र देश सहायता चाहता है, तो हमें यह भेजनी ही चाहिये ।

श्री पी० सी० बोस : क्या यह सच नहीं है कि भारत के बड़े बड़े शहरों में अब भी बहुत से योग्य इंजीनियर बेरोजगार हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस प्रश्न का ऐसे उत्तर नहीं दे सकता । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य ऐसे योग्य इंजीनियरों के नाम मेरे पास भेज दें ।

प्रैस आयोग की सिफारिशें

*२८५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अभी तक प्रैस आयोग की कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों के विचार मांगे गये हैं;

(ग) अभी तक कितने राज्यों ने अपने विचार भेजे हैं; और

(घ) आयोग की सिफारिशों की अभिपूर्ति में कितना समय लगेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (घ). प्रैस आयोग ने ३५ बड़ी बड़ी सिफारिशें की हैं, जिन की अभिपूर्ति के लिये वैधानिक कार्यवाही, प्रशासनीय आदेशों या कार्यपालिका के अनुदेशों के दृष्टिकोण से सरकार की स्वीकृति अपेक्षित होगी । इस के अतिरिक्त उन्हों ने और भी बहुत सी सिफारिशें की हैं जिन की अभिपूर्ति प्रधान रूप से समाचारपत्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा की जानी है । यद्यपि पहले से यह कहना कठिन है कि सरकार कितनी सिफारिशों को तुरन्त ही कार्यरूप में परिणत करेगी, किन्तु इस सम्बन्ध में प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है कि अधिकांश सिफारिशों के बारे में, विशेषत: उन के बारे में जिन की अभिपूर्ति सरकार की स्वीकृति पर ही निर्भर है, जल्दी ही सरकार का निर्णय हो जाये । श्रमजीवी पत्रकारों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू करने वाली सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और उस को कार्यरूप में परिणत किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) नौ ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कार्मिक संघ की प्रणाली पर पत्रकारों की कार्य सम्बन्धी स्थिति का विनियमन करने के लिये सरकार का कब तक विधेयक लाने का विचार है ?

डा० केसकर : जहां तक पत्रकारों द्वारा कार्मिक संघ के रूप में काम करने का सम्बन्ध है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के संशोधन से वे ऐसा कर सकेंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार का प्रैस आयोग की सिफारिश के अनुसार एक प्रैस पंजीयक नियुक्त करने का विचार है ?

डा० केसकर : मेरे लिये एक एक सिफारिश के सम्बन्ध में बताना संभव नहीं होगा । जैसा मैं ने बताया है सब सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है : वस्तुत: मुझे आशा है कि पन्द्रह दिन के अन्दर प्रैस आयोग की बहुत सी सिफारिशों के सम्बन्ध में स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जा सकेगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार का उन साक्षों को प्रकाशित करने का विचार है जो प्रैस आयोग के समक्ष दिये गये थे और यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० केसकर : सर्वप्रथम तो प्रैस आयोग के समक्ष दिया गया साक्ष्य अत्यधिक है और इस की बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें होंगी । मैं नहीं जानता कि इस पर व्यय का कुछ लाभ भी होगा अथवा नहीं । दूसरे साक्ष्य का बड़ा अंश गुप्त रूप से दिया गया था । सरकार समझती है कि उस साक्ष्य को तब तक प्रकाशित करना संभव नहीं होगा जब तक उन लोगों की अनुमिति न ली जाये जिन्हों ने इस आश्वासन पर साक्ष्य दिया था कि यह गुप्त रखा जायेगा ।

श्री कृत दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस रिपोर्ट का हिन्दी में भी अनुवाद किया गया है या ऐसा करने का विचार किया जा रहा है, ताकि हिन्दी पत्रकार भी इस पर अपनी सम्मति दे सकें ?

डा० केसकर : अभी तक इस पर कोई विचार नहीं हुआ है । यह जरूर है कि एक हिन्दी संस्था ने सरकार से कहा था कि वह इस का अनुवाद करना चाहती है ।

तुंगभद्रा बोर्ड

*२८६. **श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री १३ सितम्बर १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न सं० ८३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के बाद से तुंगभद्रा बोर्ड का पुनर्गठन किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : क्या राज्यों ने बोर्ड के लिये प्रतिनिधियों के नाम भेज दिये हैं ?

श्री हाथी : जी हां । राज्यों ने अपने प्रतिनिधियों के नामों की सिफारिश कर दी है ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : बोर्ड के पुनर्गठन पर सरकार कब से विचार कर रही है ?

श्री हाथी : सितम्बर १९५४ से ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : देरी का क्या कारण है ?

श्री हाथी : कोई देरी नहीं है । जुलाई में ही इस पर विचार किया गया था । सरकार ने सितम्बर में यह निश्चय किया था कि बोर्ड का पुनर्गठन किया जाये । तब हमने राज्यों को सूचना भेजी थी । नाम अभी ही मिले हैं । इस का पुनर्गठन हो जायेगा ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : नाम कब प्राप्त हुए थे ?

श्री हाथी : लगभग अक्तूबर के अन्त में ।

पटाखे

*२९०. **श्री केशवैयंगार** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभी भी पटाखों के आयात के लिये अनुज्ञप्तियां देती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५४-५५ में कुल कितने पटाखे आयात किये जाने हैं और इसी कालावधि में देश में कितने उत्पादन का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् । यह "अन्यथा न विहित आतिशबाजी" के सामान्य शीर्षक में रखी

गई मदों में से एक है और इस का अभ्यंश सब से अधिक आयात वाले वर्ष के आधे आयात का १ १/२ प्रतिशत निश्चित है ।

(ख) वर्ष १९५४–५५ में सब प्रकार की आतिशबाजियों के कुल आयात की मात्रा लगभग एक लाख पाऊंड होने की आशा है, जिन का मूल्य लगभग २·२५ लाख रुपये होगा । आतिशबाजियों का देशी उत्पादन अनुमानतः दस लाख पाउंड वार्षिक है । पटाखों के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री केशवैयंगार : किन किन राज्यों में स्थानीय कारखाने हैं ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि अधिकतर मद्रास, शिवकाशी और उस के आस पास अन्य कुछ स्थानों में हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को यह पता है कि पटाखों के प्रयोग के कारण दिवाली के उत्सव पर विशेषतः बच्चों में बहुत सी दुर्घटनायें होती हैं ? और क्या सरकार इन आतिशबाजियों की बिक्री और प्रयोग पर अधिक कड़ी रोक लगाने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

श्री करमरकर : मैं ने समाचारपत्रों में इस प्रकार के कुछ समाचार पढ़े थे। संरक्षकों को अपने बच्चों का अधिक ध्यान रखना चाहिये ।

पटसन का श्रेणीकरण

*२९१. श्री तुषार चटर्जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ३ सितम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ४४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था द्वारा किये गये पटसन के श्रेणीकरण को स्वीकार करने में भारतीय पटसन मिल संस्था की कठिनाइयां अब दूर कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय क्या स्थिति है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख): जी हां, भारतीय पटसन मिल संस्था ने भारतीय मानक संस्था द्वारा नियत नमूनों में पटसन के सम्बन्ध में थोड़ा सा परिवर्तन कर के उसे स्वीकार कर लिया है और भारतीय कच्चे पटसन की खरीद के अपने संविदा प्रपत्रों में उन्हें निविष्ट कर लिया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या कृषकों को पटसन के व्यापार के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये कोई व्यवस्था है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । परन्तु हम साधारणतः आशा करते हैं कि राज्य सरकारें यह काम कर लेंगी ।

मैक्सिको में राजदूत का कार्यालय

*२९२. श्री राधा रमण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैक्सिको में शीघ्र ही नया राजदूत का कार्यालय खोलने की आशा है;

(ख) इस नये कार्यालय को खोलने आवश्यकता क्या है ;

(ग) इस राजदूतावास में कुल कितने कर्मचारी होने की आशा है; और

(घ) इस कार्यालय पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). जब १९५१ में भारत और मैक्सिको के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुए थे तो वाशिंगटन के हमारे राजदूत को मैक्सिको का भी राजदूत बना दिया गया था तब से यह अधिकाधिक अनुभव

किया जा रहा है कि अपने राजदूत के कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये और इस महत्वपूर्ण मध्य अमरीकन गणराज्य के साथ घनिष्ट सम्बन्ध बढ़ाने के लिये मैक्सिकों में अलग कार्यालय खोला जाये । भरतीय राजदूत का कार्यालय अक्तूबर १९५४ में मैक्सिको में खोला गया था ।

(ग) लगभग सात व्यक्ति ।

(घ) लगभग २,००,५०० रूपये वार्षिक ।

श्री राधा रमण : क्या मैक्सिको सरकार भी दिल्ली में नया कार्यालय खोल रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : उन्होंने १९५१ से यहां दूतावास खोला हुआ है ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार का अमरीका में कोई और नया दूतावास खोलने का विचार है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कहां ?

श्री राधा रमण : अमरीका में ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: किसी भी स्थान पर ? अमरीका में तो हमारा दूतावास है ।

सरदार ए० एस० सहगल : संभवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय दक्षिणी अमरीका से है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : प्रश्न यह है कि क्या सरकार का मैक्सिको के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नये दूतावास खोलने का विचार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : विश्व में कहीं भी ? जी हां, अवश्य । विश्व में कई स्थानों पर ।

विदेशियों के सार्थ

*३००. **श्री गिडवानी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशियों के कितने सार्थ हैं;

(ख) १ अप्रैल, १९५४ को इन सार्थों में ५०० रुपये तथा इस से अधिक वेतन के कितने पद थे; और

(ग) इस वेतन वाले पदों पर कितने भारतीय लगे हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) रक्षित बैंक के भारत की विदेशी आस्तियों और दायित्वों की गणना सम्बन्धी प्रकाशन के पृष्ठ ७०-७३ में यह पूछी गई जानकारी दी हुई है । इस प्रकाशन की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) और (ग). १ जनवरी, १९५४ तक की जानकारी सरकार द्वारा १३ अक्तूबर १९५४ को जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति में दी हुई है, जिस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]

श्री गिडवानी : क्या सरकार ने सभी भारतीय तथा विदेशी सार्थों को कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय नौकरी दफ्तरों से परामर्श करने के लिये कोई निदेश जारी किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सामान्यत:, मैं समझता हूं कि वे नौकरी दफ्तर से परामर्श लेते हैं । मुझे पता नहीं कि क्या ऐसा करना उन के लिये आवश्यक है ।

श्री गिडवानी : क्या भारतीय कर्मचारियों तथा विदेशी कर्मचारियों के वेतन क्रमों में कोई भेद होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सूचना मांगने का कारण असन्तोष है । भारतीय तथा विदेशी कर्मचारियों के वेतन में कुछ भेद अवश्य है । इस सूचना को प्राप्त करने तथा इन साथों को अपना दृष्टिकोण बताने में सरकार का प्रयोजन इस विद्यमान भेद को दूर करना है ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार १,००० रु० से अधिक वेतन पाने वाले भारतीयों तथा विदेशियों के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े बता सकती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार के पास जो भी सूचना है वह उस विवरण में दे दी गई है जो सभा पटल पर रखा गया है ।

श्री टी० एन० सिंह : इन विदेशी साथों द्वारा इस विषय पर सूचना समय समय पर दी जाती है अथवा दो तीन वर्षों बाद जब कभी सरकार मांगती है तभी दी जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस मामले में कार्यवाही करने के लिये सरकार को पहल करनी होगी । सरकार का विचार अब प्रति वर्ष सूचना मांगने का है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार इन में होने वाले भारतीयकरण की गति से सन्तुष्ट है ?

श्री करमरकर : सन्तुष्ट है और नहीं भी ।

श्री गिडवानी : इस से यह पता नहीं लगता कि इस में कुछ प्रगति हुई है अथवा नहीं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं अब अगला प्रश्न लेता हूं ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

*३०१. **श्री झूलन सिंह :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री २९ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना रिपोर्ट की प्रविधिक जांच तथा गंडक सिंचाई तथा विद्युत् परियोजना का प्राक्कलन तैयार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना कब से प्रारम्भ की जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री झूलन सिंह : क्या गंडक योजना की असाधारण अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए, जो सभा तथा योजना आयोग के सम्मुख रखी गई है, सरकार इस योजना की जांच में शीघ्रता कराने तथा उसी के अनुसार शीघ्र ही निर्णय करना वांछित समझती है ?

श्री हाथी : जांच तो समाप्ति पर है, किन्तु पूर्वता के लिये सम्मति देना योजना आयोग की प्रविधिक मंत्रणा समिति पर निर्भर करेगा ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या परियोजना को केवल विद्युत् उत्पन्न करने तथा सिंचाई करने के लिये ही आरम्भ किया जा रहा है अथवा बाढ़ों को रोकने के लिये नदी के बहाव पर नियंत्रण करने का विचार है ?

श्री हाथी : यह सिंचाई तथा विद्युत् दोनों के लिये है । ये योजनायें प्रस्तुत कर दी गई हैं । इस से बाढ़ का नियंत्रण भी हो जायगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार ने मुजफ्फरपुर ज़िले में बूढ़ी गंडक पर सिंचाई

बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई योजना स्वीकृत की है और क्या इस योजना का मंडक से कोई सम्बन्ध है ?

श्री हाथी : उस योजना का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : प्रथम प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने बूढ़ी गंडक के लिये कोई योजना स्वीकृत की है ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि अभी तक इसके लिये स्वीकृति दी गई है ।

सीमा दुर्घटना

*३०४. श्री गिडवानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर के उपायुक्त तथा उनके निजी सहायक को पाकिस्तान की पुलिस ने पाकिस्तान-भारत की सीमा पर १७ अक्तूबर, १९५४ को बन्दी बना लिया था और बाद में छोड़ दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या थे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). अमृतसर के उपायुक्त तथा उनके साथ जाने वाले दल ने सीमा क्षेत्र के दौरे पर १७ अक्तूबर, १९५४ को पाकिस्तानी सीमा पुलिस के दो सिपाहियों को सीमा रेखा के पास खड़े देखा था । सद्भावना प्रकट करने के लिये वे उनके पास गये । जब वे वापस लौटने लगे तो पाकिस्तानी सिपाहियों ने उन्हें बताया कि उन्हें उनके दल के अन्य लोगों सहित निरुद्ध कर लिया गया है, क्योंकि उनको यह आदेश दिया गया है कि पाकिस्तान की सीमा के अन्दर जो भी घुसे उसे गिरफ्तार कर लिया जाय । उपायुक्त ने उन सिपाहियों को अपना पद तथा दौरे का प्रयोजन बताया । उन्होंने समाचार भी भिजवाये जिन में पाकिस्तान के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, पुलिस को एक लिखित टिप्पणी भी सम्मिलित थी, जो उस स्थान से २०० गज़ की दूरी पर उपस्थित था । पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी ने भारतीय उपायुक्त से मिलने से इन्कार कर दिया तथा पाकिस्तानी सिपाहियों को उन्हें तथा अन्य लोगों को, जो उनके साथ थे, निरोध में रखने का आदेश दिया ।

उपायुक्त तथा उनके साथ के अन्य लोगों को पाकिस्तान की सीमा में ११-३५ म० पू० से १-१५ म० प० तक निरोध में रखा गया तथा उनको वापस आने की तभी अनुमति मिली जबकि अमृतसर के सीनियर सुपरिंटेंडेण्ट पुलिस ने लाहौर के सीनियर सुपरिंटेंडेण्ट पुलिस से बात की ।

पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित किया जा रहा है । ऐसे बुरे व्यवहार के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिये वहां की सरकार से निवेदन किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से उस करार विशेष का उल्लंघन भी होता है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति ने असावधानी से सीमा पार कर ली है तो उसे निरुद्ध न कर के उसे उसके देश की सीमा में वापस चले जाने के लिये कह दिया जाय ।

श्री गिडवानी : क्या पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : अभी हमें कोई सूचना नहीं मिली है ।

अध्यक्ष महोदय : अभी उन्होंने उत्तर नहीं दिया है ।

हाथ करघे की बनी हुई वस्तुएं

*३०५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हाथकरघे की बनी हुई चीजों के वर्तमान विक्रय केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) ३० सितम्बर, १९५४ तक इन विक्रय केन्द्रों के द्वारा कुल कितनी बिक्री हुई;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कुछ और विक्रय केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कहां; और

(ङ) ये केन्द्र कब तक खोले जायेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तीन । कोलम्बो, अदन तथा सिंगापुर में ।

(ख) २,२१,५३६ रुपये (मूल्य) ।

(ग) जी हां ।

(घ) बैंकाक, रंगून तथा कौलालम्पुर ।

(ङ) शीघ्र ही ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या पश्चिमी देशों में भी विक्रय केन्द्रों के खोले जाने का विचार है ?

श्री कानूनगो : अभी नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इन विक्रय केन्द्रों में केवल हाथकरघे की बनी हुई वस्तुएं ही रहती हैं अथवा अन्य वस्तुएं भी बेची जाती हैं ?

श्री कानूनगो : केवल हाथकरघे की बनी हुई वस्तुएं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इन विक्रय केन्द्रों को चलाने में कितना धन व्यय होता है ?

श्री कानूनगो : पूर्व सूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्नों को लेंगे ।

श्री झूलन सिंह : २८३, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : उस से पूर्व मैं अन्य प्रश्नों को लेता हूं । २७४, श्री गुरुपादस्वामी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री कानूनगो : मैं ने पूर्व सूचना के लिये कहा है, क्योंकि व्यय के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

अफ्रीका से भारतीयों का प्रत्यावर्तन

*२७४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों को संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शीघ्र ही एक योजना दक्षिणी तथा मध्य अफ्रीका से भारतीयों के प्रत्यावर्तन के लिये बनानी चाहिये;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में दक्षिणी अफ्रीका की सरकार से सरकारी तौर पर कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या उत्तर दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सीमान्त पुलिस

*२७७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५४ से पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान की सीमान्त पुलिस द्वारा सीमान्त पर गश्त लगाने वाले (पुलिस

अथवा सेना के) कितने कर्मचारियों का अपहरण किया गया अथवा उन्हें जबर्दस्ती ले आया गया;

(ख) क्या उन सभी को सुरक्षित वापस लौटा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन में से कितने अभी पाकिस्तान की हिरासत में हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). १ जनवरी, १९५४ से पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा दो पुलिस के हेड कान्सटेबिलों को हिरासत में लिया गया था जिन में से एक पंजाब (भारत) सशस्त्र पुलिस का तथा दूसरा त्रिपुरा सीमान्त चौकी का था । बाद में दोनों को छोड़ दिया गया था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को यह विदित है कि हिरासत में या जेल में उन के साथ दुर्व्यवहार किया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं सुन नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन के साथ अच्छा व्यवहार किया गया था या बुरा व्यवहार किया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं, श्रीमान् । हमें बुरे व्यवहार के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इन में से कोई अपहरण सद्भावना के परिणामस्वरूप हुआ था ?

श्री अनिल के० चन्दा : वास्तव में, एक हुआ था ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*२८३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे स्थानों में जहां बिजली मिल सकती है छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना और विकास की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । बिजली से छोटे छोटे उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार दोनों के द्वारा छोटे उद्योगों के लिये टैक्नोलोजी की चार संस्थाओं द्वारा जो कि स्थापित की जानी हैं और अन्य केन्द्रीय सरकार के संगठनों द्वारा सहायता दी जायेगी । छोटे छोटे उद्योगों को कम लागत पर इस प्रकार की बिजली उपलब्ध कराने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री झूलन सिंह : क्या इस काम के लिये कोई विशेष धन राशि देने का निश्चय किया गया है ?

श्री कानूनगो : जी हां ।

श्री झूलन सिंह : वह राशि क्या है ?

श्री कानूनगो : मेरे पास ठीक ठीक संख्या नहीं है, क्योंकि अभी ये संस्थायें नहीं बनाई गई हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है जहां बिजली नहीं है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री कानूनगो : जब चारों प्रादेशिक संस्थायें खुल जायेंगी, तो वे योजनायें तैयार करेंगी और राज्य सरकारें भी अपनी अपनी योजनायें तैयार करेंगी और भारत सरकार के पास भेज देंगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इस काम के लिये कोई राशि अलग रखी गई है ?

श्री कानूनगो : ज्यों ही योजनायें आयेंगी उन के लिये धन की व्यवस्था की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : और कोई प्रश्न ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जी हां । २९७ ।

साबुन के कारखाने

*२९७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : **क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हाल ही में कुछ साबुन के कारखाने बन्द कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने कौन कौन से हैं ; और

(ग) इन कारखानों के बन्द होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार यह जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न करेगी, क्योंकि हमारी सूचना के अनुसार कुछ कारखाने बन्द हो गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सरकारी अभिलेखों के अनुसार स्थिति यह है कि केवल वही कारखाने हमारे पास जानकारी भेजते हैं जो उद्योग (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध हैं, ऐसे लगभग ५५ कारखाने हैं । वास्तव में एक कारखाना बन्द हुआ था, परन्तु वह फिर खुल गया है । मैं ने यह भी सुना है कि कुछ कारखाने बन्द हो रहे हैं और कारखाने के स्वामियों ने मुझे यह बताया है कि कई कारणों से उन्हें धन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, परन्तु ये कारखाने अनुसूची में नहीं आते ।

श्री के० के० बसु : क्या ये कारखाने लीवर ब्रादर्स तथा इसी प्रकार के अन्य समवायों के उत्पादन बढ़ाने के परिणामस्वरूप बन्द हो रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे जहां तक ज्ञात है स्थिति यह है । मैं ने इन में से एक कारखाने के स्वामी से बात की थी । उस का कहना था कि उत्पादन शुल्क की भिन्न दर के द्वारा उन्हें जो संरक्षण दिया गया है वह उन्हें किसी भी प्रतियोगिता से बचाने के लिये पर्याप्त है, क्योंकि कुछ निश्चित मात्रा में साबुन बनाने वाले संगठित कारखानों को उत्पादन शुल्क देना पड़ता है, परन्तु इस कारखाने तथा इसी प्रकार के अन्य कारखानों की अधिकतर कठिनाई धन प्राप्त करने के सम्बन्ध में है, क्योंकि बैंक इन्हें ऋण नहीं देते । और उस का यह भी कहना था कि इस कठिनाई के उत्पन्न होने का अधिकांशतया यह कारण है कि ऐसा आन्दोलन खड़ा किया गया है कि साबुन उद्योग की अवस्था अच्छी नहीं है और इसलिये बैंक उन्हें ऋण देने में हिचकिचाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस के साथ प्रश्न सूची समाप्त होती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

साबुन

*२७३. **श्री वी० पी० नायर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पंचवर्षीय योजना के १९५३–५४ के प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ १९८ पर कंडिका २५ 'साबुन' के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वश्री लीवर ब्रादर्स (भारत), लिमिटेड और उन के सहायक तथा सम्बन्धी व्यावसायिक संस्थाओं को योजना अवधि में साबुन बनाने का कितना अतिरिक्त सामर्थ्य सरकार ने स्वीकार किया है;

(ख) जिस समय उक्त अतिरिक्त सामर्थ्य की स्वीकृति दी गई, उस समय भारतीय कारखानों के स्थापित सामर्थ्य का कितना प्रतिशत निष्क्रिय पड़ा था ; और

(ग) १९५३–५४ में भारत में बनाये गये साबुन का मूल्य क्या है और उस में से कितना सर्वश्री लीवर ब्रादर्स (भारत), लिमिटेड के हिस्से का है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) १९५३–५४ में संगठित कारखानों द्वारा लगभग १५४५ लाख रुपये की लागत का साबुन तैयार किया गया । इस में से १,००३ लाख रुपये की लागत का साबुन सर्वश्री लीवर ब्रादर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था ।

पी० टी० आई० की प्रबन्ध-व्यवस्था

*२७५. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० टी० आई० कर्मचारियों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि प्रैस आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी० टी० आई० की प्रबन्ध-व्यवस्था संभालने के लिये तुरन्त एक लोक निगम बनाया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करना चाहती है; और

(ग) ऐसे एक निगम के बनाने से कर्मचारियों की कार्यदशा में किस सीमा तक सुधार होगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) सरकार ने इस विषय से सम्बन्धित संगठनों से सुझाव मांगे हैं और प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया कर्मचारी यूनियनों की फेडरेशन उन संगठनों में से एक है जिन्होंने उस पत्र के उत्तर में एक चिट्ठी भेजी है ।

(ख) इस विषय पर जो विचार सरकार के सामने रखे गये हैं, उन्हीं के साथ प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया कर्मचारी यूनियनों की फैडरेशन के सुझावों पर भी विचार किया जायेगा ।

(ग) यह बतलाना कठिन है कि कर्मचारियों की कार्यदशा में किस सीमा तक सुधार होगा, पर इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि प्रैस आयोग ने सिफारिश की है कि प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया का कम-से-कम एक कर्मचारी न्यास का एक सदस्य हो । इस से संगठन स्वभावतः कर्मचारियों के विचारों से अवगत होता रहेगा ।

ग्रामीण आवास तथा कृषि सम्बन्धी योजना

*२७६. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों के लिये

ग्रामीण आवास तथा कृषि सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) उक्त क्षेत्रों में अब तक बनाये गये मकानों की संख्या क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) जून १९५४ तक १४८६ मकान बनाये गये थे ।

दूधिया पत्थर

*२७८. **श्री नानादास** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश के भीतर दूधिया पत्थर की खपत बढ़ाने के लिये कोई योजनायें हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : भारतीय किस्मों के दूधिया पत्थर को शीशा बनाने और कुम्भकारी के उपयोग में लाने की संभावना पर केन्द्रीय शीशा और कुम्भकारी संस्था, जादवपुर में गवेषणा की जा रही है । यदि गवेषणा के परिणाम अनुकूल रहे, तो आशा की जाती है कि शीशा और कुम्भकारी उद्योग में इस दूधिया पत्थर की मांग बढ़ जायेगी ।

अन्तर्राज्यीय विवाद

*२८७. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन राज्यों के बीच के मतभेदों को तय करने का कोई प्रयत्न किया गया है :

(१) पेरियार विद्युत् परियोजना के सम्बन्ध में मद्रास और त्रावनकोर कोचीन राज्यों के बीच;

(२) मेकदाता जलविद्युत् परियोजना के सम्बन्ध में मद्रास और मैसूर राज्यों के बीच; और

(ख) संघ को ऐसे विवादों की मध्यस्थता करने का अधिकार देने का प्रस्तावित विधान कब पेश किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) (१) मद्रास सरकार ने यह संवाद दिया है कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार के साथ पेरियार जल विद्युत योजना सम्बन्धी उस का मतभेद तय हो गया है और उस (मद्रास सरकार) ने योजना को तुरन्त पूरा करने की स्वीकृति दी है ।

(२) अब तक भारत सरकार से इस मामले में दखल देने के लिये कोई प्रार्थना नहीं की गई है ।

(ख) यह आशा की जाती है कि संसद् के आगामी आयव्ययक सत्र में अन्तर्राज्य नदी तथा नदी घाटी (विनियमन एवं विकास) विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा ।

दिल्ली में भारतीय उद्योग मेला

*२८८. **श्री बहादुर सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल की फेडरेशन ने अगले वर्ष दिल्ली में भारतीय उद्योग मेला लगाने के लिये सरकार से किसी विशेष सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मेले के लिये कोई सुविधायें देने को राजी हो गई है; और

(ग) क्या मेले के लिये स्थान चुन लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) . हां, श्रीमान् ।

चम्बल परियोजना

*२८९. श्री आर० एन० सिंह :
श्री महोदय :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री पंचवर्षीय योनायों के प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ १३७ की कंडिका ५४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चम्बल परियोजना के सम्बन्ध में मध्य भारत और राजस्थान सरकारों की टिप्पणियां अब तक प्राप्त हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना पर काम चालू करने का कोई निश्चय किया गया है;

(ग) उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक प्राक्कलित धनराशि क्या है; और

(घ) प्रत्येक सरकार का अंश कितना है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) संयुक्त परियोजना प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मध्य भारत सरकार की टिप्पणियां प्राप्त हो गयी हैं और उन से कुछ अग्रेतर सूचना की प्रतिक्षा की जा रही है । राजस्थान सरकार के पास कोई टिप्पणी भेजने को नहीं है ।

(ख) प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ १३७ की कंडिका ५४ में कहा गया है कि मध्य भारत में गांधी सागर बांध और राजस्थान में कोटा बांध पर काम शुरू कर दिया गया है ।

(ग) प्रथम स्थिति के लिये ५१·६९ करोड़ रुपये की आवश्यकता है ।

(घ) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

*२९३. श्री भागवत झा आज़ाद:
श्री डाभी :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५० के भारत-पाकिस्तान समझौता की व्यवस्था के अनुसार अभी हाल में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी दस्तावेजों की सूचियों का कोई विनिमय हुआ है; और

(ख) जुलाई १९५४ में आपस में बदली गई सूचियों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) २१ अगस्त, ७ सितम्बर और ३१ अक्तूबर, १९५४ को निकाले गये तीन प्रैस नोटों के द्वारा उन जिलों के नामों जिन में सामान उपलब्ध हैं, और उन सामानों के स्वामियों के नामों का ज्ञापन किया गया था और सुझाव दिया गया था कि दावेदारों को चाहिये कि वे कराची या लाहौर स्थित भारतीय सम्पत्ति क्षेत्र प्राधिकारियों से, अपने मामले के अनुसार, या तो सम्पर्क स्थापित करें या माल के निबटारे के लिये उन के पास अनुदेश भेजें । ये विवरण राज्य सरकारों, निष्क्रान्त सम्पत्ति के अभिरक्षकों और कतिपय शरणार्थी सन्थाओं के पास भी समुचित प्रचार के लिये भेजे गये थे ।

कैलशियम कारबाइड

*२९४. श्री माधव रेड्डी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलशियम कारबाइड तैयार करने के लिये प्रयोगात्मक आधार पर कोई संयंत्र लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कहां; और

(ग) इस प्रयोग से क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तिरुनेलवेली (मद्रास) और कोट्टयम् (त्रावनकोर-कोचीन राज्य) में लगाये गये हैं ।

(ग) आशा है कि शीघ्र ही संयंत्र नियमित उत्पादन करने लग जायेंगे ।

ट्रांसमीटर की स्थापना

*२९५. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय रेडियो विकास योजना के अन्तर्गत ग्वालियर में एक किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था की गई है;

(ख) इस योजना के लिये कितना धन रखा गया है;

(ग) इस सिलसिले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) स्थापना का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (घ). मूलतः ग्वालियर में एक किलोवाट का तथा इन्दौर में २० किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था की गई थी । धन की उपलब्धि को ध्यान में रख कर देश में लगाये जाने वाले ट्रांसमीटरों की प्राथमिकता की दृष्टि से इस योजना का पुनरीक्षण किया गया था । इस पुनरीक्षण के उपरान्त, यह आवश्यक हो गया कि ग्वालियर में ट्रांसमीटर की स्थापना स्थगित कर दी जाय ।

बिजली का भारी सामान बनाने का उद्योग

*२९६. **श्री वं० पी० नायर** : क्या उत्पादन मंत्री प्रथम पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति प्रतिवेदन के पैरा २३ (पृष्ठ १५६) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली का भारी सामान बनाने के उद्योग के लिये योजना में जो ७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी उसे घटा कर अब २ करोड़ क्यों कर दिया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : बिजली का सामान बनाने के वर्तमान उद्योग की वर्तमान और सम्भाव्य क्षमता, बिजली के सामान की वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान उत्पादन तथा उद्योगों के विकास करने के बाद उन आवश्यकताओं की सम्भाव्य पूर्ति, सरकारी संस्थापन कारखानों, जिन में राज्यों के कारखाने आदि भी सम्मिलित हैं, की कितनी क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है, आदि, इन सभी बातों के सम्बन्ध में सरकार विस्तृत रूप से जांच कर रही है । यह जांच कार्य, विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा, जो इसी प्रयोजन के लिये बनाई गई है, इस वर्ष के अन्त तक पूरा होगा । समिति का प्रतिवेदन मिल जाने के बाद समिति की सिफारिशों के आधार पर परियोजना के बहुत से पहलुओं के बारे में सरकार द्वारा निर्णय किया जायगा । इसलिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में दो करोड़ रुपये से अधिक व्यय होने की संभावना नहीं है ।

फाउन्टेन पैन

*२९८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में फाउन्टेनपैनों की वार्षिक मांग कुल कितनी है; और

(ख) देश की कुल आवश्यकता के लिये देश में ही फाउन्टेनपैन बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) लगभग ५० लाख फाउन्टेनपैन प्रति वर्ष ।

(ख) सस्ते तथा बीच के दामों के फाउन्टेनपैन हम अपने देश में पर्याप्त मात्रा में बना रहे हैं। बढ़िया किस्म के फाउन्टेनपैन बनाने के लिये सरकार से दो योजनायें मंजूर हो चुकी हैं जो आजकल क्रियान्वित की जा रही हैं। अपने यहां बहुत बढ़िया किस्म के फाउन्टेनपैन बनाने का एक प्रस्ताव मिला है जिस पर विचार हो रहा है।

जापानी युद्ध-अपराधी

*२९९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी युद्ध-अपराधियों सम्बन्धी क्षमा-कार्यवाही से भारत को निकाले जाने तथा पाकिस्तान को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, जिस के बारे में भारत सरकार ने मई १९५४ में बहुत आपत्ति प्रकट की थी, और कोई विकास हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में कोई और विकास नहीं हुए हैं।

हाथ से छापे हुए कपड़े

*३०२. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्त-शिल्प बोर्ड ने हाथ के छपे कपड़ों की किसी चलती फिरती प्रदर्शनी का संयोजन किया है;

(ख) कितने राज्यों में यह प्रदर्शनी हुई है; और

(ग) राज्यों में हस्तशिल्प के विकास में इस ने कितनी सहायता की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई, अहमदाबाद तथा हैदराबाद।

(ग) हस्तशिल्प-कला के विकास में इस प्रदर्शनी ने कितनी सहायता की है, इस के बारे में अभी कुछ बताना समय से पहले की बात है।

अणु-शक्ति

*३०३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत वर्ष के कितने विश्व-विद्यालयों ने अणु-शक्ति के अध्ययन के लिये विशेष पाठ्यक्रम जारी किये हैं; और

(ख) उन को क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). जहां तक ज्ञात हुआ है भारतवर्ष के किसी भी विश्वविद्यालय ने अणु-शक्ति के अध्ययन के लिये विशेष पाठ्य-क्रम जारी नहीं किये हैं ; हो सकता है कि परमाणु सम्बन्धी भौतिक शास्त्र का, भौतिक शास्त्र के एक अंग के रूप में कुछ अध्ययन कराया जाय। सामान्यतः इस प्रकार के पाठ्य-क्रम की व्यवस्था अपने यहां करना विश्व-विद्यालयों का कर्त्तव्य नहीं है। विश्व-विद्यालयों का मुख्य कर्त्तव्य भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित तथा अन्य विषयों के मूल सिद्धान्तों के बारे में ठोस ज्ञान प्राप्त कराना है।

अणु-शक्ति आयोग ने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित के पाठ्य-क्रमों को नवीनतम बनान में सहायता कराने के लिये भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित के अध्यापकों का एक सम्मेलन बुलाने में

अगुआई की थी । इस का उत्तरदायित्व तो विश्वविद्यालयों पर है, और अणु-शक्ति विभाग तो इस सम्बन्ध में केवल परामर्श एवं सहायता दे सकता है ।

सिंदरी उर्वरक

२५२. **श्री वी० पी० नायर : क्या उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सिंदरी उर्वरक ने १ जुलाई, १९५४ तक अमोनियम सल्फेट के निर्माण में काम आने वाली आइरन-आक्साइड केटेलिस्ट पर कितना धन दिया था; और

(ख) सिन्दरी में केटेलिस्ट बनाने वाले संयंत्र तथा उपकरण आदि पर कुल कितना (जो अब तक व्यय हो चुका है उसे भी सम्मिलित करते हुए) व्यय होगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १५,५५,८२२ रुपये ।

(ख) ३,०५,०६० रुपये ।

सीमाओं पर होने वाले आक्रमण

२५३. **श्री डी० सी० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल १९५४ के बाद से पंजाब तथा राजस्थान राज्यों में सीमाओं के पार से कोई आक्रमण हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) भारतवर्ष की कितनी हानि हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-काय एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : (क) तथा (ख). १ अप्रैल से १५ अक्तूबर १९५४ तक पंजाब तथा राजस्थान पर सीमाओं के उस पार से ७० आक्रमण हुए हैं ।

(ग) इन आक्रमणों में २ व्यक्ति मारे गये, ८ घायल हुए तथा ४२ भगाय गये अथवा बन्दी बनाये गये; ६४० जानवर उठाये गये, २ राइफलें तथा ३०३ नम्बर की बन्दूक के ५५ कारतूस खो गये और लगभग ८४० रुपये की सम्पत्ति छीन ली गई ।

चाय प्रतिनिधि-मंडल

२५४. **श्री डी० सी० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस प्रतिनिधि-मंडल ने, जिसने चाय निर्यात के सिलसिले में अमरीका तथा कनाडा का दौरा किया था, अपना कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अभी तक प्रतिवेदन नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें

२५५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के होते हुए भी किन किन वस्तुओं के आयात-शुल्क में कमी नहीं की गई है;

(ख) सरकार ने किस आधार पर प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों की अवहेलना की है; और

(ग) किन किन वस्तुओं पर बिना किसी जांच के एवं प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के, "संरक्षण शुल्क" चालू रखा गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध सं० २८]**

(ग) "संरक्षण शुल्क" कभी भी प्रशुल्क आयोग की जांच के बिना नहीं लगाया गया है। भूतकाल में कुछ ऐसे अवसर अवश्य आये हैं जब किसी उद्योग के संरक्षण की अवधि की समाप्ति से पूर्व, उसे जारी रखनें के दावें के सम्बन्ध में आयोग उस की जांच नहीं कर सका; आयोग की सिफारिशों के आधार पर, संसद् की स्वीकृति से आगे की जांच को रद्द करते हुए उस उद्योग को एक वर्ष के लिये संरक्षण और बढ़ा दिया गया। चालू वर्ष में इस प्रकार के बढ़ाये गये संरक्षण से लाभ उठाने वाले उद्योगों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]

निष्क्रान्त सम्पत्ति (संशोधन) अधिनियम, १९५४

२५६. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या पुनर्वास उपमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से १९५४ तक कितनी सम्पत्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किया गया;

(ख) ऐसी कितनी सम्पत्तियां हैं जो अब भी निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन (संशोधन अधिनियम), १९५४ के अधीन निष्क्रान्त सम्पत्तियां घोषित की जायेंगी; और

(ग) प्रतिकर संचय में कुल कितना धन एकत्र किया गया है और विस्थापित व्यक्तियों में कैसे उस को वितरित किया जायेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रखे जायेंगे ।

(ख) ऐसी सम्पत्तियों का कोई भी अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी सम्पत्ति का निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में घोषित होना निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत की गई न्यायिक कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए निष्कर्षों पर निर्भर है ।

(ग) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४, के अनुसार प्रतिकर संचय में उस अधिनियम के अधीन अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्तियां, उन से प्राप्त होने वाली आय और सरकारी अंश सम्मिलित होंगे। संचय की ये सारी आस्तियां इस अधिनियम के उपबन्ध तथा उन के अधीन बने नियमों के अनुसार वितरित की जायेंगी ।

सीमेन्ट

२५७. श्री वी० पी० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सीमेंट विषयक पैरा (२८) के, जो १९५३–५४ के लिये पंचवर्षीय योजना पर प्रगति-प्रतिवेदन के पृष्ठ २०० पर है, सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की उत्पादन मात्रा का निश्चित रूप से पता लगाने में, भारत सरकार ने उद्योग द्वारा अर्जित कुल लाभ का भी निश्चित रूप से पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो १९५१–५२ तथा १९५२–५३ की अपेक्षा १९५३–५४ में कितना लाभ हुआ; और

(ग) सीमेंट का अन्तर्देशीय औसत मूल्य क्या है और १९५१–५२, १९५२–५३ और १९५३–५४ में निर्यात मूल्य क्या था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग), एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]

कांच की चादर बनाने का उद्योग

२५८. **श्री वी० पी० नायर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि कांच की चादर बनाने के उद्योग के, जिस का प्रबन्ध पिल्किंगटन की फर्म करती है, उत्पादन का प्रतिशत क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हिन्दुस्तान पिल्किंगटन की ग्लास वर्क्स की क्षमता, भारत में कांच की चादरों के लिये अधिष्ठापित कुल क्षमता का लगभग २५ प्रतिशत है और उत्पादन कुल उत्पादन का लगभग ५० प्रतिशत है ।

साबुन के कारखाने

२५९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साबुन बनाने के बड़े कारखानों की संख्या क्या है;

(ख) वे कहां कहां हैं;

(ग) इन कारखानों में कुल कितने साबुन का उत्पादन होता है; और

(घ) देश में कुल कितने साबुन को उपयोग में लाया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) दस ।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, मोदी नगर (उत्तर प्रदेश), तथा बंगलौर ।

(ग) लगभग ७४,००० टन, प्रति वर्ष ।

(घ) कोई ठीक सूचना प्राप्य नहीं है, परन्तु हाल में ही कास्टिक सोडा उद्योग की जांच में प्रशुल्क आयोग ने जो निर्धारण किया है उस के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि देश में प्रतिवर्ष १२०,००० टन साबुन को उपयोग में लाया जाता है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

२६० **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं का क्या क्षेत्र है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : मामला विचाराधीन है और इस शीर्ष के अधीन योजना के क्षेत्र या आकार के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

जूट सम्बन्धी निर्यात-वृद्धि परिषद्

२६१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट के लिये कोई निर्यात-वृद्धि परिषद् स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसने जूट के प्रमापीकरण तथा निर्यात के लिये और इस की किस्म को बढ़िया बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मेरा ख्याल है कि प्रश्न का यह भाग स्पष्ट नहीं है। यदि कच्चे जूट का उल्लेख किया गया है, तो निर्यात-वृद्धि परिषद् स्थापित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि हम इस वस्तु का निर्यात नहीं करते हैं। यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य जूट की बनी वस्तुओं से है, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी कोई परिषद् स्थापित नहीं की गई है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक आवास योजना

२६२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक आवास योजना के अधीन छोटे छोटे घर बनाने के लिये भारत सरकार ने, आर्थिक सहायता तथा ऋण

के रूप में राज्य सरकारों को अब तक कितना धन दिया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन राज्य सरकारों को ३१ अक्तूबर १९५४ तक स्वीकार किये गये ५३४·४ लाख रुपये के ऋण और ५४८·८ लाख रुपये की आर्थिक सहायता में से, ३२६·० लाख रुपये ऋण और २२०·३ लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिये गये हैं। इस के अतिरिक्त, बिहार सरकार को बिहार राज्य औद्योगिक आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिये अब तक ७५ लाख रुपये ऋण के रूप में दिये गये हैं ।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य

२६३. **श्री साधन गुप्त : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की सरकार को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का परिणाम क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). १३ नवम्बर १९५२ को प्रश्न संख्या २९२ के उत्तर में, इस मामले में भारत सरकार की नीति का इस सभा में स्पष्टीकरण किया गया था ।

उस के पश्चात् सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

हाल में ही भारत तथा पूर्वी जर्मनी के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की सरकारों के बीच एक व्यापार करार हुआ था ।

कोयला मजदूरों के लिये क्वार्टर

२६४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५४ तक कोयले की सरकारी खानों के मजदूरों के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये हैं;

(ख) कितने प्रतिशत मजदूरों को सरकारी क्वार्टर मिले हुए हैं;

(ग) ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाली छमाही में कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ;

(घ) १९५२–५३ तथा १९५३–५४ और १ अप्रैल, १९५४ से ३० सितम्बर, १९५४ तक आवास पर कितना धन व्यय किया गया है; और

(ङ) पूर्वकथित काल में कोयला खान श्रम कल्याण निधि संगठन से तदनुरूप कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) ७९ क्वार्टर ।

(ख) लगभग ४२ प्रतिशत ।

(ग) ७५५ खनिकों के क्वार्टर ।

(घ)

१९५२–५३	५,५२,२०६ रु०
१९५३–५४	७,७२,९९० रु०
१–४–५४ से ३०–९–५४ तक	२,१४,५३७ रु०

(ङ) कोयला खान श्रम कल्याण निधि संगठन से अब तक कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु निम्न धन-राशियां मांगी गई हैं :

	रुपये	आने	पाई
१९५२–५३	१,६७,६८६	०	०
१९५३–५४	९३,७५७	१२	०

दूधिया-पत्थर

२६५. **श्री नानादास : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूधिया पत्थर का कुल उत्पादन क्या है ?

(ख) इस में से कितना निर्यात किया जाता है और किन किन देशों को; और

(ग) इस में से कितने का देश में ही उपभोग होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क)

१९५२	२०,७७२ टन
१९५३	२८,५७१ टन

(ख) विगत तीन वर्षों के निर्यात आंकडे निम्न में दिये जा रहे हैं :

१९५१–५२	६२४१ टन
१९५२–५३	४,९८२ टन
१९५३–५४	६,९०५ टन

यह निर्यात विशेषकर इंगलैंड, हांग कांग, पश्चिमी जर्मनी, अमरीका, बर्मा तथा इन्डोनेशिया को किया गया है ।

(ग) लगभग २०,००० टन प्रतिवर्ष का उपभोग होता हैं ।

किंग एडवर्ड रोड के फ्लैट

२६६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में किंग ऐडवर्ड रोड पर कितने और कितनी लागत में फ्लट बनाये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : नई दिल्ली में किंग ऐडवर्ड रोड पर ४४ फ्लैट बनाये गये हैं और उन पर लगभग ११ लाख रुपये का व्यय हुआ है ।

तुंगभद्रा नहर प्रणाली

२६८. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी ग्राम श्रम सहकारी सभायें तुंगभद्रा नहर प्रणाली की नालियों तथा अन्य स्थानीय कार्यों के निर्माण के लिये कार्य कर रही हैं;

(ख) इन सहकारी सभाओं से कितन व्यक्ति सम्बन्धित हैं; और

(ग) किन शर्तों पर ग्राम सहकारी सभायें चल रही हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

गृह-उद्योग की मशीनें

२६९. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन राज्यों में बिजली सरलता से प्राप्त हो सकती है उन में किन किन गृह उद्योगों की मशीनों को खरीदने में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है: यथा–

(१) सूत कातने के चरखे;

(२) बनियान मोज़े आदि बनाने की घरेलू मशीनें;

(३) सीने की मशीनें; और

(४) कुट्टी काटने, तेल निकालने और खांड या गुड़ बनाने की मशीनें ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (१) यह माना जाता है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय बुनने के करघों से हैं । बिजली से चलने वाले करघों को अभी तक कोई सहायता नही दी गई है । पैरों से चलने वाले अर्तस्वचालित करघों

की खरीद के लिये जो धन राशि दी गई है, उस का विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]

(२) से (४). केद्र द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से उन योजनाओं को सहायता दी जाती है जिन के अन्तर्गत ऐसी मशीनों की खरीद भी शामिल है। केवल ऐसी ही मशीनों को दी जाने वाली सहायता के आंकड़े पृथक से नहीं रखे जाते हैं।

मंत्रियों की समन्वय-समिति

२७०. **श्री गिडवानी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १३ अक्तूबर, १९५४ को नदी घाटी परियोजना पर होने वाली मंत्रियों की समन्वय-समिति की बैठक में हुए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्य-प्रणाली प्रारम्भ करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : उत्तर 'नहीं' में है। इन निर्णयों पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें अपनी वर्तमान संस्थाओं के द्वारा कार्यवाही करेंगी।

सिगरेट का कागज

२७१. **श्री केलप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल से ३० सितम्बर १९५४ तक इस देश में कितना सिगरेट का कागज बनाया गया;

(ख) बनाने वाले सार्थों की क्षमता कितनी है;

(ग) देश की वार्षिक आवश्यकता क्या है;

(घ) क्या निकट भविष्य में सिगरेट के कागज के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कब लगाया जायेगा?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ८८८ टन।

(ख) ३,५०० टन।

(ग) १,००० टन (अनुमानित)।

(घ) और (ङ). किसी वस्तु के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने, उस को खुला छोड़ने तथा उस पर निर्बन्ध लगाने के प्रश्न को छः महीनों में एक बार पुनरीक्षित किया जाता है, तथा अनुज्ञप्ति की अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व निर्णय की घोषणा कर दी जाती है। इस विशेष वस्तु अर्थात् सिगरेट के कागज के सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय होगा, इस का अनुमान लगाना कठिन है।

रुई

२७२. **श्री केलप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में कपड़ा मिलों को रुई का अग्रेतर निर्धारित अभ्यंश दिया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये किस परिमाण में रुई नियत की जायेगी; और

(ग) किन मिलों को यह निर्धारित अभ्यंश कोटा दिया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). यह निर्णय किया गया है कि मिलों को भारतीय रुई का एक अग्रेतर निर्धारित अभ्यंश दिया जायेगा जो वर्ष १९५२-५३ में नियत निर्धारित अभ्यंश के ५० प्रतिशत के बराबर होगा।

(ग) यह भारतीय रुई का उपयोग करने वाली सभी मिलों को दिया जायेगा।

भूमि की बांट

२७३. **श्री गिडवानी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-पंजाबी लोगों को जिन्हें पंजाब या पैप्सू के बाहर खेती की भूमि बांटी गई है, भूमि के स्वामित्व के पूरे अधिकार कब दिये जायेंगे जैसे कि पश्चिमी पंजाब के भू-स्वामियों को दिये गये हैं; और

(ख) सिंध, बहावलपुर, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश, और बलूचिस्तान के विस्थापितों को, जिन्हें अभी तक भूमि नहीं बांटी गई है, कब तक खेती की भूमि दी जायेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४, जिस के अधीन कृषि योग्य भूमि सहित अचल निष्क्रान्त सम्पत्तियां, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपार्जित तथा विस्थापित व्यक्तियों को स्थायी स्वामित्व के लिये हस्तांतरित की जाती हैं, को ९ अक्तूबर, १९५४ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई । इस अधिनयिम के अधीन नियमों का प्रख्यापन किया जायेगा और तब उन गैर-पंजाबियों को भी जिन को अपने दावों पर खेती की भूमि का आवंटन हुआ है, स्वामित्व के अधिकार देने की कार्यवाही की जायेगी ।

(ख) हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पेप्सू, राजस्थान, भोपाल, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, आंध्र, मद्रास तथा मैसूर में भूमि–आंवटन का कार्य प्रगति पर है । दूसरे राज्यों की निष्क्रान्त खेती की भूमि का आवंटन आवश्यक आंकड़े एकत्र हो जाने के पश्चात् कर लिया जायेगा ।

जूट

२७४. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस ऋतु के प्रथम तीन महीनों अर्थात् जुलाई से सितम्बर १९५४ तक की अवधि में पाकिस्तान से जूट का आयात बहुत कम रहा;

(ख) वर्ष १९५३ की तत्स्थानी अवधि की तुलना में इस अवधि में पाकिस्तान से कुल कितनी गांठों का आयात हुआ;

(ग) पिछले महीने आयात का क्या रुख रहा;

(घ) क्या यह सच है कि इस ऋतु में कलकत्ता प्रदेश की मिलों में अधिक घंटे कार्य होने के कारण खपत बढ़ गई है; तथा

(ङ) किस अंश तक आयात की यह कमी तथा खपत की यह वृद्धि भारतीय बाजार में पाकिस्तानी जूट तथा भारतीय जूट के मूल्यों में प्रगट हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) अवधि	पाकिस्तान से आयात (प्रत्येक गांठ में ४०० पौंड) गांठें
१ जुलाई से २ अक्तूबर, १९५४	१६०,६३६
१ जुलाई से ३० सितम्बर, १९५३	५७३,८८८

(ग) १६ अक्तूबर, १९५४ को समाप्त होने वाले पक्ष में ४४,३९१ गांठों का आयात हुआ । बाद के पक्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) २४ अप्रैल, १९५४ के पश्चात् पाकिस्तान तथा भारत के दो प्रकार के

कच्चे जूट के मूल्यों का एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]

चीन तथा रूस को गये तथा वहां से आये प्रतिनिधि-मंडल

२७५. **श्री राधा रमण:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में रूस तथा चीन को कितने प्रतिनिधि मंडल गये अथवा वहां से आये ;

(ख) उन की यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ग) उन में से सरकार के कहने पर कितने निमंत्रित किये गये अथवा वहां भेजे गये; और

(घ) इन में से प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क)रूस से तीन तथा चीन से एक प्रतिनिधि मंडल भारत आये। सोलह प्रतिनिधि मंडल रूस तथा ८ चीन चले गये।

(ख) विभिन्न प्रतिनिधि मंडल किस उद्देश्य से रूस तथा चीन को गये तथा वहां एवं से आये, इस का एक विस्तृत विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]

(ग) भारत सरकार ने रूस से तीन तथा चीन से एक प्रतिनिधि मंडल निमंत्रित किये थे।

सरकार अथवा सरकार के सहयोग से सात प्रतिनिधि मंडल रूस तथा २ प्रतिनिधि मंडल चीन भेजे गये।

(घ) प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल पर कितना व्यय हुआ, इस का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]

सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

२७६. **श्री गिडवानी :** क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के लाभों को, अनौद्योगिक वर्गों जिन में मध्ययम वर्ग भी शामिल है, तक बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है; और

(ग) सरकार इसे कब कार्यान्वित करना चाहती है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि तत्काल ही सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना को अभ्रक अथवा कोयले के श्रमिकों को (जिन के लिये पृथक सहायता-प्राप्त आवास योजनायें चल रही हैं) छोड़ कर अन्य खानों के श्रमिकों तक बढ़ा दिया जाय, चाहे वे प्राविधिक रूप से फैक्टरी अधिनियम से प्रशासित न हों। जहां तक अनौद्योगिक वर्गों का सम्बन्ध है, सरकार ने राज्य सरकारों को पेशगी ऋण देने का निर्णय किया है जिस से कि वे ऐसे व्यक्तियों को, जिन की वार्षिक आय ६,००० रुपये से अधिक न हो, पेशगी ऋण दे सकें ताकि उन्हें गृह-निर्माण में सहायता मिल सके।

सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

२७७. **श्री गिडवानी :** क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन जो राशि मंजूर की थी, राज्य

सरकारों या औद्योगिक मज़दूरों के मालिकों ने अभी तक उस का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया है; और

(ख) कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी और उस में से कितनी खर्च हुई है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस योजना के अधीन राज्य सरकारों या मालिकों को पहले से ही धन नहीं दिया जाता । इस योजना के अधीन सहायता के लिये स्पष्ट रूप से प्रार्थना करने पर ही सहायता की मंजूरी दी जाती है, इसलिये यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि राशियों का उपयोग नहीं किया गया है । परन्तु यह सच है कि यदि इस योजना के अधीन अधिक सहायता मांगी जाती तो भारत सरकार को इस से प्रसन्नता होती ।

(ख) एक विवरण, जिस में यह जानकारी दी हुई है, सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३**]

ट्रांसफार्मर्स

२७८. श्री मगन लाल बागडी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में ३० सितम्बर तक बिजली के कितने ट्रांसफार्मरों का उत्पादन किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि १९५२-५३ और १९५३-५४ की तुलना में प्रति मास उत्पादन कम हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३०६६ ।

(ख) यद्यपि इस वर्ष सितम्बर के अन्त तक ट्रासफार्मर पहले दो वर्षों की अपेक्षा कम तैयार किये गये परन्तु किलोवाट एम्पीयर्स को देखते हुए कुल उत्पादन अधिक है क्योंकि इस बार अधिक शक्तिशाली ट्रांसफार्मर बनाये जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) . प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

कोहिमा सामुदायिक परियोजना

२७९. श्री धूसिया : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा पहाड़ी जिला (आसाम) की कोहिमा सामुदायिक परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) (क) नागा पहाड़ी जिला (आसाम) में कोहिमा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड योजना के अनुसार काम चल रहा है । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में बताया गया है कि ३०-६-१९५४ तक इस काम में कितनी प्रगति हुई है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(ख) ३०-६-१९५४ तक ४८,२०० रुपये ।

लोक सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

सेवा में

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५--१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १--सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १-६

अंक २--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७-९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)-टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११-१२

स्थगन प्रस्ताव--आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२-१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया १४-६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त . . . ६८-१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८९–२७५

सभा का कार्य २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–२७९

सभा का कार्य २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०

अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६

अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८

अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०— शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार–असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध . . . ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २०से २४ . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

१३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड २६ से ३८ . . . . . ९४४–१००९

खंड ३९ से ६० . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १०१५

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७

सभा का कार्य—

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३

दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित १०२३

आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत

डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४

श्री पाटस्कर १०२९

श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३

श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९

डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६

श्री रघुरामैया १०४६–५०

डा० जयसूर्य १०५०–५२

श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७

श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८

श्री राघवाचारी १०५८–५९

श्री लक्ष्मय्या १०५९

श्री यू० एम० त्रिवेदी १०५९–६०

	स्तम्भ
खंड १ से ३	१०६४–७०
संशोधित रूप में पारित—	
श्री एच० एन० मुखर्जी	१०७७–८०
डा० लंकासुन्दरम्	१०८०
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०८०–८२
श्री जी० एच० देशपांडे	१०८३
डा० काटजू	१०८३–८८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त—	
खंड ६१ से ६५	१०८८–९८
दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१०९८–११००
अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन	११०१–११०८
पटल पर रखे गये पत्र—	
जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . .	११०८–११०९
चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना	११०९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	११०९
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	१११०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित	१११०–११
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१११९
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . .	१११९–१११२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त —	
खंड ६१ से ६५	१११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक सभा

मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३० म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है । एक इस ओर निर्देश करता है कि :

> "१८ नवम्बर, १९५४ को पुनर्वास विभाग के कार्यालय के सामने बिहार और उड़ीसा के कैम्पों से लौटे हुए शरणार्थियों के शिष्टमंडल पर कलकत्ता में लाठी चार्ज" ।

जैसा कि मैं ने बार बार कहा है, जहां तक राजकीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, शान्ति तथा व्यवस्था केन्द्रीय विषय नहीं है । मेरा अनुमान है कि शान्ति स्थापन के लिये पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज किया गया होगा । कदाचित् पुनर्वास विभाग का केवल निर्देश होने से ही माननीय सदस्य ने यहां प्रस्ताव रखा है । मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव किस प्रकार ग्राह्य हो सकता है ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : हमारा निवेदन यह है । समाचारपत्रों की सूचनाओं से तथा कलकत्ता से प्राप्त सूचनाओं से हमें ज्ञात हुआ है कि ये शरणार्थी पुनर्वास मंत्रियों से, जिन का सम्मेलन कलकत्ते में हो रहा था, मिलना चाहते थे । किन्तु मंत्रालय द्वारा उन की यह मांग अस्वीकार किये जाने पर वे तब तक नहीं जाना चाहते थे जब तक कि वे मंत्रियों को अपनी स्थिति तथा अपेक्षित वैकल्पिक पुनर्वास संभावनाओं के विषय में विश्वास न दिला दें । पुनर्वास केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व का विषय होने के कारण, हमारा यह दृष्टिकोण है कि इन शरणार्थियों का पुनर्वास केन्द्र का प्रधान विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : इस से कोई सम्बन्ध मैं नहीं देखता हूं किन्तु मैं यह जांच कर सकता हूं कि बंगाल में पुनर्वास का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । क्या ऐसा ही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हां । यह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

श्री के० के० बसु : किन्तु माननीय मंत्री वहां अन्य मंत्रियों के साथ चर्चा करने के लिये गये थे . . .

अध्यक्ष महोदय : चाहे जो हो यह स्पष्ट है कि दोनों विषय राज्य सरकार के हाथ में थे । एक विषय में वह अभिकर्ता थी, और दूसरे में वह शान्ति तथा व्यवस्था

[अध्यक्ष महोदय]

के लिये उत्तरदायी थी। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री के० के० बसु : यदि आप मुझे अनुज्ञा दें, तो मैं एक बात का उल्लेख करूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा विषय है जिस के लिये पश्चिमी बंगाल में आन्दोलन किया जा सकता है।

श्री के० के० बसु : अवश्य ही, किन्तु हमारा कथन यह है कि ये वह शरणार्थी हैं जो उड़ीसा और बिहार से लौटे हैं। अतः बंगाल सरकार स्वतः इस समस्या को सुलझाने की स्थिति में कदाचित् नहीं है। इसलिये पुनर्वास मंत्री इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिये निकटवर्ती राज्यों से परामर्श कर रहे थे। अतः हम इसे पूर्ण सुसंगत समझते हैं। कम से कम हम यह जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस विषय में क्या कहना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : पुनर्वास सम्बन्धी जानकारी के उद्देश्य से यह विषय सुसंगत हो सकता है किन्तु तब इसे भिन्न रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये, न कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में।

दिल्ली परिवहन सेवा

अध्यक्ष महोदय : दूसरा स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है :

> "दिल्ली परिवहन सेवा के प्रबन्धकर्ताओं की जनता के आवागमन के लिये पर्याप्त संख्या में दोषरहित गाड़ियां चलाने में असमर्थता जिस के फलस्वरूप जनता को बहुत असुविधा हुई है।"

सर्वप्रथम, मेरे विचार से यह विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर विचार किया जाय। सरकार कई स्थानों पर सेवायें चला रही है और इस प्रकार की घटनाओं का होना अवश्यम्भावी है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह विषय दिल्ली राज्य सरकार के अधीन है।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : नहीं, यह केन्द्रीय सरकार के परिवहन मंत्रालय के अधीन विषय है। जैसा कि भारत सरकार के वक्तव्य में स्वीकार किया गया है, बिल्कुल हड़ताल जैसी स्थिति है। हम जानना चाहते हैं कि क्या जनता को अधिक बसों की सुविधायें प्राप्त होंगी ? वास्तव में नगर में संकट स्थिति उत्पन्न है। यह विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन आता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार एक स्वायत्तशासी संस्था है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह कथन कि वह उन के मंत्रालय के अधीन है, कहां तक ठीक है अथवा वह दिल्ली राज्य सरकार के अधीन है।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : आप का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि यह दिल्ली परिवहन सेवा एक स्वायत्तशासी प्राधिकार द्वारा चलाई जा रही है जो संसद् के एक अधिनियम के अधीन बनाया गया है। केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय इस सेवा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चलाता है। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि हम ने इस विषय पर एक अल्पसूचना प्रश्न, जिस का उत्तर हम कल देने की प्रस्थापना करते हैं, पहले ही स्वीकार कर लिया है और तब हम सभा के समक्ष सभी तथ्य रख सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले आधार पर और दूसरे इस आधार पर कि अल्पसूचना प्रश्न से माननीय सदस्यों को सारी जान-

कारी प्राप्त हो जायगी, इस प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) उठे—

अध्यक्ष महोदय : साधारण प्रक्रिया यह है कि पुरःस्थापित करने की अनुमति पर विरोध अथवा आपत्ति नहीं की जाती है । फिर भी यदि कोई माननीय सदस्य विरोध करना चाहते हों तो वह लम्बा भाषण न दे कर एक छोटा वक्तव्य दें ।

श्री के० के० बसु : साधारणतया इस दशा में विधेयक का विरोध करने की प्रथा नहीं है । किन्तु आप को ज्ञात है कि जब इसी प्रकार का विधेयक संसद् के प्रथम सत्र में पुरःस्थापित किया गया था तो हम ने उस के पुरःस्थापन का विरोध किया था क्योंकि हमारी यह धारणा थी कि ऐसे विधेयक का प्रत्येक दशा में विरोध किया जाना चाहिये । हम निवारक निरोध आधनियम को, जिसे संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ स्थान प्राप्त है, संविधान के लिये एक धब्बा समझते हैं और वह अब संविधि-पुस्तक का एक स्थायी भाग बनने जा रहा है ।

जब वह विधेयक सर्वप्रथम १९५० में पुरःस्थापित किया गया था, तो उस समय के गृहमंत्री सरदार पटेल ने कहा था कि हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि इस प्रकार की विधि आवश्यक है । उस समय पदारूढ़ दल ने उसे आवश्यक समझा था और इसलिये वह विधेयक आवश्यक हो गया था ।

सन् १९५२ में जब वर्तमान गृहमंत्री ने और दो वर्षों के लिये इस विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहा तो उन्होंने कुछ घटनायें बनाईं और उनकी यह धारना थी कि कुछ समय बाद हमारे देश की स्थिति ऐसी हो जायगी जब इस विशिष्ट विधि को चालू रखने के कोई कारण नहीं रहेंगे ।

हमारा विचार यह है कि यह एक ऐसी विधि है जो केवल आपात काल में ही अधिनियमित की जा सकती है । आज हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि देश की सुरक्षा खतरे में हो अथवा ऐसी अन्य कोई स्थिति नहीं है जिस से कि इस अधिनियम की आवश्यकता हो । फिर यह विधि पिछले कुछ वर्षों में सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध काम में लाई गई है । हम अब तक यह नहीं जानते कि निवारक निरोध अधिनियम असामाजिक तत्वों का दमन करने में किस हद तक सफल हुआ है, किन्तु हम ने यह देखा है कि किस प्रकार इस अधिनियम का उपयोग सरकारी नीति के विरोधियों के विरुद्ध किया गया है । अध्यापकों की हड़ताल के सम्बन्ध में, ट्राम किराया वृद्धि आन्दोलन के सम्बन्ध में, हड़तालियों और आन्दोलनकारियों को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था । उस के पश्चात् जब कलकत्ता की जनता ने इस के विरोध में आन्दोलन किया तो राज्य सरकार ने विरोधियों को इसी अधिनियम के अधीन जेल में ठूंस दिया । अतः हमारी धारणा है कि भारतीय संसद् इस विधान को स्वतंत्र वातावरण में कार्य न करने दे । अतः हम माननीय गृह मंत्री से आग्रह करते हैं कि विधेयक को वापस ले लिया जाय । जब भी देश की असाधारण

[श्री के० के० बसु]

स्थिति हो अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध छिड़ जाय तो सरकार को ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। समाज विरोधी तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिये देश की सामान्य विधि में पर्याप्त शक्ति है, और इसलिये इस प्रकार के विधान को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में यह अत्यन्त आवश्यक है कि विरोधी दल को प्रत्येक अधिकार प्राप्त हो और सरकारी नीति से सहमत न होने वाले सभी व्यक्तियों को अपने को संगठित करने और उस तरह से जिसे वह उपयुक्त समझते हैं, अपना विरोध प्रदर्शित करने का प्रत्येक अधिकार प्राप्त हो। यदि माननीय मंत्री यह समझते हों कि उन का आचरण शान्ति तथा व्यवस्था के प्रतिकूल है तो वह देश की साधारण विधियों के अधीन उन पर अभियोग लगा कर मुकदमा चला सकते हैं। वास्तव में हम ने देखा है कि इसी निवारक निरोध अधिनियम के अधीन हमारे एक सम्माननीय मित्र, डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी की मृत्यु कारावास में हुई।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संक्षिप्त वक्तव्य की सीमा से बहुत आगे बढ़े जा रहे हैं।

श्री के० के० बसु : अतः हमारी यह धारणा है कि हम इस अधिनियम का कार्यकाल और नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक के पुरःस्थापन पर अपना अनुमोदन दे। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : क्या हम कुछ शब्द कह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : विरोधी दल ने अपने तर्क प्रस्तुत कर दिये हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या इस दशा में विधेयक के विरोध में कोई तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हां। नियम ८९ में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। उस के अन्तर्गत सारी विचारधारा यह है कि यदि विधेयक को पुरःस्थापित करने दिया जाय, तो सभा को उस पर पूर्ण चर्चा करने के लिये तभी अवसर प्राप्त होता है जब विचार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अतः इस दशा में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। अब माननीय मंत्री अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

डा० काटजू : यह एक छोटा सा विधेयक है और मुझे कभी यह आशा नहीं थी कि इस अवस्था पर इस का कोई विरोध होगा। जब समय आयेगा तब मैं सारी स्थिति को स्पष्ट करने और आंकड़े और तथ्य समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा। यह विधेयक अत्यन्त प्रभावोत्पादक उपाय सिद्ध हुआ है, (**अन्तर्बाधा**) इसलिये नहीं कि इस से लोगों को भेजने में सुविधा हुई है वरन् इस के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण सफलता मिली है। यह कथन बिलकुल निराधार है कि यह अधिनियम राजनैतिक विरोध को दबाने के लिये राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध काम में लाया गया है। वास्तव में यह अधिनियम उन्हीं उद्देश्यों के लिये काम में लाया गया है जिन्हें संसद् ने अधिनियम में निर्धारित किया है अर्थात् विदेशी शक्तियों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने, शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने और विद्रोहकारी कार्यों को रोकने के लिये इस काम में लाया गया है। जब आप के समक्ष हम आंकड़े और तथ्य रखेंगे तो आप देखेंगे कि शान्ति

तथा व्यवस्था बनाये रखना मुख्य उद्देश्य रहा है और उसके लिये इसका अधिकतर उपयोग किया गया है।

इसके बाद यह भी सुझाव दिया गया है कि यह एक असाधारण विधि है और आपात शक्ति के रूप में ही इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिये। मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि निवारक निरोध दंड प्रक्रिया संहिता और संविधान में भी अनेक प्रकार से उपबन्धित है। अतः मैं पुरःस्थापन की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना करता हूं।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : क्या कोई आपात है ?

अध्यक्ष महोदय : अब इस विषय पर किसी अग्रेतर तर्क का कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्न यह है :

"निवारक निरोध अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

(सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में १४६, विपक्ष में ३६ मत आये।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संशोधनों की ग्राह्यता

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कॉफ़ी बाज़ार विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४ पर अग्रेतर विचार करेगी। तत्पश्चात् विषय सूची का अगला विधेयक अर्थात् रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक लिया जायगा।

मैं देखता हूं कि कुछ संशोधन ऐसे प्रस्तुत किये गये हैं जो विधेयक के क्षेत्र के बाहर हैं, विशेषकर माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्थापित संशोधन। विधेयक में नया खंड २० क जोड़ने के लिये जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह मुख्य अधिनियम की धारा ४५ को संशोधित करना चाहता है जिस का संशोधन न तो सभा में पुरःस्थापित किये गये मूल विधेयक में अपेक्षित है और न ही प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में उस का कोई निर्देश किया है। अतः विधेयक के क्षेत्र से बाहर इस संशोधन को प्रस्तुत करना मैं उपयुक्त नहीं समझता हूं। एकमात्र उपाय यह है कि इस विशिष्ट धारा को संशोधित करने के लिये एक अलग विधान उपस्थित किया जाय।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : वह संशोधन प्रस्तुत करने के लिये मैं सभा से क्षमा चाहता हूं, किन्तु सभा उस संशोधन के उद्देश्य पर ध्यान देगी। वह इसलिये है कि संविधान की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रक्रिया का विनियमन किया जाय अर्थात् लेखाओं के परीक्षण के लिये महालेखा परीक्षक को शक्ति दी जाय। किन्तु आप के कथनानुसार हम उस कार्य के लिये अलग विधेयक उपस्थित करेंगे। अतः यह संशोधन प्रस्तुत कर के सभा का समय लेने के लिये मैं क्षमा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल संशोधन की ग्राह्यता से सम्बन्ध है। मैं ने केवल यह कहा कि वह नियम बाह्य है, यह नहीं कहा कि वह संशोधन अपेक्षित नहीं है। वह बहुत अपेक्षित हो सकता है किन्तु प्रक्रिया ठीक नहीं है। यही बात मैं कहना चाहता था।

अब मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता को भी निर्दिष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि संशोधनों के क्षेत्र के सम्बन्ध में एक

[अध्यक्ष महोदय]

प्रकार की गलत धारणा के कारण, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर अनेक संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। परिणाम यह होता है कि सचिवालय को अनावश्यक ही बहुत काम करना पड़ता है और अन्त में यह दिखलाई पड़ता है कि संशोधनों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः मैं यहां स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ड प्रक्रिया संहिता के लिये संशोधन प्रस्तुत करने के विषय पर कुछ सदस्यों की ग़लत धारणा हो सकती है। वे संहिता की किसी धारा को संशोधित कर सकते हैं क्योंकि प्रवर समिति को विधेयक भेजने का प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया गया था तो यह संकेत दिया गया था कि प्रवर समिति विधेयक के किन्हीं अन्य उपबन्धों पर जो पुरःस्थापित विधेयक में नहीं हैं, विचार कर सकती है। अतः यह ग़लत धारणा हो सकती है कि ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उस के बाद जो कुछ हुआ, प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट इस प्रकार उल्लिखित किया है :

> "इस सम्बन्ध में संयक्त प्रवर समिति यह बताना चाहती है कि प्रधान अधिनियम की कतिपय धाराओं के सम्बन्ध में अनेक संशोधन तथा सुझाव जो संशोधन विधेयक में नहीं हैं, समिति को प्रस्तुत किये गये थे। इस कारण कि इस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुए और उस पर जनमत जानने के लिये अब तक अवसर नहीं दिया गया था, समिति का यह दृष्टिकोण है कि उन्हें जनमत जानने के लिये परिचालित किये जाने के पश्चात् उन पर विचार किया जाय। अतः उस की यह सिफारिश है कि ऐसे सब संशोधन सरकार को निर्दिष्ट किये जायें जो उन पर जनमत प्राप्त करे और आवश्यकता होने पर यथासंभव एक वर्ष के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ को उपयुक्त रूप से संशोधन करने वाला दूसरा विधेयक सभा के समक्ष रखे।"

इस के पश्चात् जब विधेयक प्रवर समिति से वापस आने के बाद सभा के सामने फिर रखा गया तो इस बात का प्रयत्न किया गया कि इस विधेयक को एक बार फिर प्रवर समिति के पास भेजा जाये या जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये। इस के लिये पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा श्री श्यामनंदन सहाय ने संशोधन भी रखे, परन्तु सभा ने उन को अस्वीकृत कर दिया। इसलिये अब सभा के सामने विधेयक उसी रूप में है जैसा कि प्रवर समिति के पास से आया है। अब उन संशोधनों के लिये कोई स्थान नहीं है जो इस विधेयक की परिधि में, उस रूप में, जिस में कि यह प्रवर समिति के पास से आया है, नहीं आते हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : जो कुछ आप ने कहा है वह विनिर्णय है या इस के सम्बन्ध में हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो विनिर्णय ही है। सभा ने पहले केवल निदेश जारी किये और प्रवर समिति से उन पर विचार करने को कहा। प्रवर समिति ने कहा कि उन को जनता की राय जानने के लिये परिचालित नहीं किया गया था इसलिये वह उन पर विचार नहीं कर सकती थी। सभा भी इस सम्बन्ध में विनिश्चय कर चुकी

है। जो कुछ प्रवर समिति ने भेजा है उसी पर विचार किया जायेगा"।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : सभा का निदेश था कि प्रवर समिति दण्ड प्रक्रिया संहिता के सभी उपबन्धों पर विचार करे और अपने को केवल उन्हीं उपबन्धों तक सीमित न रखे जो इस सभा के सामने विचाराधीन हैं। क्या प्रवर समिति सभा के निदेशों का उल्लंघन कर सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा दोनों ही संशोधनों—विधेयक प्रवर समिति के पास फिर से भेजे जाने के तथा जनता की राय जानने के लिये फिर से परिचालित किये जाने के —को अस्वीकृत कर चुकी है।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर) : माननीय गृहकार्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि जितने भी संशोधनों की सूचना प्राप्त होगी उन सभी पर यह सभा विचार करेगी। सभा को भी सभी संशोधनों पर विचार करने का अधिकार है। जब सभा प्रवर समिति को यह अधिकार दे सकती है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता के किसी भी संशोधन पर विचार कर सकती है तो सभा को इस अवसर पर ऐसा अधिकार तो होना ही चाहिये।

दण्ड प्रक्रिया संहिता अपने वर्तमान रूप में बिल्कुल बेकार है। इसलिये सभा को संहिता के सभी उपबन्धों पर विचार करना चाहिये। इस की प्रक्रिया भी बहुत पेचीदा है इसलिये हमारा उद्देश्य यह है कि एक साधारण सी दंड प्रक्रिया संहिता बनाई जाये जिस का अभिप्राय यह हो कि अपराधियों को दण्ड दिया जाये तथा निरपराध व्यक्तियों को अपने को निर्दोष साबित करने का प्रत्येक अवसर दिया जाये तथा यदि वे निर्दोष पाये जायें तो उन को मुक्त कर दिया जाये।

'मे' की पुस्तक **पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस** का भी यही कहना है कि जब प्रवर समिति के पास कोई विधेयक भेजा जाये तो वह समिति उस के सम्बन्धित सारे क़ानून पर विचार कर सकती है। यदि समिति ने ऐसा नहीं किया है तो हमारे अधिकार कैसे कम किये जा सकते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मुझे खेद है कि जो निदेश प्रवर समिति को दिया गया था उस का उस ने पालन नहीं किया है और इस का सुधार करने के लिये मैं ने जो प्रस्ताव रखा था वह सभा ने स्वीकार नहीं किया है।

अभी उस दिन की बात है कि मैं अध्यक्ष-पद पर था और जब श्री नेनी सरन जैन बोल रहे थे तो यही प्रश्न उठा था। उस समय मैं ने भी कहा था और डा० काटजू ने भी कहा था कि किसी भी संशोधन पर विचार किया जा सकता था। दण्ड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न उपबन्ध एक दूसरे के साथ ऐसे गुथे हुए हैं तथा परस्पर सम्बद्ध हैं कि हम यह नहीं कर सकते हैं कि कुछ उपबन्धों पर विचार किया जाये तथा कुछ को भविष्य में विचार करने के लिये छोड़ दिया जाय। प्रवर समिति का कहना है कि क्योंकि कुछ बातों के सम्बन्ध में जनता की राय नहीं मांगी गई है, इसलिये सारे विधेयक पर विचार किया जाना वांछनीय नहीं है। स्वयं डा० काटजू से हमें पता चला है कि सभा को बहुत सी सम्मतियां प्राप्त हुई हैं तथा विधेयक को ऐसे सुझावों के लिये भी परिचालित किया गया है जो मूल विधेयक की दृष्टि से आवश्यक नहीं हैं। इसलिये सभा को भी सभी संशोधनों पर विचार करने का अधिकार है। उदाहरण के लिये यदि हम धारा १६१ का संशोधन करें तो

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हम धारा १७२ को कैसे छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ जब तक कि धारा १६१ और १७२ में संशोधन न किया जाये दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया कोई भी संशोधन बिल्कुल व्यर्थ होगा।

श्री साधन गुप्त : जो कुछ पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा उस के अतिरिक्त मैं इतना ही और कहना चाहता हूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक पर जब वाद-विवाद हो रहा था तो उन्होंने एक बार श्री पाटस्कर के एक विनिर्णय के सम्बन्ध में जो उन्हों ने अध्यक्ष पद से दिया था प्रश्न उठाया था। उस समय आप ने कहा था कि सभापति के विनिर्णय पर फिर से विचार करने का अधिकार तो आप को भी नहीं था। इसलिये जब पंडित ठाकुर दास भार्गव का यह विनिर्णय है कि प्रत्येक संशोधन पर विचार किया जा सकता है तो जिन उपबन्धों पर प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन भेजा है उन के अतिरिक्त विधेयक के सभी उपबन्धों के सम्बन्ध में हमें संशोधन रखने का अधिकार होना चाहिये।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : उचित तो यही है कि हम अपने को उन्हीं धाराओं तक सीमित रखें जिन का इस विधेयक द्वारा संशोधन किया जा रहा है। यदि हम सारी दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने लगेंगे तो इस सत्र की तो बात ही क्या है अगले सत्र में भी यह काम समाप्त नहीं हो सकेगा। इस के अतिरिक्त जो नियम हम ने बनाये हैं उन के विरुद्ध जाने वाली किसी प्रक्रिया का आश्वासन तो गृहकार्य मंत्री भी नहीं दे सकते हैं।

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : कल जब माननीय मंत्री जवाब दे रहे थे तो मैं उपस्थित था। प्रारंभिक अवस्था में किसी गवाह की जिरह का प्रश्न चल रहा था। जो कुछ उन्हों ने कहा था उस से मैं तो यह समझा था कि प्रवर समिति ने जिन बातों पर विचार किया है हम उन पर विचार कर सकते हैं और यदि सभा चाहे तो उन बातों पर भी विचार कर सकते हैं जिन को समिति ने अस्वीकृत कर दिया है।

जहां तक यह कहा जाता है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कोई विनिर्णय दिया है मैं केवल इतना करना चाहता हूं कि हमें उन परिस्थितियों को देखना होगा जिन में उक्त विनिर्णय दिया गया था, तभी हम उस को किसी अन्य अवसर पर लागू कर सकते हैं। हो सकता है कि वह विनिर्णय केवल किसी स्थिति विशेष के लिये किया गया हो और किसी और स्थिति पर लागू न होता हो। पहले जब यही प्रश्न उठाया था तो सभापति महोदय ने कहा था उचित अवसर आने पर इस विधेयक से सम्बन्धित विषयों पर विचार किया जा सकता है। परन्तु उसी माननीय सदस्य जिस ने यह विनिर्णय दिया था इसी अभिप्राय से उस के बाद एक संशोधन प्रस्तुत किया जोकि अस्वीकृत हो गया। सभा जब इन बातों पर विचार कर के अपना निर्णय दे चुकी है तो उसी पर पुनः विचार कैसे किया जा सकता है। इसलिये मैं आप के विनिर्णय से सहमत हूं। यदि यही नियम हो कि यदि किसी अधिनियम को किसी धारा का संशोधन किया जाये तो हम सारे अधिनियम पर विचार कर सकते हैं। तब तो कोई विधान बनाना ही असम्भव हो जायेगा। अतः मेरा निवेदन है कि मैं विनिर्णय से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा हो सकता है कि एक विषय दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध हो

कि संशोधन करने वाले विधेयक में जिन उपबन्धों का उल्लेख किया गया है उस के अतिरिक्त किसी अन्य धारा का संशोधन आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में विधेयक के क्षेत्र में आने वाले इस प्रकार के संशोधन किये जा सकते हैं ।

मैं तो एक सामान्य निदेश दे रहा था कि किस प्रकार के संशोधन ग्राह्य हो सकते हैं । मैं यह स्पष्ट करना चाहता था कि यह समझना गलत है कि केवल इस कारण ही कि सभा में कुछ वाद विवाद हो कुछ ऐसे बयान दिये गये हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की किसी भी धारा का संशोधन किया जा सकता है चाहे वह संशोधन विधेयक से सम्बन्धित हो अथवा नहीं ।

मैं तो केवल यह बताना चाहता था कि अध्यक्ष इस सम्बन्ध में किस प्रकार विचार करता है तथा अध्यक्ष-पद से किस प्रकार के विनिर्णय दिये जायेंगे परन्तु जो संशोधन रखे जायेंगे उन को देख कर ही मैं जैसा उचित होगा वैसा विनिर्णय दूंगा ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं समझा नहीं कि माननीय अध्यक्ष का अभिप्राय क्या है ? शब्द 'क्षेत्र' का अर्थ क्या है, इस के लिये हम यह देखेंगे कि विधेयक की विषय वस्तु क्या है या विधेयक में नाम तथा उद्देश्यों पर विचार करेंगे, इस के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस लम्बे चौड़े वाद-विवाद में जाने के लिये तैयार नहीं हूं । शब्द 'क्षेत्र' की कोई ऐसी परिभाषा करना असंभव है जो हर स्थिति में लागू हो सके । इस का निर्णय तो परिस्थिति विशेष को देख कर ही किया जा सकता है । इस के अतिरिक्त यह कार्य अध्यक्ष-पद का है न तो यह कार्य गृह मंत्री का है और न किसी माननीय सदस्य का ही है ।

जैसा कि मैं कह चुका हूं यदि एक धारा दूसरी धारा से इस प्रकार सम्बद्ध होगी कि दोनों की विषय वस्तु एक ही हो तो उस दूसरी धारा का संशोधन भी ग्राह्य है क्योंकि वह संशोधन करने वाले संशोधन से सम्बन्धित है । जब हम यह कहते हैं कि किसी ऐसी धारा के सम्बन्ध में संशोधन नहीं दिया जा सकता है जिस का उल्लेख संशोधन विधेयक में न हो तो हम एक सामान्य नियम का उल्लेख करते हैं क्योंकि प्रत्येक धारा में अलग अलग विषय हुआ करते हैं, परन्तु ऐसा हो सकता है कि जबकि एक ही विषय से कई धारायें संबंधित हों तो ऐसी धारा के सम्बन्ध में भी संशोधन ग्राह्य हो सकता है जिस का उल्लेख संशोधन विधेयक में न किया गया हो । प्रत्येक मामले को उस के अपने तथ्यों के आधार पर ही तै किया जा सकता है ।

कॉफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—समाप्त

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कॉफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेगी ।

श्री केशवैयंगार (बंगलौर उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि किसी भी दृष्टिकोण से, यह एक ऐसा उद्योग है जोकि कृषि उद्योग के समान है और छोटे उत्पादक इस को चलाते हैं अतः यह उद्योग सरकार द्वारा सहायता दिये जाने का अधिकारी है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं इस वस्तु की प्रकृति के विचार से यह कहूंगा कि कॉफी एक बहुत आवश्यक वस्तु नहीं है और न ही यह एक आवश्यक वस्तु है । इस के साथ ही हमें अन्य तथ्यों पर भी विचार करना पड़ता है । इस वस्तु

[श्री केशवैयंगार]

के निर्यात से हमें बहुत से डालरों की आय होती है । उपभोक्ताओं पर विचार करते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि केवल कुछेक धनी लोग ही इस वस्तु का प्रयोग करते हैं । यह जन साधारण का पेय नहीं है । हमारे देश के ३६ करोड़ लोगों में से कठिनता से १ प्रतिशत व्यक्ति इस का प्रयोग करते हैं ।

दूसरे इस का विक्रय भी सारी दुनियां में हो सकता है । सारी दुनियां में जो उत्पादन होता है उस का केवल १ प्रतिशत ही भारत में उत्पादन होता है । परन्तु यह १ प्रतिशत कॉफ़ी जो भारत से विदेशों को निर्यात होती है, इतनी उत्तम प्रकार की होती है कि वे लोग इस में ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिणी अफ्रीका से आयात की हुई कॉफी मिला देते हैं । इस से हमें इस की विशेषता के महत्व का पता चलता है, अतः सरकार को इस उद्योग के कल्याण के लिये प्रत्येक संभव उपाय करना चाहिये ।

इस विधेयक द्वारा कॉफी बोर्ड में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने हैं । मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इन परिवर्तनों की आवश्यकता बताने की कृपा करेंगे । इन के लिये, मेरे विचार में कोई शीघ्रता नहीं होनी चाहिये । क्या यह बोर्ड ठीक काम नहीं कर रहा है अथवा इस ने काम करना बन्द कर दिया है । यदि आप वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का प्रतिवेदन पढ़ें जोकि कॉफी बोर्ड के कार्य पर उन्हों ने प्रस्तुत किया था तो आप को ज्ञात हो जायगा कि मंत्रालय ने बोर्ड के कार्य की भूरि भूरि सराहना की है ।

इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि बोर्ड ने इस उद्योग को पुनर्जीवन प्रदान किया है और वास्तव में इस वस्तु का अधिक उत्पादन और विस्तार से उगाया जाना इसी बात का एक प्रमाण है कि उद्योग फिर से स्थिर हो गया है ।

जब हम बोर्ड के कार्य को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि १९४० में कॉफी १,८३,००० एकड़ भूमि में उगाई गई थी और १९५२ में यह क्षेत्र २,५०,००० एकड़ हो गया। १९४० में इस का उत्पादन १५,५५० टन था और इस वर्ष २९,००० टन हो गया है । १९४० में इस उद्योग में ९९,००० श्रमिक थे और १९५० में यह संख्या २ लाख तक पहुंच गई । यह सब सिद्ध करता है कि इस बोर्ड का कार्य संतोषजनक रहा है । किन्तु मुझे एक प्रकार से संतोष नहीं है । इस उद्योग में लगभग २,५०,००० श्रमिक काम करते हैं और उन के वेतन का वार्षिक बिल ३,५०,००,००० रुपये होता है । इस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अवस्था सन्तोषप्रद नहीं है । उन की इस अवस्था को सुधारने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में परिवर्तन का मुख्य कारण यह है कि इस बोर्ड के संचालन में सरकार का कोई हाथ नहीं है । वह किसी भी बात का सूत्रपात नहीं कर सकती । परन्तु मैं नहीं समझ सकता कि वह क्या आरम्भ नहीं कर सकती ! वास्तव में पहले इस बोर्ड में दो सरकारी सदस्य थे । विधेयक को पुरःस्थापित करते समय माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि 'मुझे इस सम्बन्ध में कई कठिनाइयां हैं और मेरे पास वास्तव में कोई अधिकार नहीं हैं ।' दूसरे प्रक्रम में उन्हों ने कहा था कि पहले भारत सरकार के तीन प्रतिनिधि होते थे जिन का बोर्ड में पर्याप्त प्रभाव था ।

परन्तु सरकार ने अब इन दोनों पदाधिकारियों को वापस ले लिया है और अब प्रत्येक सदस्य को नामनिर्देशन के आधार

पर इस में रख जाने का विचार है । क्या यह कोई उचित बात है ? अब भी इस बोर्ड में मुख्य कॉफी विक्रय पदाधिकारी सरकारी ही है और सरकार यदि कुछ श्रमिक सुधार करना चाहे तो अब भी कर सकती है । यदि इस के लिये किसी अधिकार की आवश्यकता हो, तो उस प्रयोजन के लिये एक विधेयक रखा जा सकता है । परन्तु ऐसा तो किया ही नहीं जा रहा है । अब हमारे कॉफी बोर्ड का प्रधान एक निर्वाचित व्यक्ति है, परन्तु उस के स्थान में एक व्यक्ति वेतन पर रखना अत्यन्त अनुचित है ।

वास्तव में कॉफी उत्पादकों ने इस बोर्ड को अपना प्रन्यासी बनाया हुआ है और इस बोर्ड द्वारा सारा माल एक स्थान पर एकत्रित कर के विक्रय हो जाता है । इस प्रकार इस बोर्ड को उत्पादकों के हितों का ध्यान भी रखना पड़ता है । परन्तु श्रमिक, जो इस उद्योग में बराबर के हिस्सेदार हैं का ध्यान भी रखा जाना आवश्यक है पर परन्तु बोर्ड के निर्वाचित प्रधान के स्थान पर एक वेतन पाने वाला अधिकारी नियुक्त कर के इस बोर्ड को बेकार बनाया जा रहा है । ऐसा अधिकारी कोई उत्तरदायित्व नहीं समझेगा ।

यदि सरकार अधिकारों को ही चाहती है तो इस बोर्ड को समूलतः समाप्त किया जा सकता है । उस से मेरे विचार में कॉफी उत्पादकों के हितों को हानि नहीं होगी । अभी १ नवम्बर को मैसूर के छोटे काफी उत्पादकों ने यह विचार प्रकट किया है कि जब तक बागान जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त न हो जाय तब तक हमें यह विधेयक रोक लेना चाहिये । इसी प्रकार का एक संकल्प श्री दामोदरन की अध्यक्षता में पारित हुआ है । मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाय । हमें बागान जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

दूसरे छोटे कॉफी उत्पादकों को इस में प्रतिनिधित्व देने के लिये नामनिर्देशन की प्रणाली अपनाई जायेगी । परन्तु मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यदि उन्हें प्रतिनिधित्व देना है तो उन्हें अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की आज्ञा होनी चाहिये । इस प्रकार के संविहित निकायों में कई वैध श्रम संस्थाओं के सदस्य निर्वाचन द्वारा आते हैं । इस संबंध में भी इसी प्रकार के नियम आदि बनाये जा सकते हैं और छोटे छोटे उत्पादकों को निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है परन्तु इस विधेयक द्वारा तो प्रत्येक प्रतिनिधि है नामनिर्देशित होगा ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें यह सब करते हुए चाय बोर्ड का ध्यान नहीं रखना चाहिये । कॉफी एक पृथक उद्योग है । सारे बोर्ड एक ही नियम के अन्तर्गत बनाये जाने आवश्यक नहीं हैं । यह एक बिल्कुल अलग प्रकार का उद्योग है और इस के लिये औरों से कुछ भिन्न प्रकार का बोर्ड बनाने में कोई हानि नहीं है ।

मेरा यह सुझाव है कि इन परिस्थितियों में हमारे लिये जांच समिति के पूरे प्रतिवेदन के प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करना बड़ा आवश्यक है । इन शब्दों के साथ मैं सभा से अपने संशोधन को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने के लिये कहने से पूर्व मैं इस का समय नियत कर देना चाहता हूं । इस विधेयक के लिये आज ४½ घंटे सुरक्षित रखे गये हैं । इस में से आधा घंटा मंत्री महोदय के उत्तर के लिये और एक घंटा खण्डों पर विचार के लिये रख लिया जाये और शेष तीन घंटे तक अर्थात् १२-३० म० प० से ३-३० म० प० तक हम सामान्य चर्चा करेंगे ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

माननीय सदस्य पन्द्रह मिनट में अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें ।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोड) : मैं ने प्रवर समिति के प्रतिवेदन में एक विमति टिप्पण लिखा है । मेरा विमति टिप्पण मुख्यतया दो बातों के सम्बन्ध में है जिन का कि माननीय मंत्री ने कल अपने भाषण में उल्लेख किया था ।

पहली बात बोर्ड के प्रधान की नियुक्ति या चुनाव के सम्बन्ध में है । माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि बोर्ड का प्रधान नियुक्त किया जाना चाहिये और वैतनिक होना चाहिये और वर्तमान अधिनियम के अनुसार बोर्ड के द्वारा निर्वाचित नहीं होना चाहिये । मैं उन के इस विचार से सहमत नहीं हूं । मुझे यह भय है कि यदि बोर्ड का प्रधान सरकार द्वारा नियुक्त किया गया तो यह वाणिज्य मंत्रालय का एक अंग बन जायेगा । निर्वाचित प्रधान का कार्य असन्तोषजनक होने के सम्बन्ध में किसी ने कुछ नहीं बताया और न ही किसी ने यह कहा है कि वह उद्योग के विकास में बाधक है । यदि सरकार इसे मंत्रालय का अंग ही बनाना चाहती है तो अच्छा यह रहेगा कि सारे बोर्ड को ही तोड़ दिया जाय और इस के स्थान में एक सरकारी विभाग खोल दिया जाये ।

निर्वाचित प्रधान सामान्यतया कोई गैर-सरकारी व्यक्ति होगा और बोर्ड में गैर-सरकारी दृष्टिकोण का होना कॉफी उद्योग के लिये लाभप्रद ही है । नौकरशाही के ढांचे में सामान्यतया सरकार नियक्त पदाधिकारी की सलाह को मान कर ही कोई निर्णय कर लेती है । यदि सरकार प्रधान को नियक्त करेगी तो उसी की सलाह के अनुसार निणय किये जायेंगे । किन्तु मुझे यह चीज़ अच्छी नहीं लगती । सम्भव है कभी बोर्ड और उस के प्रधान की राय में मतभेद हो । अतः सरकार को प्रत्येक प्रश्न के सम्बन्ध में उस के गुणदोषानुसार स्वविवेक से ही कोई निर्णय करना चाहिये और इस के लिये गैर-सरकारी प्रधान का होना अच्छा है ।

मुझे यह समझ नहीं आता कि सरकार ऐसी पदार्थ समितियों पर इतनी अधिक अपनी इच्छा क्यों थोपना चाहती है । इन्हें तो सरकार को अधिकाधिक स्वायत्त बनाना चाहिये । मैं समझता हूं कि किसी विभागीय व्यक्ति को बोर्ड के कार्य-संचालन का भार सौंपना देश और उद्योग दोनों के लिये हितकर नहीं है ।

माननीय मंत्री ने कल कहा था कि एकरूपता के लिये भी काफी बोर्ड के प्रधान का नियुक्त किया जाना आवश्यक है । किन्तु मैं समझता हूं कि इस में एकरूपता की कोई आवश्यकता नहीं है । व्यक्तिगत रूप से मेरा यह विचार है कि बोर्ड का प्रधान निर्वाचित होना चाहिये और उसे बोर्ड के कुछ मामलों में स्वविवेक के प्रयोग का अधिकार होना चाहिये तथा कॉफी को बेचने और उस का मूल्य निश्चित करने के सम्बन्ध में पहल करने की छूट होनी चाहिये । बोर्ड मुख्यतया उत्पादक के हितों की रक्षा करने के लिये बनाया गया था और उस ने अपने कर्तव्य को सन्तोषजनक रूप से पूरा किया है । उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कॉफी का मूल्य निर्धारित कर के की जा सकती है जिस के लिये सरकार के पास काफी अधिकार हैं ।

वास्तव में कॉफी बोर्ड में उत्पादकों का बहुमत भी नहीं है । अतः सरकार को उन से उपभोक्ता के हितों को हानि पहुंचने का भय भी नहीं होना चाहिये । उपभोक्ता

के हित में ही तो उत्पादक का भी हित निहित होता है। अतः यदि बोर्ड का प्रधान निर्वाचित हो, तो बोर्ड में उत्पादकों का प्रभुत्व होना आवश्यक नहीं क्योंकि तेंतीस में से उत्पादकों के प्रतिनिधि केवल बारह होंगे।

१ म० प०

मैं मंत्री जी के इस तर्क से सन्तुष्ट नहीं हूं कि बोर्ड का एक नियुक्त सभापति हो।

अब मैं बोर्ड में उत्पादकों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर आता हूं। माननीय मंत्री नामनिर्वाचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि नाम-निर्वाचन एक तालिका के द्वारा होगा जिसे उगाने वालों का संगठन राज्य सरकारों को प्रस्तुत करेगा। किन्तु मेरे विचार से उन्हें अपने सर्वोत्तम व्यक्तियों को भेजने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। सरकार को इस बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। सरकार उगाने वालों की सलाह लेना चाहती है तथा उन की समस्याओं को हल करना चाहती है। यदि ऐसा है तो वह पुराना नियम नहीं बदलना चाहिये, जिस के अनुसार उगाने वालों के संगठनों को अपने नामनिर्वाचित व्यक्ति भेजने की स्वीकृति दी जा चुकी है। यह बताया गया है कि यदि विभिन्न राज्यों के उगाने वालों को बोर्ड में नामनिर्वाचन का अधिकार दिया जायेगा तो छोटे पैमाने के उगाने वालों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। मेरे विचार से बड़े या छोटे उगाने वालों में कोई विरोध नहीं है। प्रवर समिति के सम्मुख रखे गये साक्ष्यों के अनुसार भी उन में कोई विरोध नहीं है। इस का यह तात्पर्य नहीं है कि उन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उन के प्रतिनिधियों को भी बोर्ड में स्थान मिलना चाहिये। यह उचित नियमों की रचना कर के हो सकता है जिस का कि सरकार को अधिकार है।

दूसरी बात यह है कि उपयुक्त उगाने वालों के संगठनों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में भेजने से देश में तथा कहवा उद्योग में उगाने वालों के संगठनों का विकास होगा। छोटे पैमाने के उगाने वालों को सहकारी सभायें बनाने, तथा बड़े पैमाने के उगाने वालों को, उगाने वाले संगठनों का सदस्य होने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। इस के लिये यह आवश्यक है कि उगाने वालों के संगठनों के अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जाय। इसलिये मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव दूंगा कि वह उस संशोधन को स्वीकार कर लें जिस के अनुसार बोर्ड में उगाने वालों के प्रतिनिधि सच्चे प्रतिनिधि हों, न कि नामनिर्वाचित हों।

यह भी सुझाव दिया गया है कि पिछले वर्षों में बोर्ड ने उचित रूप से कार्य नहीं किया। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस का ज़िक्र किया है। बोर्ड पर आरोप लगाना अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार को बोर्ड के प्रत्येक निर्णय को अस्वीकार करने, बदलने अथवा संशोधित करने का पूरा अधिकार है। सरकार का अपना आदमी प्रधान बिक्री अधिकारी, इस के लिये जिम्मेदार है।

मैं माननीय मंत्री को यह बता दूं कि मैं वियानाद में अपने दौरे के आधार पर यह कह सकता हूं कि सामान्यतः वहां के कहवा उगाने वालों में बोर्ड के पुनर्गठन की प्रणाली पर गहरा असन्तोष है।

वे लोग बहुत थोड़ी रियायतें चाहते हैं। वे एक निर्वाचित प्रधान चाहते हैं। वे बोर्ड में अपने प्रतिनिधि चाहते हैं। माननीय मंत्री इन बातों पर सहमत क्यों नहीं हो जाते जबकि इन से सन्तोष तथा सहयोग की भावना फैलेगी, और जिस के अभाव से इस उद्योग पर घातक प्रभाव पड़ेगा।

[श्री दामोदर मेनन]

मुझे एक बात और कहनी है। इस धारा में केन्द्रीय सरकार के कहवा बोर्ड के कर्मचारियों की नौकरियों की शर्तों, वेतन तथा भत्ते इत्यादि के सम्बन्ध में नियम बनाने का उपबन्ध है। सारे देश में बहुत से कहवा-घर खुले हुए हैं, जहां हाल के वर्षों में खपत बहुत बढ़ गई है ; किन्तु विशेषकर बड़े नगरों के कहवा घरों के कर्मचारियों की अवस्था बड़ी दयनीय है। आशा है, माननीय मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे।

इन नियमों में कहवा श्रम संघ को मान्यता देने का भी उपबन्ध होना चाहिये। इस से कहवा बोर्ड के कर्मचारियों की दशा में सुधार होगा। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री को यह अग्रेतर सुझाव दूंगा कि वे श्रम प्रतिनिधि नियुक्त करते समय कहवा बोर्ड के कर्मचारियों का भी एक प्रतिनिधि लें।

श्री एन० एम० लिंगम् : मेरे विचार से इस विधेयक के तीन विवादास्पद विषय ये हैं : कहवा बोर्ड का गठन, सभापति की नियुक्ति तथा केन्द्रीय सरकार से बोर्ड का परामर्श। पहिले दो वक्ताओं ने सभापति के निर्वाचन पर बहुत ज़ोर दिया है, मानो हम प्रत्येक वस्तु को निर्वाचन के सिद्धान्त पर अड़े रह कर प्राप्त करना चाहते हैं। हम कुशलता चाहते हैं इसलिये हमें कहवे की कृषि की भूमि में वृद्धि करने, गवेषणा करने, रोग के नियंत्रण तथा विक्री के सुधार की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

दूसरा प्रश्न बोर्ड के सभापति की नियुक्ति का है। यद्यपि हम सभापति का निर्वाचन कर सकते हैं फिर भी, वास्तव में, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सभापति के होने से कोई हानि नहीं है।

यदि बोर्ड का कोई सदस्य सभापति निर्वाचित होगा तो वह बोर्ड के किसी एक या दूसरे अंग के दृष्टिकोण को अपना लेगा। इसलिये कहवा बोर्ड के उचित कार्य करने की दृष्टि से भी सभापति का नियुक्त किया जाना अच्छा है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रधान कहवा विक्री अधिकारी को भी कहवा बोर्ड में उत्पन्न कई असामान्य परिस्थितियों का निपटारा करने में कठिनाई हुई है। इसलिये सरकार ने अनुभव से ही वैतनिक, पूरे दिन कार्य करने वाले सभापति की नियुक्ति का विचार किया है।

हम इन उद्योगों के विकास की जबरदस्त योजनायें प्रारम्भ कर रहे हैं। इस विधेयक के एक उपबन्ध के अनुसार सीमा तथा उत्पादन शुल्क ६ रुपये प्रति हंडरवेट है। यह बहुत अच्छा उपबन्ध है। यदि इस का उद्योग के विकास तथा गवेषणा में उचित उपयोग किया गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस से इस उद्योग का बहुत कल्याण होगा।

इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव दूंगा कि यदि आवश्यक हो तो बजट को प्रस्तुत करते समय उत्पादन तथा सीमा शुल्क के अलावा सामान्य तथा संचित निधि से अधिक धन देने को कहा जाय। जिस से कहवा के क्षेत्रों का विकास तथा विस्तार हो सके। मैं विशेष रूप से इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं कि निदेशक बोर्ड के सदस्य के लिये छोटे पैमाने के कहवा उगाने वालों में से भी किसी को नामनिर्वाचित किया जाय। मंत्रालय तथा बोर्ड के पिछले सम्बन्धों को भुला देना चाहिये, क्योंकि वे असामान्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुए ; और जब दाम बहुत ऊंचे चढ़ गये तो मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा किन्तु विधेयक

में एक उपबन्ध यह है कि बोर्ड से सामान्य परामर्श लिया जायेगा तथा किसी भी मंत्री का अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना भला मालूम नहीं होगा। इसलिये किसी पर दोषारोपण करना अथवा गड़े मुर्दे उखाड़ना अच्छा नहीं है। हमारे अपने उद्देश्य तथा लक्ष्य हों जिस से कि यह उद्योग सम्पन्न तथा समृद्ध हो।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : मुझे दुख है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन जिस में महालेखा-परीक्षक द्वारा, निरीक्षण का उपबन्ध था, अनियमित करार दिया गया।

जिस बागान उद्योग से हम सम्बन्धित हैं, उस में कई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं। उस में पूंजी है, श्रम है, उपभोक्ता हैं, तथा देश का निर्यात व्यापार है जिस में राज्य तथा राष्ट्र रुचि रखता है। इस के अलावा बेगार का भी प्रश्न है। यदि श्रमिक लंका से लौटेंगे तो हमें उन्हें खपाना है। प्रवर समिति को इन सभी अन्तर्ग्रस्त प्रश्नों का पता था तथा उस ने उन सभी उलझे हुए प्रश्नों को निपटाने का प्रयत्न किया। प्रवर समिति से बाहर आने के पश्चात् यह विधेयक सभा को अधिक मान्य हो गया। इस के अलावा भी इस में बोर्ड से परामर्श करने के लिये विस्तृत उपबन्ध हैं जिस से कि सारे भ्रम दूर हो जायें। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री जी यदि उद्योग के कार्य को सफल बनाना चाहते हैं तो इसे अपनी इच्छानुसार चलायें, साथ ही मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह उन दृष्टिकोणों को स्वीकार कर लें जोकि कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने रखे हैं। यदि कहवा बोर्ड के नाम-निर्देशन के मामले में कुछ ढील दी जाय तो बहुत-सा विरोध समाप्त हो जायेगा। इस से अधिनियम के सफलतापूर्वक लागू होने में सफलता मिलेगी जोकि मंत्री जी का प्रमुख उद्देश्य है।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : दुर्भाग्य से मैं प्रवर समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सका तथा उगाने वालों, उपभोक्ताओं और श्रमिकों के विचार उन के समक्ष नहीं रख सका। इस सम्बन्ध में मैं उगाने वालों के दो संकल्प जो उन्हों ने ३० जनवरी, १९५४ को वाइनाड के कहवा उगाने वालों के अभिसमय में पारित किये थे प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रथम संकल्प में कहा गया है :—

> "कि दक्षिण भारत के कॉफ़ी उगाने वाले कॉफ़ी का मूल्य नियत करने, बिक्री करने और उस के निर्यात करने के सम्बन्ध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के रवैये का विरोध करते हैं।"

संकल्प संख्या ७ में कहा गया है :—

> "कि कॉफ़ी-उत्पादकों को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की नीति से बड़ा असन्तोष है तथा वे प्रधान मंत्री से अपील करते हैं कि वे 'कॉफ़ी' को 'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय' को हस्तान्तरित कर दें।"

वे यह नहीं चाहते कि इस विषय को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संभाले। अतः उन्होंने प्रधान मंत्री से इस विषय को किसी और मंत्रालय का हस्तान्तरित करने की अपील की है। आइये हम देखें कि इस सम्मेलन में कौन कौन भाग ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब इस विधेयक से कैसे संगत है ? मैं केवल वही बातें कहने दूंगा जो इस प्रश्न से संगत होंगी। माननीय सदस्य केवल चर्चागत विषय पर ही बोलें।

श्री नम्बियार : अब मैं मुख्य बात लेता हूं। हम नहीं चाहते कि बोर्ड के सदस्यों का नाम-निर्देशन किया जाय। उन का चुनाव होना चाहिये।

सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि उपभोक्ता को सस्ती दरों पर कॉफ़ी उपलब्ध हो सके और देश में कॉफी की खपत के लिये प्रोत्साहन मिल सके। इस के साथ साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्पादक को उचित मूल्य प्राप्त हो। ऐसे संगठन से क्या लाभ यदि उस से उपभोक्ता, उत्पादक या श्रमिक किसी को भी फायदा न पहुंचे ?

कॉफी बोर्ड के श्रमिकों की संख्या लगभग १२०० है। परन्तु उन की दशा बड़ी शोचनीय है और उन को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। इन्हीं कर्मचारियों पर प्रचार, विपणन, गवेषणा इत्यादि का उत्तरदायित्व है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन हालतों के रहते हुए इस उद्योग का विकास कैसे हो सकता है। अतः मैं चाहता हूं कि कॉफी बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा नियत किये गये वेतनों के अनुसार ही कर दिया जाये।

माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया था कि बोर्ड उन के नियंत्रण में नहीं है तथा उस सम्बन्ध में उन को कोई कार्यपालिका सम्बन्धी प्राधिकार नहीं है। वे केवल बोर्ड को सलाह ही दे सकते हैं। परन्तु उन की यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरा ख्याल तो ऐसा है कि उन को इस सम्बन्ध में पूरा अधिकार है और वे बोर्ड से यह कह सकते हैं कि वह कर्मचारियों के साथ अच्छा बर्ताव करे और उन की सुविधाओं का ध्यान रखे।

मेरा निवेदन है कि बोर्ड के कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा तय किये गये वेतन दिये जायें और भारत कॉफी बोर्ड कार्मिक संघ को मान्यता दी जाये जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया, मंत्रालय तो उस की मान्यता का अनुमोदन करता है, मैं चाहता हूं कि बोर्ड को भी उसे मान्यता देने के लिये कहा जाये।

जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह सभा के लिये किसी प्रकार मान्य नहीं है क्योंकि इस से उद्योग के विकास के लिये कुछ भी उपाय नहीं सोचा गया है और सम्पूर्ण काफ़ी संगठन मंत्रालय का एक विभाग सा बन जाता है जहां उत्पादकों और उपभोक्ताओं की कोई आवाज़ नहीं होगी और नाम-निर्देशित सदस्य मंत्रालय के संकेतों पर चलेंगे। इस विधेयक के सम्बन्ध में जो भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उन के बारे में मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सहृदयतापूर्वक विचार करें और उन को केवल यह कह कर ही न टाल दें कि विपक्षी दल वाले तो ऐसा कहते ही रहते हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि उद्योग का तथा जनता का ध्यान रखने वाले अनेक पुराने कांग्रेस जनों ने भी इस विधेयक का विरोध किया है।

कुमारी एनी मैस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : वर्तमान विधेयक जिस उद्देश्य से बनाया गया है, उस के बारे में मैं यह स्वीकार करती हूं कि यह विधेयक उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकेगा जिन का सामना मंत्रालय गत दो या तीन सालों से बराबर कर रहा था। इस से निस्सन्देह उपभोक्ता को फायदा होगा, यद्यपि उत्पादकों के दृष्टिकोण से यह विधेयक कुछ सख्त है। अपने देश में यद्यपि कॉफ़ी का भाव अन्य देशों के मुकाबले में ३० या ३५ प्रतिशत कम ही है, परन्तु फिर भी यह मामूली आदमी की सामर्थ्य के बाहर है। ऐसी स्थिति में यह विधेयक वस्तुतः महत्वपूर्ण है।

किन्तु इस विधेयक में कुछ दोष भी हैं जिन्हें दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। बोर्ड के संगठन के सम्बन्ध में जिस नीति का प्रतिपादन किया गया है, वह लोकतंत्र के सिद्धान्त से एकदम विपरीत हो कर सर्वाधिकारवादिता की पुष्टि करती है। माननीय मंत्री ने नाम-निदशन के द्वारा बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति का विचार किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस सिद्धान्त को लागू करने के समय माननीय मंत्री ने क्या सोचा। मैं उन से पूछना चाहती हूं कि क्या यह उचित है कि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नामनिर्देशन द्वारा हो। अतः मैं उन से निवेदन करती हूं कि वे इस विधेयक को युक्तिसंगत ठहराने के लिये नामनिर्देशन तथा निर्वाचन के सिद्धान्त को मिश्रित नीति के रूप में स्वीकार कर लें।

सरकार ने बोर्ड के अध्यक्षपद के लिये जो वैतनिक अध्यक्ष की व्यवस्था की है, वह उचित है और इस से कॉफी उद्योग के हितों की रक्षा हो सकेगी।

इस विधेयक में एक दोष यह है कि इस में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो बागान स्वामियों को उत्पादन में बाधा उत्पन्न करने से रोक सके। क्योंकि यह विधेयक उत्पादकों के दृष्टिकोण से तो बनाया नहीं गया है, अतः यह सम्भव है कि अधिनियम बन जाने पर इस विधेयक का उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़े और वे उत्पादन बढ़ाने में बजाये योग देने के बाधा उत्पन्न करने लगें। ऐसी स्थिति को रोकने के लिये इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

आय के सम्बन्ध में खण्ड १३ और १८ में बताया गया है कि इस का उपयोग उद्योग के विकास हेतु किया जायेगा। गवेषणा कार्य तथा विकास सम्बन्धी कुछ खण्ड अवश्य हैं, परन्तु फिर भी विधेयक को पढ़ने से मुझे ज्ञात होता है कि आय का अधिकांश मात्रा में उपयोग बोर्ड स्वयं अपने लिये करेगा। माननीय मंत्री सभा के समक्ष इस सम्बन्ध में एक विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें कि बोर्ड की देख-रेख में इस उद्योग ने पिछले सालों में कितनी उन्नति की है। माननीय मंत्री ने बताया था कि छोटे २ उत्पादकों को कोई लाभ नहीं हुआ, परन्तु बोर्ड ने इस बात का खण्डन किया है। वास्तव में यह मामला विचारणीय है। सरकार को इस बात की ओर भी ध्यान देना है कि वह किस रूप में उद्योग के विकास के लिये उपकर से प्राप्त होने वाली इस आय का उपयोग करेगी। इन बातों के अतिरिक्त यह विधेयक ठीक ही है और इस में सरकार का हस्तक्षेप है। किन्तु यह हस्तक्षेप सर्वाधिकारवादिता पर आधारित न हो कर लोकतंत्र के सिद्धान्त के अनुकूल होना चाहिये। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस विधेयक में आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

श्री वेलायुधन : मैं इस विधेयक के द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत हूं, यद्यपि कुछ मेरे साथियों ने इस पर सर्वाधिकारवादिता का आरोप लगाया है। बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों का नामनिर्देशन इसलिये ज़रूरी समझा गया, क्योंकि बोर्ड का काम सुचारु रूप से नहीं चल रहा था। वस्तुतः इस विधेयक से कॉफी उद्योग से सम्बन्धित सभी हितों की रक्षा होगी। नाम-निर्देशन की व्यवस्था से लोकतंत्र के सिद्धान्त का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं होता। विधान मण्डलों, पंचायतों, तथा जिला बोर्डों के सम्बन्ध में तो यह व्यवस्था निस्सन्देह बुरी है, परन्तु बोर्ड के सम्बन्ध में, जिस का सीमित प्रयोजन है तथा जिस को कॉफी के उत्पादन, उद्योग के विकास अथवा उपभोक्ता सम्बन्धी मामलों में भी बड़े अधिकार नहीं हैं, यह व्यवस्था किसी प्रकार भी अनुचित नहीं है।

[श्री वेलायुधन]

मैं कुछ शब्द उपभोक्ता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । भारतीय कॉफी बोर्ड की स्थापना १९४० में हुई थी तब से केवल उत्पादकों के अलावा इस ने उपभोक्ताओं और श्रमिकों के लिये कुछ भी नहीं किया है । कॉफी की कीमत में निरन्तर वृद्धि कर के इस ने उत्पादकों की खूब सहायता की है । जब कभी देश में कॉफी की कमी हुई और उस की कीमत बढ़ी, उत्पादकों ने हमेशा ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिस से कॉफी बेचने से उन को अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो सके । उन की इस प्रकार की कार्यवाही से उपभोक्ता को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही विदेशों में हमारे बाज़ार भी खत्म हो गये, क्योंकि कॉफी की कमी को देखते हुए उत्पादकों ने यह विचार किया कि इस को यहीं बेचने से अधिक धन की प्राप्ति हो सकेगी ।

कॉफी बागान के श्रमिकों की दशा बड़ी करुणाजनक है । यही हालत चाय और रबड़ के बागानों के श्रमिकों की है । इन की दशा को देखने से यही आभास मिलता है कि जितना शोषण यहां किया जा रहा है उतना किसी भी अन्य उद्योग में नहीं किया जाता है । कॉफी, चाय और रबड़ के बागान पहाड़ियों पर हैं, जहां मलेरिया बहुत होता है, परन्तु इन बेचारे श्रमिकों को कोई भी चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । शिक्षा के सम्बन्ध में भी यही बात है । प्रबन्धकर्ता इस की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहते और यह कह कर टाल देते हैं कि शिक्षा का प्रबन्ध करना तो सरकार का काम है । मुझे खेद है कि ये श्रमिक प्रारम्भ से ही उपेक्षित रहे हैं । इन के वेतन कम हैं और प्रबन्धक इन के प्रति इतने निर्दयी हैं कि इन की दशा को देख कर दया आती है । यही कारण है कि यहां श्रमिकों और प्रबन्धकों में कभी मेल नहीं है, परन्तु फिर भी श्रमिकों को काम करना पड़ता है क्योंकि प्रबन्धक पुलिस की सहायता से उन को दबाये रहते हैं । अतः अब इस कॉफी बोर्ड को, जिस में श्रमिकों के भी कुछ प्रतिनिधि होंगे, इस मामले की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

इस के पश्चात् भारत कॉफी गृह के बारे में कुछ शब्द कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा । भारत कॉफी गृह की स्थापना मेरे राज्य के एक नागरिक ने ही की थी और यह देश की अग्रिम वाणिज्य संस्थाओं में से एक है । इस का प्रबन्ध सरकार करती है । इस समय इस में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं, जिन की ओर सरकार, वाणिज्य मंत्री और उत्पादकों का ध्यान आकर्षित करना ज़रूरी है ।

इस कॉफी गृह के चतुर्थ श्रेणी के श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है, उदाहरणतः १६ या १७ रुपये महीने । सरकारी नौकरी में इस वर्ग के कर्मचारी को ३० या ३५ रुपये दिये जाते हैं और भत्ता आदि मिला कर उस को ९५ रुपये मिलते हैं । मैं चाहता हूं कि भारत कॉफी गृह के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी यही वेतन दिया जाये ।

इन कर्मचारियों की आवास व्यवस्था की ओर दृष्टिपात करने से भी हम यही दशा देखते हैं । उन के लिये पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली में जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, वे बहुत छोटे हैं और एक एक क्वार्टर में आठ या बारह आदमियों को रहना पड़ता है । यह बुरी अवस्था इसलिये नहीं है कि कॉफी बोर्ड के पास साधनों की कमी है अपितु वे अपने कर्मचारियों के कल्याण में दिलचस्पी ही नहीं लेते ।

अब सरकार के पास शक्ति आ रही है और वह सब अधिकार अपने हाथों में ले रही है, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि बड़े बड़े हितों के सामने श्रमिकों आदि के हितों का हनन न हो । यहां पर सरकार केवल प्रन्यासी के रूप में ही काम करेगी । मैं नहीं समझता कि इस से किसी प्रकार लोकतंत्र के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है ।

प्रसंगवश, इस भारत कॉफी गृह के बारे में मैं एक बात और कहता हूं और आशा करता हूं कि मैसूर से आने वाले सदस्य मेरी इस बात पर आपत्ति नहीं उठायेंगे । इस के संस्थापक, डा० साइमन, की मृत्यु के बाद से इस में मैसूर के लोगों का प्रभुत्व होता जा रहा है और वे शनैः शनैः अन्य लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं; इस के अलावा भी कॉफी गृह में बहुत सी बुराइयां तथा पक्षपात की बातें आ गई हैं ।

इन सब बातों को देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि सरकार कुछ दिनों तक पूंजीपतियों और कर्मचारियों के बीच प्रन्यासी का काम करे ताकि ये सारे दोष दूर हो जायें । मुझे आशा है कि यह विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा । अतः मैं इस का समर्थन करता हूं ।

श्री एन० सोमना : माननीय सदस्य श्री लिंगम् ने इस विधेयक के ये तीन पहलू कि ही बताये हैं—बोर्ड के सभापति की नियुक्ति, बोर्ड के सदस्यों का नाम-निर्देशन तथा बोर्ड से कुछ विषयों पर परामर्श । इन तीनों ही बातों पर प्रवर समिति ने जो सिफारिशें की हैं मेरा उन से मतभेद है । मेरे इस मतभेद का मुख्य कारण है प्रवर समिति का इस बोर्ड के पिछले बारह वर्षों के कार्य-संचालन को न समझ सकना ।

इस बोर्ड की स्थापना हुए १३ वर्ष हो चुके हैं तब से भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य विपणन अधिकारी तथा एक निर्वाचित सभापति द्वारा इस का संचालन सुचारु-रूप से किया जा रहा है ।

इस विधेयक के पूर्व इतिहास से पता लगता है कि भारत सरकार तथा कॉफी बोर्ड में कुछ मतभेद हो गया है, किन्तु माननीय मंत्री ने बताया कि इस का मुख्य कारण १९५२ में कॉफी के मूल्य का बढ़ जाना है । सभा के सदस्यों को बताया गया कि बोर्ड के सभापति के इंगलैण्ड में होने के कारण कॉफी के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं की जा सकी । किन्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रमुख कारण सरकार द्वारा ३,००० टन कॉफी विदेशों को भेजने के लिये कहने के कारण हुई । बोर्ड कॉफी का निर्यात नहीं करना चाहता था ताकि देश में इस की कमी न हो जाय तथा मूल्य न बढ़ जायें । किन्तु सरकार इस बात पर जोर देती रही कि स्टर्लिंग तथा डालर कमाने के लिये ३,००० टन कॉफी निर्यात की जाये । इसीलिये यह वाद-विवाद उत्पन्न हुआ जिस का परिणाम यह निकला कि बाजार में कॉफी का मूल्य बढ़ गया ।

मेरा विनम्र निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि यह बोर्ड निर्वाचित सभापति की अध्यक्षता में बड़े सन्तोषजनक ढंग से कार्य करता चला आ रहा था । अचानक ही यह मतभेद उत्पन्न हो गया और यह विधेयक प्रस्तुत किया गया । मेरा तो विचार यह है कि केवल मतभेद के परिणामस्वरूप इतने व्यापक विधेयक को रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी । १९५२ से ले कर अब तक बोर्ड के विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं की गई है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने भी भारतीय कॉफी बोर्ड की सुदृढ़

[श्री एन० सोमना]

स्थापना तथा उस के द्वारा कॉफी उद्योग की उन्नति की सराहना की है । बोर्ड के प्रयत्न से कॉफी के उत्पादन में वृद्धि पर भी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में प्रकाश डाला है ।

इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि १३ वर्ष के कार्य-काल में इस बोर्ड ने कॉफी उद्योग को फिर से स्थापित करने तथा अपने पैरों पर खड़ा करने में सन्तोषजनक कार्य किया है । कॉफी का उत्पादन १९४० में १५,५५० टन से बढ़ कर पिछले वर्ष २९,००० टन हो गया था । इसी प्रकार १९४० की तुलना में १९५० में मज़दूरों की संख्या में भी वृद्धि हो गई है । मेरी समझ में नहीं आता कि जब कॉफी उद्योग की ऐसी सन्तोषजनक स्थिति चल रही थी तो सरकार को हस्तक्षेप करने की बात क्यों सूझी ? हो सकता है कि अपना नियंत्रण करने के लिये सरकार ने अपनी टांग अड़ाई हो ।

बोर्ड में उत्पादकों के प्रतिनिधियों की सख्या तेंतीस में केवल बारह है । अतः मैं समझता हूं कि उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या कुछ अधिक होनी चाहिये जब तक ऐसा न होगा कॉफी उद्योग की उचित उन्नति होना कठिन है ।

दूसरी बात मुझे इस सम्बन्ध में यह कहनी है कि बोर्ड के सभापति के विरुद्ध सरकार को चाहे कुछ भी शिकायत रही हो, किन्तु सारे ही बोर्ड में यह परिवर्तन कर देना कि उस के सदस्य भी नामनिर्देशित हों, कुछ उचित नहीं जान पड़ता । आज के इस लोकतंत्रात्मक युग में इस प्रकार की कार्य-वाही पीछे ले जाने वाली ही होगी ।

माननीय मंत्री ने सभापति के विरुद्ध यह शिकायत की थी कि सरकार का मूल्य निर्धारण करने में यथोचित नि त्रण नहीं था । यदि केवल ऐसा ही था तो सरकार को मूल्य निर्धारण का अधिकार दिया जा सकता था, किन्तु उसे यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि बोर्ड के सभापति की नियुक्ति सरकार करेगी । जब इस बोर्ड में उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के प्रतिनिधि रहते हैं तो फिर उन की पसन्द का सभापति क्यों न होना चाहिये ? इस सब का मूल कारण सरकार का नियंत्रण करना ही जान पड़ता है ।

कॉफी वाणिज्य अथवा व्यापार की वस्तु न हो कर कृषि पदार्थ है जिस के उत्पादन में निरन्तर अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है । अतः उत्पादकों के हित का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा ।

मुझे दूसरी बात श्रम के सम्बन्ध में कहनी है । इस विषय में जो अधिनियम बना था वह श्रमिकों की अवस्था सुधारने के सम्बन्ध में न हो कर कॉफी के बाज़ार के विस्तृत बनाने के उद्देश्य से रखा गया था । कॉफी बागानों में काम करने वाले मजदूरों की मज़दूरी समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है । मुझे बताया गया है कि उन की मज़दूरी में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विधेयक रखा गया है । वास्तव में देखा जाय तो आज सरकार का बहुत कुछ नियंत्रण यों भी है क्योंकि कॉफी विपणन अधिकारी, जो बोर्ड का प्रभारी होता है, सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है । यदि सरकार यह समझती थी कि श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो वह कॉफी विपणन अधिकारी को निदेश दे सकती थी ।

मैं तो देखता हूं कि इस बोर्ड के १३ वर्षों के कार्य-काल में छोटे-छोटे उत्पादकों को काफी लाभ पहुचा है क्योंकि कॉफी के देते ही उन का सारा भुगतान कर दिया जाता है जबकि बड़े बड़े उत्पादकों का भुग-

तान किस्तों में किया जाता है । ऐसा इसलिये होता है कि छोटे उत्पादकों की आवश्यकतायें पूरी होती रहें । इस के अतिरिक्त छोटे उत्पादकों की ओर से एक बार भी शिकायत नहीं की गई । मैं नहीं समझता कि इस समय जिस प्रकार बोर्ड कार्य कर रहा है उस से छोटे उत्पादकों को कोई हानि हो रही है । अतः यह विधेयक व्यर्थ ही बोर्ड के सन्तोषजनक ढंग से कार्य करने में टांग अड़ाने वाला है, क्योंकि बोर्ड से किसी का भी अहित नहीं होता है । इस कारण यह विधेयक ऐसा है जिस का विरोध किया जाना चाहिये ।

श्री वेंकटरामन् (तंजोर) : कॉफी विक्रय विस्तार अधिनियम का निर्माण इस कारण हुआ था कि तमाम काफी का स्टाक देश में पड़ा हुआ था, जो विदेशों को भी नहीं भेजा जा सकता था । इस कारण उस का मूल्य बहुत गिर गया था । सभी उत्पादकों ने मिल कर एक संघ बनाया जिस का उद्देश्य सारी काफी को क्रय कर के स्वयं बेचना था जिस के कारण सारे ही उत्पादकों को इस संघ का आश्रय लेना पड़ा क्योंकि उत्पादक तो उचित मूल्य चाहता था और वह तभी मिल सकता था जबकि बाज़ार में उस का नियमित संभरण हो । अन्त में कॉफी उत्पादकों ने इसे अपने ऊपर नियंत्रण समझा, किन्तु वास्तव में यह उन के हित में था और इसीलिये इस अधिनियम को पारित किया गया था ।

अब सारी स्थिति में परिवर्तन हो चुका है । मूल्य घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है । निर्यात के द्वारा अब उत्पादक और भी अधिक मूल्य कमा सकते हैं ।

हम देखते हैं कि हमारे देश में ही कॉफी के उत्पादन में से जो २५,००० टन है, २०,००० टन यहीं खप जाता है । यह अधिनियम केवल मूल्यों को गिरने से रोकने के लिये बनाया गया था, किन्तु अब परिस्थिति यह हो गई है कि मूल्य पर नियंत्रण करना पड़ता है । १९४८ में निम्नतम मूल्य निर्धारित करना पड़ा था । अतः विधेयक में इसी की व्यवस्था की गई थी किन्तु आज परिस्थिति बदल चुकी है और उच्चतम मूल्य का विनियमन तथा नियंत्रण करना पड़ रहा है । अतः इस अधिनियम में परिवर्तन की आवश्यकता है ।

श्री सोमना ने बताया कि छोटे-छोटे उत्पादकों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है । प्रवर समिति को यह भली भांति विदित है कि इस प्रकार के नियम बनाये जाने चाहियें कि जिस से छोटे-छोटे उत्पादकों को संरक्षण मिल सके तथा उन का प्रतिनिधित्व हो सके । यदि ऐसा नहीं है तो प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश क्यों की है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

उस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे छोटे-छोटे उत्पादकों को बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये जो ५० एकड़ से कम के काफी बागानों के स्वामी हैं । प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट में छोटे-छोटे उत्पादकों, कोबस्ता के उत्पादकों, जो सस्ते प्रकार की काफी होती है तथा काफी को साफ करने वालों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है । श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही साथ उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की संख्या भी दो से तीन कर दी गई है । प्रवर समिति ने ऐसा इसलिये किया है जिस से सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके ।

सभा में इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया गया है कि हम कुछ पूंजीपतियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं कर सके हैं । श्री नम्बियार से तो मैं यह आशा करता

[श्री वेंकटरामन्]

था कि वे इस बात से सहमत होंगे कि बोर्ड में निहित स्वार्थों को स्थान नहीं मिलना चाहिये, किन्तु उन्होंने उन की जोरदार वकालत की इस से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यदि सरकार बड़े और छोटे उत्पादकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना चाहती है और भिन्न भिन्न लोगों के हितों को बचाना चाहती है तो उसे यह कु नामज़दगियां करके करना पड़ेगा। इन का निर्वाचन करना सम्भव नहीं है क्योंकि उन का कोई संघ नहीं है। उन हितों की व्यवस्था के लिये जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, संयुक्त प्लांटर्ज़ संघ जैसे पंजीकृत और मान्य संघों के निर्वाचन पर निर्भर करना ठीक न होगा।

यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि संघों का नियंत्रण कौन करता है।

वर्ष १९५३ में जब संयुक्त प्लांटर्ज़ संघ को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तो उन्हों ने काफी बोर्ड में एक भी भारतीय नहीं भेजा। इस प्रकार कैसे विश्वास किया जाये कि कॉफी पैदा करने वालों के हितों का उचित ध्यान रखा जायेगा। सब जानते हैं कि काफी उद्योग पर ६०० बड़े बड़े बागानों का ही नियंत्रण है और शेष २७,००० छोटे उत्पादकों की कोई पूछ नहीं है। यदि इन बागान मालिक संघों को प्रतिनिधि भेजने की अनुमति दी जाये तो और भी दबाव डालेंगे। ऐसा हो कि कुछ प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो और कुछ नामज़द किये जायें। विधेयक में नामज़दगी के जिस सिद्धान्त का सुझाव दिया गया है वह गलत अथवा देश के लिये अहितकर नहीं है।

अध्यक्ष दो प्रकार का हो सकता है। एक वह जो बैठकों की अध्यक्षता के अतिरिक्त और कुछ न करे, दूसरा जो उस निकाय का मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी हो। पूर्वोक्त से आप का काम नहीं चल सकता। इस प्रकार के बोर्ड का उद्देश्य होता है कि देश को उचित मूल्य पर वस्तु मिले और उद्योग का विकास तथा प्रगति हो। इस के लिये अध्यक्ष पद पर ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिये जिस पर बाह्य प्रभाव न पड़ सके। श्री दामोदर मोहन ने कहा कि उपभोक्ता और उत्पादक में कोई झगड़ा नहीं है। बोर्ड का सदस्य होने के नाते मैं जानता हूं कि यह झगड़ा सदा ही चला रहता है और जब तक अध्यक्ष कोई स्वतंत्र व्यक्ति न हो इन झगड़ों का निबटारा नहीं कर सकता। यदि निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाये तो अध्यक्ष अवश्य ही कोई बागान मालिक होगा और वह दूसरों के हितों का बचाव न कर सकेगा।

यदि आप सहमत हों कि अध्यक्ष स्वतंत्र होना चाहिये तो प्रश्न है कि उस का चुनाव कैसे हो? यदि आप चीफ़ मार्केटिंग आफ़ीसर को इस का अध्यक्ष भी बना दें तो वह केवल बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता कर सकेगा। कोई गैर-सरकारी व्यक्ति बोर्ड के लिये २४ घंटों काम न करेगा। यह काम कार्यपालिका समिति की बैठकों की तरह नहीं। और यदि २४ घंटों काम करने के लिये कोई व्यक्ति मिल भी जाये तो वह बिना वेतन के काम न करेगा।

मैं निवेदन करता हूं कि यदि हम अध्यक्ष नियुक्त करें तो इस से प्रशासन बड़ा कार्यकुशल हो जायेगा। वह अध्यक्ष न केवल सरकार के बल्कि सभा के भी अधीन होगा।

श्री ए० वी० थामस (श्री बैकुण्ठम्): मुझ से पहले जो वक्ता बोले उन्हों ने केवल एक ही पहलू के बारे में कहा।

कॉफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक पर काफ़ी वाद-विवाद हो चुका

है । यदि इस विधेयक से उद्योग के विकास में सहायता मिले तो मुझे बड़ा संतोष होगा । एक समय पर ३ लाख एकड़ भूमि में काफ़ी उगाई जाने लगी थी परन्तु किन्हीं कारणों से वह क्षेत्र घट कर एक लाख एकड़ रह गया और अभी तक उस उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच सका । हमें इस क्षेत्र को बढ़ा कर अधिक उत्पादन करना चाहिये जिस के परिणामस्वरूप वह उपभोक्ता को कम मूल्य पर मिल सके, श्रमिकों को अधिक मजूरी मिले और उत्पादक को भी उचित लाभ हो, मूल उद्देश्य यह है ।

प्रस्ताव किया गया है कि अध्यक्ष एक स्वतंत्र व्यक्ति हो और उसे पूरे समय के लिये नियुक्त किया जाये । मंत्री और बोर्ड का अध्यक्ष दोनों स्वतंत्र व्यक्ति होने से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है । इन्हीं कठिनाइयों के कारण, जिन का हमें अनुभव हो चुका है, मेरी राय है कि उद्योग का हित इसी बात में है कि अध्यक्ष गैर-सरकारी व्यक्ति हो और बोर्ड उस का निर्वाचन करे । बोर्ड के ३४ या ३५ सदस्यों में से केवल १२ उत्पादक होंगे, अतः यह आवश्यक नहीं कि कोई उत्पादक ही अध्यक्ष निर्वाचित हो, यदि माननीय मंत्री समझते हैं कि वैतनिक अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिये और बोर्ड के सदस्यों में से अध्यक्ष का निर्वाचन किये बिना कोई निकाय स्थापित नहीं किया जा सकता तो मेरा सुझाव है कि कुछ समय के लिये वैतनिक अध्यक्ष नियुक्त किया जाये । और इस अनुभव के परिणामों को देख कर पुनः विचार किया जाये कि दोनों में से कौन ठीक रहेगा ।

बोर्ड के सदस्यों के बारे में बहुत से सदस्यों का मत है कि उन का निर्वाचन होना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे । श्री वेंकटरामन ने कहा कि यह बोर्ड उद्योग को उन्नत करने के लिये स्थापित किया गया था । मैं इस से सहमत नहीं हूं । यह बोर्ड उद्योग को नष्ट होने से बचाने के लिये बनाया गया था और वह सरकार की सहायता से अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहा है ।

श्री बासप्पा (तमकुर) : वैतनिक अध्यक्ष नियुक्त करने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता । और न ही मैं यह समझ सका हूं कि इस विधेयक पर किसी और ढंग से क्यों विचार करना चाहिए ।

श्री लिंगम ने कहा कि चाहे निर्वाचित अध्यक्ष अधिक अच्छा रहेगा परन्तु हमें प्रयोगात्मक रूप से अध्यक्ष को नामनिर्देशित कर के भी देख लेना चाहिये । इस प्रयोग की क्या आवश्यकता है ? क्या निर्वाचित अध्यक्ष के अधीन उद्योग का विकास नहीं हो सकता । उत्पादकों, उपभोक्ताओं और श्रमिकों का अहित होगा ? परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सरकार अपनी शक्ति प्रयोग कर के सब मामला ठीक कर सकती है ।

इस उद्योग का उद्धार किया जाना है । इस से सरकारी कोष को भी काफ़ी आय है और कई लोगों को इस से जीविका मिलती है । मैं अनुभव करता हूं कि यदि इस का गम्भीरता से विकास करना है तो इसे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन कर दिया जाये ।

कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय प्रशुल्क आयोग अथवा किसी निर्पेक्ष समिति द्वारा किया जाना चाहिये । माननीय मंत्री ने कहा कि उत्पादन व्यय की तुलना में काफ़ी का मूल्य बहुत बढ़ गया है । परन्तु यह ठीक नहीं ह । इस बारे में उत्पादक, कास्ट एकाउंटेंट और सरकार तीनों की राय में मतभेद है । इस का निर्णय प्रशुल्क आयोग हो कर सकता ह ।

[श्री बासप्पा]

बागान उद्योग की जांच के लिये पहले ही एक समिति है। यदि उस के निर्देश पद इतने विस्तृत न हों तो उन का विस्तार कर के यह विषय भी उसे सौंपे जा सकते हैं।

उद्योग के विकास के लिये उपकर की व्यवस्था करना और छोटे उत्पादकों के लिये बचावों की व्यवस्था करना इस विधेयक की प्रशंसनीय विशेषतायें हैं परन्तु इस की बुराइयां इन से कहीं अधिक हैं जिन में से एक यह है कि अध्यक्ष को सारे समय के लिये नाम-निर्देशित किया जा रहा है।

बोर्ड स्थापित करते समय उसे कुछ स्वायत्तता दी जानी चाहिये। चाहे सरकार अपने हाथ काफ़ी अधिकार रखे परन्तु बोर्ड को भी स्वाभाविक रूप से विकास करने देना चाहिये।

आशा है कि बोर्ड से परामर्श करते समय माननीय मंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निश्चय करते समय इस ढंग से कार्य नहीं करेंगे जो बोर्ड के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध हो।

३ म० प०

मुझे अधिक कुछ नहीं करना है, मलनाद में यह एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। स्वर्गीय श्री किदवई जब मलनाद गये तो उन्हों ने वहां के लोगों को विश्वास दिलाया था कि इस क्षेत्र का विकास किया जायेगा। आशा है कि काफ़ी उद्योग का विकास तथा वृद्धि कर के इस क्षेत्र का उद्धार किया जायेगा।

श्री एन० राचय्या (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह एक सरल सा विधेयक है जोकि देश में होने वाले काफ़ी के उद्योग का संरक्षण करना चाहता है। अतः हमें इस का पूर्ण समर्थन करना चाहिये काफ़ी का उद्योग एक उन्नतशील और महत्व-पूर्ण उद्योग है, अतः इस का संरक्षण होना ही चाहिये। इस के लिये केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण होना चाहिये।

इस से पूर्व काफ़ी के उद्योग पर विदेशियों का ही एकाधिपत्य था, और भारतीय बहुत समय से इसे अपने हाथ में ले कर उन्नत करने के लिये इच्छुक थे।

सर्वप्रथम मैं अपने माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी द्वारा लगाये गये आरोपों का उत्तर दूंगा। उन्होंने कल यह कहा था कि सरकार और विशेष कर माननीय मंत्री समस्त शक्ति को अपने हाथ में ले कर अपने विश्वस्त सेवकों को प्रोत्साहित और नियोजित करना चाहते हैं। मैं इन आरोपों का निराकरण करता हूं क्योंकि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के द्वारा निश्चित की गई अनेकों स्थायी समितियों में विपक्ष के सदस्य भी नामांकित किये गये हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री वेलायुधन ने यह कहा था कि काफ़ी-बोर्ड पर मैसूर के लोगों का एकाधिपत्य है। मैं इस आरोप का भी निराकरण करता हूं क्योंकि काफ़ी-बोर्ड में मैसूर के लोगों का एकाधिकार नहीं है, बल्कि सदस्य महोदय के अपने राज्य के लोगों की बहुसंख्या है।

श्री सोमना, श्री लिंगम, और अन्य अनेकों मित्र बागान-मालिकों और बड़े बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में हैं। मुझे बड़ा दुख है कि श्री नम्बियार जैसे सदस्य जो निर्धन वर्गों के नेता हैं, यह कहें कि यह विधेयक बागान-मालिकों के विरुद्ध एक प्रकार की युद्ध घोषणा है। मेरा विचार है कि वे चुनाव के दिन निकट आये जान कर बागान-मालिकों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये ही ऐसा कह रहे हैं। अस्तु यह भी हर्ष की बात है।

मेरी यह प्रबल आकांक्षा है कि उपभोक्ता और श्रमिक दोनों के हितों की रक्षा होनी चाहिये । अनेकों सदस्य पूंजीपति बागान-मालिकों का पक्ष लेते हैं । परन्तु वे छोटे व बड़े पूंजीपति संख्या में तीस हज़ार हैं जबकि कॉफ़ी के उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की सख्या लगभग २ १/२ लाख है । परन्तु ऐसे निर्धनों को सदैव पूंजीपति शोषित करते आये हैं ।

हम बागान मालिकों के हितों का संरक्षण तो करना चाहते हैं, परन्तु श्रमिकों के हितों की भी तो रक्षा होनी चाहिये । कॉफ़ी-बोर्ड में बागान मालिक पचास प्रतिशत सदस्यता चाहेते हैं, परन्तु मैं कहता हूं कि श्रमिकों को पचास से अधिक सदस्यता मिले । इंगलैण्ड जैसे प्रजातंत्र राज्यों में भी श्रमिकों के अधिकारों की इतनी रक्षा की जाती है । भारत तो वास्तव में श्रमिकों और कृषकों का देश है तो यहां तो उन की रक्षा होनी ही चाहिये ।

श्री सोमना का यह कथन है कि सरकार एक विधान बना दे । परन्तु ऐसा कहना तो उन का नैतिक कर्त्तव्य था । मैं बलपूर्वक इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह सभी पार्टियों के हितों का संरक्षण करना चाहता है । जबकि बोर्ड में सभी पार्टियों के इतने अधिक सदस्य हैं तो फिर एक पदाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने में शंका की बात ही कौन सी हो सकती है । वह तो इस उद्योग को उन्नत करने में सहायता देगा और उस के साथ ही साथ वह सरकार से सम्बन्ध स्थापित रखने में सहायता देगा । यदि कोई असरकारी अधिकारी हुआ तो वह सरकार से सहयोग नहीं देगा और केवल पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करेगा । अतः हम केवल पूंजीपतियों के हाथों में ही सारे अधिकार नहीं दे सकते । यह एक ऐसा देश है जिस में पग पग पर सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है । श्री गुरुपादस्वामी तो प्रजा समाजवादी हैं और उद्योग का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, परन्तु यहां वे नहीं चाहते । उन्हें तो एक ही नीति और सिद्धान्त पर दृढ़ रहना चाहिये । हमारे भारत में तो प्रत्येक कार्य सरकार के द्वारा स्वयं नियमित और संचालित होना चाहिये । अतः मंत्री महोदय ने ठीक दिशा में ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । और इस में भ्रम का कोई काम नहीं । यह तो एक सरल सा विधान है जिसे प्रत्येक पार्टी का समर्थन प्राप्त होना चाहिये ।

कॉफी-बोर्ड के सम्बन्ध में मैं सरकार का नियंत्रण इसलिये चाहता हूं कि एक विशेष प्रतिशतक नियुक्तियां अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित हैं । वे इस के विषय में तभी अधिकार जता सकते हैं जबकि यह एक सरकारी मामला होगा । निजी संस्थायें यह अधिकार नहीं प्रदान करतीं और वे बेचारे वंचित रह जाते हैं । अतः यदि कॉफी-बोर्ड सरकार के द्वारा नियंत्रित हुआ तो ये बेचारे अभागे लोग अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं । हमारे साथ पहले ही बड़ा अन्याय किया गया है । अब हम और सहन नहीं करेंगे । यदि यह एक सरकारी संस्था हुई और हमें फिर भी अधिकार न प्राप्त हुए तो हम संसद् सभा के सामने प्रश्न ला सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष बोर्ड का प्रतिवेदन संसद् की दोनों सभाओं के सम्मुख रखा जाता है । अतः जबकि सभी पार्टियों के प्रतिनिधि बोर्ड में विद्यमान हैं, जबकि सरकार स्वयं उसे नियंत्रित कर रही है, और जबकि प्रतिवर्ष इस का प्रतिवेदन दोनों सभाओं के सम्मुख रखा जाता है, तो फिर किसी प्रकार की आशंका का कारण ही क्या है ?

अतः मैं प्रत्येक दृष्टि से इस विधेयक का बलपूर्वक समर्थन करता हूं और इस

[श्री एन० र.चय्या]

के पारित करने में और अधिक विलम्ब नहीं होनी चाहिये। यह जनता के हित से, श्रमिकों के हित से, उपभोक्ताओं के हित से, सभी के हितों से सम्बन्ध रखता है। यह विशेषतया उद्योग और सामान्यतया अनेकों अन्य हितों की रक्षा करता है।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : मैं इस वाद-विवाद को आधारभूत सिद्धान्तों की चर्चा में परिवर्तित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय के विरुद्ध बहुत सी कठोर बातें कही गई हैं। उन की मनोवृत्ति पर आक्षेप किये गये हैं ; परन्तु मनोवृत्ति तो एक ऐसी वस्तु है जिस के विषय में कुछ भी विश्वस्त रूप से कहा नहीं जा सकता। अतः इस बात पर चर्चा करनी व्यर्थ है। हमें तो विचार यह करना है कि प्रस्तुत विधान का परिणाम क्या होगा।

एक बोर्ड बनाने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, प्रयोजक क्या है ? वास्तव में बागान-उद्योग में तो उतार चढ़ाव आने की सदैव संभावना रहती है। और मांग और संभरण में खाई सी उत्पन्न हो जाती है, और बाज़ार एक स्वाभाविक रूप से नहीं चल सकते। यदि पिछले दिनों एक कॉफी विक्रय बोर्ड न बनाया गया होता, तो सभी एकाधिपति पूंजीपति एकत्रित हो जाते और सारे बाज़ार को गन्दा कर देते।

दूसरी बात यह है कि हम कॉफी के निर्यात को नियमित करना चाहते हैं। और हमें अपने देश के बाज़ार को भी नियमित करना है, और यह कार्य काफी विक्रय बोर्ड के द्वारा ही किया जाना है।

तीसरी बात यह है कि कॉफी के उद्योग को उन्नत करने के हम सब इच्छुक हैं। इसी कार्य के लिये काफी बोर्ड बनाया गया था और उस में सफलता भी हुई, तो जब तक हमें इस बात का विश्वास न हो जाये कि यह बोर्ड असफल रहा है तब तक हमें बोर्ड के संविधान में परिवर्तन नहीं लाना चाहिये।

आज के इस बोर्ड में उत्पादक कम संख्या में हैं। उन १४ में से तीन तो मैसूर राज्य द्वारा नामांकित हैं और बाकी ११ विभिन्न संघों द्वारा चुने गए हैं। शेष १९ सदस्य विभिन्न सरकारों द्वारा नामांकित किये गये हैं जोकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने वाले हैं। यह बोर्ड गत १३ वर्षों से सुचारु रूप से कार्य चला रहा है।

इस बोर्ड पर दो आरोप लगाये गये हैं। परन्तु वास्तव में वे दोनों ही निराधार हैं। यह ठीक है कि कॉफ़ी का भाव चढ़ गया था, परन्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कम बढ़ा है। उदाहरणार्थ कालीमिर्च का भाव २,२२० प्रतिशत तक बढ़ गया था। परन्तु काफी का भाव तो इतना बढ़ा ही नहीं था, यदि कुछ बढ़ा भी है तो सरकार को चाहिये था कि भाव पर नियंत्रण लगा देती।

दूसरा आक्षेप यह है कि निर्यात का भाव यहां के बाज़ार से अत्यधिक था, अतः परिणामस्वरूप उत्पादक इसे यहां के उपभोक्ताओं को देने की अपेक्षा बाहर निर्यात कर देने में अधिक उत्सुक थे। परन्तु प्रश्न यह है कि इन वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण तथा निर्यात नियंत्रण का उत्तरदायी कौन है ? यह सारा कार्य सरकार को करना चाहिये था। यह कार्य करने के लिये सरकार के पास पहले ही पर्याप्त शक्ति निहित है।

फिर यह कहा गया है कि बड़े उत्पादक छोटे उत्पादकों का शोषण करते रहे हैं। परन्तु यह निश्चित है कि यदि यह कॉफी-बोर्ड न होता तो यह शोषण और भी अधिक

होता। इस ने तो दोनों के हितों में एक अविच्छिन्न सम्बन्ध पैदा कर दिया है।

इस बोर्ड से तीन महान लाभ हुए हैं। प्रथम यह है कि इस से काफी की एक कीमत निश्चित हो गई है और छोटे बड़े सभी उत्पादक उसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा लाभ यह है कि नीलाम के कारण यदि कॉफ़ी की कीमत अधिक प्राप्त हो तो आय से अधिक प्राप्त हुए धन को सभी छोटे बड़े उत्पादकों में बांट दिया जाता है। तीसरा यह है कि कॉफ़ी विक्रय बोर्ड द्वारा प्रदान की गई गवेषणा सुविधाओं से छोटा उत्पादक अनुपाततः अधिक लाभ प्राप्त करता है। उसे बीज भी बड़े उत्पादकों की अपेक्षा अधिक प्राप्त होते हैं।

अतः इस काफी बोर्ड में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं करना चाहिये जोकि अन्त में हानिकारक सिद्ध हो। हम जो कुछ भी करें उत्पादकों को सदैव अपनी दृष्टि में रखें। कल ऐसा कहा गया था कि बोर्ड के प्रतिनिधि चुनने के लिये एक तालिका पद्धति होनी चाहिये। हमें पता है कि इस कार्य में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और केवल इसी बात पर ही कितने संघठन टूट जाते हैं। और हमें भी ऐसी ही अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

अर्जित लाभ को पुनः लगा कर ६०,००० एकड़ अधिक भूमि में कॉफी बोई गई और इस से अधिक व्यक्तियों को काम धंधा मिला। यदि इसी प्रकार अधिक भूमि में कॉफी की खेती की जाये, तो निस्सन्देह और बहुत से व्यक्तियों को रोज़गार मिल सकता है। यदि कॉफी बोने वालों के प्रतिनिधियों को चुनाव के द्वारा बोर्ड में भेज कर इतना अच्छा काम हो सकता है, तो इसी पद्धति को अपनाया जाना चाहिये और नाम-निर्देशन की पद्धति को हटा देना चाहिये।

इस विधेयक के समर्थक आदेश द्वारा आयोजन में विश्वास रखते हैं और इस विधेयक के विरोधियों की आस्था प्रेरणा द्वारा आयोजन में है। यदि सरकार प्रेरणा द्वारा आयोजन करे तो निस्सन्देह यह उद्योग बहुत उन्नति कर सकता है। जब बोर्ड में उपभोक्ताओं और न बोने वालों की पर्याप्त संख्या होगी, तो बागान मालिक अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकेंगे। और यदि बोर्ड में कोई झगड़ा होगा, तो मंत्रालय को अवश्य हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि कॉफी बोने वालों की समस्त उपज इकट्ठी कर ली गई है। क्या उन के प्रतिनिधियों को अपना मत प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है।

सरकार को नाम-निर्देश का अधिकार देने में हमें यह कठिनाई प्रतीत होती है कि यदि कल को इस मंत्री के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आ गया तो कोई संयुक्त सचिव या उपसचिव नाम निर्दिष्ट किया करेगा और इस बोर्ड में उस के अपने व्यक्तियों का प्रभुत्व हो जायेगा। इस प्रकार बागान उद्योग का विकास रुक जायेगा, और दूसरी ओर के माननीय सदस्यों की आशायें, कि प्रतिवर्ष अधिक भूमि में काफी की खेती होगी निष्फल रह जायेंगी। हमें ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार सरकारी आदेशों के द्वारा इस उद्योग का विकास नहीं हो सकेगा, इस के लिये तो सरकारी प्रयत्न और व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता है। जब तक इन सब लोगों का सहयोग हमें प्राप्त नहीं होगा, हम काफ़ी उद्योग को उन्नत नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इन पहलुओं पर विचार करें और काफी उद्योग के विकास में दिलचस्पी लें।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पिछले वक्ता ने वाद-विवाद का स्तर ऊंचा उठाते

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

हुए जो कुछ कहा है, मैं उसे समझ नहीं सका हूं। जिन सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है मैं उन को धन्यवाद देता हूं। श्री राचय्या का भाषण सुन्दर और प्रभावशाली था। श्री वेंकटरामन ने वाद-विवाद के अन्तर्गत उठाये गये लगभग सभी प्रश्नों और बातों का उत्तर दे दिया है। वह कॉफ़ी बोर्ड के सदस्य होने के साथ साथ प्रवर समिति के सभापति भी रह चुके हैं। यदि उन के शब्द सभा को प्रभावित नहीं कर सके हैं, तो मुझे शंका है कि मैं सभा को कैसे सन्तुष्ट कर सकूंगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने अत्यन्त कठोर शब्दों में लम्बा चौड़ा भाषण दिया है, और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिन का वह स्वय भी अर्थ नहीं समझते। हम में से भी कुछ व्यक्ति विरोधी पक्ष में थे और कठोर भाषा में बोला करते थे, परन्तु हम ने कभी भी शिष्टाचार का अतिक्रमण नहीं किया था। उन्हों ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया, जिस का मुझे उत्तर देना चाहिये।

श्री केशवैयंगर ने श्री बेकन का उद्धरण दिया है। उन्हों ने बहुत जोर शोर से केवल यही बात कही है कि बोर्ड एक विचित्र बोर्ड था--और यह विचित्र काम कर रहा था। इस बोर्ड के सम्बन्ध में सरकार ने अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन में जो कहा है--कि बोर्ड ने उत्पादन बढ़ाया है, उस का भी उन्हों ने उल्लेख किया है, और यह कहा है कि यह देश की भलाई के लिये है, इत्यादि। मैं इन सब बातों को स्वीकार करता हूं।

चाय का उपयोग बढ़ गया है और भाव इतने तेज़ हो गये हैं कि उपभोक्ता इस से अधिक तेज़ भावों को सहन नहीं कर सकेंगे, इस बात को विचारते हुए, मैं बोर्ड के पास भावों को बढ़ाने का स्वविवेक नहीं छोड़ सकता, और स्वयं भी समस्त देश के उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता। कौन सा मंत्रालय इस से संबंधित है, यह बात सर्वथा अप्रासंगिक है। बागान की देखभाल करना कृषि मंत्रालय का उचित काम हो सकता है; चीनी के मिलों या वनस्पति उद्योग की देखभाल करना वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का उचित काम हो सकता है, परन्तु सरकार जैसा उचित समझती है वैसी व्यवस्था करती है। मैं जानता हूं कि यह सुझाव बोर्ड के भूतपूर्व सभापति की ओर से आया है जिस ने प्रत्येक व्यक्ति को बताया था, "मैं इस विभाग को इस मंत्रालय विशेष से बदलवा दूंगा।" कई वर्षों तक बोर्ड में खींचातानी होती रही और लगातार प्रतिवर्ष भाव बढ़ते रहे, और अन्त में यह स्थिति आ गई कि बेचारा उपभोक्ता इस भाव को सहन करने में असमर्थ हो गया। इसी कारण सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। भावों के तेज़ होने का परिणाम यह हुआ कि इस का उपभोग धीरे धीरे गिरने लगा। सरकारी हस्तक्षेप का एक कारण यह भी था कि इतने भाव तेज़ होने के उपरान्त भी वे इसे अधिक बढ़ाना चाहते थे, अर्थात् दो रुपया चार आना से दो रुपया सात आना करना चाहते थे। यदि सरकार हस्तक्षेप न करती, तो ये भाव अवश्य हो जाते। (**अन्तर्बाधायें**) और उद्योग भी नष्ट हो जाता। डा० कृष्णस्वामी से इन बातों का ज्ञान अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, जिन्हें वह जानने की आवश्यकता भी नहीं समझते।

डा० कृष्णस्वामी : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बात यह है कि मुझे इन छोटी छोटी बातों का ध्यान

रखना पड़ता है, क्योंकि यदि कोई खराबी हो जाय तो उस का उत्तरदायित्व मुझ पर आता है । ऐसा प्रतीत होता था कि भाव बढ़ते ही जा रहे हैं । श्री केशवैयंगार को इस बारे में कुछ पता नहीं है । उन्हें केवल उतना ही ज्ञान है जितना कि उन्हें इस मामले में बोलने के लिये बताया गया है और जितना कि उन्हों ने प्रशासनिक प्रतिवेदन में पढ़ा है । उन्हों ने विविध व्यक्तियों द्वारा किया गया अच्छा काम देखा है और सरकारी विवरणों के उत्तरों को पढ़ा है जिसे अबोध जनता पर लादने के लिये असोसिएशन द्वारा बड़े धन से प्रकाशित एवं परिचारित किया जाता है । उन्हों ने बहुत से भड़काने वाले दलाल भी इस काम में लगा रखे हैं, और वे कॉफी के भावों को बढ़ाते जा रहे हैं तथा अपने विशिष्ट हितों को सुरक्षित रखने में सफल हो रहे हैं । एक बार भाव २१२ रुपये से ३५१ रुपये तक बढ़ा दिये गये थे । विशिष्ट समवायों के स्वामित्व और हिस्सों में बड़ी जल्दी जल्दी अदला-बदली होती रही । क्या माननीय सदस्य ने इन सब बातों को जानने का प्रयत्न किया है ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि सरकार चुप बैठी रहे, क्योंकि कुछ सदस्यों को इस के बारे में और कुछ पता चला है ?

श्री एन० सोमना : निर्यात बन्द किया जा सकता था, क्योंकि यह सरकार के हाथों में था ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हिस्सों का बिकना बन्द कर देना या हिस्सों के मूल्य में वृद्धि न होने देना अथवा नीलामी के छल कपट को बन्द करना मेरे बस की बात नहीं है । स्वार्थी व्यक्ति जान बूझ कर नीलामी में तेज़ भाव बोलते जाते हैं । बहुत समय तक ऐसा होता रहा है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पर बहुत बड़ा उत्तर-दायित्व रहता है । यदि परिस्थिति ठीक होती तो मुझे कॉफी बोर्ड के बारे में चिन्ता न करनी पड़ती । मैं ने १९५२ की मन्दी के कारण पुनः चाय बोर्ड स्थापित कर दिया था और हमें इस ओर अधिक ध्यान देना पड़ा ।

श्री थामस चाहते हैं कि मैं चाय अभ्यंश के भावों को बढ़ने से रोकूं, क्योंकि उन्हों ने बताया है कि अभी कुछ दिन हुए मूल्य २०१ पाई था और आज २३२ पाई है । जब कोई बात बिगड़ जाती है, तभी आप सरकार को हस्तक्षेप करने के लिये कहते हैं । परन्तु जब कोई खराबी नहीं होती, आप उन लोगों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं । मैं नहीं चाहता कि प्रजातंत्र के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण किया जाये जो अपनी बात तक भी सुना नहीं सकता ।

मैं श्री केशवैयंगार द्वारा कही गई सब बातों का उत्तर नहीं देना चाहता, क्योंकि वह बार बार यही बात कह रहे थे कि बोर्ड बहुत ठीक ढंग से काम कर रहा था और उस में उत्पादकों के हित सुरक्षित थे । उन्हों-ने यह भी कहा है कि उस में नाम निर्देशित सभापति नहीं रहना चाहिये, और उत्पादकों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन स्वतंत्र रूप से होना चाहिये । मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य देशभक्त और जनतंत्रवादी हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें बहकाया जा रहा है । हम जानते हैं कि कठिनाई कैसे उत्पन्न हुई थी । पिछले वर्ष में स्थिति काफ़ी संतोष-जनक रही है किन्तु मैं ने मूल्य कम नहीं किये । मूल्य २ रुपया ४ आने प्रति अंश है । मेरे परिव्यय-लेखापाल का कहना है कि यह २ रुपया १ आना या २ रुपया २ आने हो सकता है । यद्यपि अभागे उपभोक्ता पर इस का प्रभाव पड़ेगा, फिर भी हम ने मूल्य कम नहीं किये । भारत सरकार के

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

परिव्यय-लेखापाल और प्रशुल्क आयोग के परिव्यय-लेखापाल में कोई अन्तर नहीं है। प्रशुल्क आयोग को एक परिव्यय-लेखापाल नियुक्त करना पड़ता है। वह विस्तार में नहीं जाते। वह किसी विशेष बागान के उत्पादन-परिव्यय की विस्तृत गणना नहीं कर सकते। इस मामले में जो कुछ हुआ था, वह इस प्रकार है। बोर्ड की विपणन समिति के व्यय-लेखापाल को उन्हीं बागानों में भेजा गया था, जहां से पिछले आंकड़े लिये गये थे। दुर्भाग्यवश उसे यह मालूम नहीं था कि उसे अन्य बागानों में जाना है। कुछ भी हो, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि २ रुपया २ आने सामान्य मूल्य होगा। कई बार अन्तर को ध्यान में रखना पड़ता है और यह मूल्य २ रुपये २ आने प्रति अंश हो सकता है। हम ने २ रुपये ४ आने प्रति अंश मान लिया था। अतः उत्पादकों के हितों की रक्षा की गई है और २ रुपये ४ आने अधिकतम मूल्य नहीं बल्कि निम्नतम मूल्य है। अधिकतम मूल्य इस वर्ष २ रुपये १४ आने, या २ रुपये १५ आने या ३ रुपये भी हो सकता है, क्योंकि नीलामियों में या निर्यात से जो भी लाभ होता है, वह अन्त में उत्पादक के हाथ में ही जाता है। सरकार यह लाभ नहीं लेती। अतः मेरे विचार में इस विधेयक से उत्पादकों को कोई हानि नहीं पहुंच सकती।

श्री दामोदर मेनन व्यानाद के उत्पादकों की एक बैठक के अध्यक्ष थे। अतः उन्हें इस का कुछ ज्ञान होगा। किन्तु मेरे विचार में वह यह नहीं जानते होंगे कि कॉफी बोर्ड में व्यानाद के छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधि एक छोटा उत्पादक नहीं था, बल्कि एक बड़ा उत्पादक था। संभवतः छोटे उत्पादकों को बड़े उत्पादक में कुछ विश्वास था। उन्होंने कहा था कि यदि अध्यक्ष एक मनोनीत व्यक्ति है और वह बोर्ड के परामर्श से कोई निर्णय करता है, तो सरकार उस की राय की उपेक्षा नहीं कर सकती। मैं इस बात को नहीं समझ सका, क्योंकि इस विधेयक के दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने के बाद जो बोर्ड बनेगा, उस का अध्यक्ष बोर्ड का सदस्य होगा। हम केवल उसे कोई चीज़ शुरू करने के लिये निदेश दे सकते हैं। यदि वह कोई प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करता है तो सिवाय उस मामले के जिस में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, बोर्ड का बहुमत निर्णय मान्य होगा और यदि सरकार आवश्यक समझे तो उसे इस निर्णय को रद्द करने का अधिकार होगा। किन्तु इस का निर्णय करने से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री आनन्दन नम्बियार ने कॉफ़ी बोर्ड के कर्मचारियों के बारे में कुछ बातें कही हैं। मेरी राय में वर्तमान परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। बोर्ड को कुछ स्वायत्तता प्राप्त है और हम वास्तव में कोई पहल नहीं कर सकते। किन्तु मुझे आशा है कि यदि विधेयक पारित हो गया तो हम संभवतः बोर्ड के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिये कुछ कर सकेंगे। परन्तु मेरे विचार में श्री नम्बियार के इस सुझाव को कि इन पर केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निश्चित वेतन-श्रेणियां लागू की जायें और इन्हें सरकारी कर्मचारी समझा जाये हम स्वीकार नही कर सकते। इन के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उस में सुधार करने की काफी गुंजाइश है और मुझे आशा है कि विधेयक के पारित होने पर मैं इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही कर सकूंगा।

जैसा कि मैं ने कहा है, सारा मामला दो बातों पर निर्भर है। पहली बात अध्यक्ष

की नियुक्ति है और दूसरा प्रश्न चुनाव का है । जहां तक अध्यक्ष की नियुक्ति का सम्बन्ध है, स्थिति में परिवर्तन होता रहा है । ३१ दिसम्बर १९५२ को मैं बंगलौर गया था और वहां बोर्ड की एक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया था । उस समय मैं पहली बार, श्री आइवर बुल से, जो उस समय अध्यक्ष थे, मिला था । उन से १ घंटे तक बात करने के बाद, मैं ने बोर्ड के साथ बातचीत की थी । वापस आने के बाद मैं ने उन्हें इस विधेयक की जांच करने के लिये कहा था । यह १९५२ का विधेयक है । उन्हों ने १ फरवरी, १९५३ को बंगलोर से मुझे एक पत्र भेजा । फरवरी, १९५३ में बोर्ड ने यह कहा था कि समिति को यह प्रस्ताव स्वीकार है कि अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये, किन्तु उस की राय में यदि उसे एक निर्वाचित उपाध्यक्ष की सहायता भी प्राप्त हो, तो मनोनीत अध्यक्ष की स्थिति दृढ़ हो जायेगी । ४ फरवरी, १९५३ को बोर्ड स्वयं मनोनीत अध्यक्ष स्वीकार करने के लिये तैयार था, परन्तु चूंकि विधेयक में एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति का उल्लेख था, इसलिये उस ने एक निर्वाचित उपाध्यक्ष की मांग की । मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्रों को, जिन्हों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, यह मालूम भी था । मेरे विचार में उन्हें मालूम था, किन्तु उन की राय बदल गई थी । वास्तव में बात यह थी कि उस समय अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य सहयोग करने के लिये तैयार थे, क्योंकि मूल्य बढ़ जाने के कारण उन की बदनामी हो रही थी और वे प्रायश्चित करना चाहते थे । स्वयं अध्यक्ष ने कहा था कि उपाध्यक्ष स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिये सरकार के लिये एक उपाध्यक्ष मनोनीत करना अधिक अच्छा होगा । वास्तव में, उस समय मैं ने भी अनुभव किया था कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति को, जिसे काफी हितों का इतना ज्ञान है, कुछ समय और नहीं (?) रहना चाहिये । किन्तु आन्दोलन और प्रचार और बैठकें बाद में शुरू हुईं । श्री आइवर बुल स्थान स्थान पर जा कर प्रचार करते रहे । यह इसी आंदोलन का परिणाम है कि मेरे विरुद्ध इतने विशेषण प्रयोग किये गये हैं ।

अध्यक्ष के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार को यह उत्तरदायित्व संभालना है, तो ऐसा करने के लिये उस के पास साधन भी होने चाहियें । प्रवर समिति के सामने निहित स्वार्थ वाले जो व्यक्ति पेश हुए थे, मैं ने उन से पूछा था कि यदि यह उन का दृढ़ विश्वास है, तो क्या वे यह पसन्द करेंगे कि बोर्ड को समाप्त कर दिया जाये ? तब सरकार केवल निर्यात पर नियंत्रण कर के मूल्यों पर नियंत्रण कर सकेगी । किन्तु उन में से कोई भी इस के पक्ष में नहीं था । वे चाहते हैं कि बोर्ड भी रहे और उस के अधिकारों पर भी कोई प्रतिबन्ध न हो । सरकार उपभोक्ता के सामने उत्तरदायी है और उसे यह उत्तरदायित्व पूरा करना है । मेरे विचार में इस विषय में हम कोई समझौता नहीं कर सकते ।

मेरे मित्र, श्री थामस ने कहा है कि यह प्रयोग २ वर्ष के लिये करना चाहिये । हम ने इस विधेयक में यह व्यवस्था की है कि बोर्ड को तीन वर्ष के लिये मनोनीत किया जाय और अध्यक्ष को तीन वर्षों के लिये नियुक्त किया जाये । तीन वर्षों के बाद स्थिति कुछ भी हो सकती है ।

मनोनयन के दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में, किसी वर्ग से विशेषाधिकार ले लेने का कोई इरादा नहीं है । बात वास्तव में यह थी कि यदि यू० पी० ए० एस० आई० को तीन सदस्य चुनने का अधिकार दिया जाये, तो क्या होगा ? इस संस्था में एक विशेष

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

वर्ग का बहुमत है ; इस में कुछ भारतीय सदस्य भी हैं और मेरे मित्र श्री थामस एक समय इस के अध्यक्ष थे, किन्तु काफ़ी बोर्ड में यू० पी० ए० एस० आई० के जो तीन प्रतिनधि थे, वे सब यूरोपियन थे । वास्तव में यदि हम प्रत्येक क्षेत्र के लिये प्रतिनिधित्व निश्चित कर देते हैं, तो यू० पी० ए० एस० आई० के लिये क्या स्थान रह जाता है ? इस को कोई प्रतिनिधित्व मिलना भी नहीं चाहिये, क्योंकि ऐसी संस्थाओं का स्वरूप बदलता रहता है । एक और बोर्ड में जब एक संस्था को दो स्थान दिये गये थे, तो मैं ने एक प्रश्न पूछा था : आप के सदस्य कुल कितने हैं ? १२० के लगभग । कार्यपालिका समिति में कितने सदस्य हैं ? लगभग १० । वार्षिक बैठक में लगभग १० या १२ लोग उपस्थित होते हैं । बोर्ड के लिये दो व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाता है । इस प्रकार १० व्यक्ति दो का निर्वाचन करते हैं और यह है जनतंत्र । हमें इन को बदलना पड़ेगा । कई बार एक निकाय समाप्त हो जाने पर दूसरी को मान्यता देनी पड़ती है । इसे संविधि में रखना कठिन है इसी कारण हम अनुभव करते हैं कि अच्छा हो यदि हम इन लोगों की एक तालिका ले लें और प्रान्तीय सरकार को चुन लेने दें । प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ यह भी लिखा गया है कि हमें छोटे उत्पादकों को भी नामजद करना चाहिये । इस समय यह बहुत कठिन है कि छोटे उत्पादकों का कोई संघ बना कर उस में से निर्वाचन किया जाये । कुछ न कुछ तो करना ही होगा । अतः हम ने सोचा कि नामों की एक तालिका ले ली जाये और व्यक्ति चुनने का काम प्रान्तीय सरकार पर छोड़ दिया जाये और इस प्रकार पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधि हो जायेंगे । परन्तु मैं माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुसार कोई दूसरी प्रणाली का प्रयोग करने को तैयार हूं । मैं यह करना चाहता हूं कि तीन सरकारों द्वारा नामजदगी करना बन्द कर दिया जायेगा परन्तु कुर्ग, मैसूर, तथा मद्रास के प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायेंगे अथवा नामज़द किये जायेंगे, जैसे भी नियमों द्वारा विहित किया जायगा । नियम अनिश्चित नहीं होंगे, वे पूर्णतया स्पष्ट होंगे । नियमों में यह उल्लिखित होगा कि इन निकायों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिये इतने लोगों का निर्वाचन किया जायेगा । यदि निकाय बदल जायें तो समय समय पर उन्हें बदला जा सकता है और छोटे उत्पादकों को तालिका के बाहर से भी नामज़द किया जा सकेगा । कॉफ़ी बोर्ड छोटे उत्पादकों का एक संघ बना सकता है और फिर नामज़दगी को निर्वाचन में बदल सकता है । यह नियमों द्वारा किया जायेगा और नियम बदले जा सकते हैं । मैं उन सदस्यों की राय उस तरीके से स्वीकार करने को तैयार हूं जिस का मैं ने सुझाव दिया, जो खंड ६, उपखंड (२) का संशोधन कर के निर्वाचन की शक्ति चाहते थे ।

इस समय मुझे केवल यही कहना है ।

४ म० प०

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव पर दो संशोधन हैं । एक श्री केशवैयंगार का है । क्या वह चाहते हैं कि इसे सभा के समक्ष रखा जाय ?

श्री केशवयंगार : मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन, अनुमति से, वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : दूसरा संशोधन एम० एस० गुरुपादस्वामी का है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं चाहता हूं कि उसे सभा के समक्ष रखा जाय ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कॉफ़ी विक्रय विस्तार अधिनियम, १९४२, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से ४ तक

सभापति महोदय : इन खण्डों पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"खण्ड २ से ४ तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से ४ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खण्ड ५ (१९४२ के अधिनियम ७ धारा ३ का संशोधन)

श्री केशवैयंगार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ २, पंक्ति १९ और २० में,

"the first day of August and ending with the thirty first day of July next following"

["पहली अगस्त तथा उस से अगले वर्ष की ३१ जुलाई को समाप्त होने वाले"] के स्थान पर

"the first day of April and ending with the thirty first day of March next following"

["पहली अप्रैल और उस से अगले वर्ष की ३१ मार्च को समाप्त होने वाले"] रख दिया जाय ।"

मैं इस संशोधन का प्रस्ताव काफी बोर्ड के वित्तीय वर्ष और सरकार के वित्तीय वर्ष में एकरूपता लाने के विचारसे करता हूं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम विभिन्न फसलों के लिये विभिन्न वर्ष काम में लाते हैं । उदाहरणार्थ जूट के लिए यह वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक होता है । रूई के लिये इस वर्ष का समय दूसरा ह अतः विशेष फसल के अनुसार हमें अपना व निश्चित करना पड़ता है । मेरा विचार है कि इस मामले में किसी प्रकार की अनुरूपता लाने से संभवतः आंकड़ों में बड़ी कठिनाई होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उस पर जोर नहीं दे रहे हैं ।

श्री केशवैयंगार : जी नहीं । मैं उस पर जोर नहीं दे रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि खण्ड ५ पर अब कोई संशोधन नहीं हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस बात में कोई आपत्ति है यदि वर्ष को परिवर्तित कर के अप्रैल से मार्च तक माना जाय ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसाकि मैं ने बताया, यह एक ऐसी बात है जो काफी की फसल की प्रवृत्ति पर अधिकतर निर्भर है । हमें किसी अन्य वर्ष की अपेक्षा फसल के वर्ष को मानना पड़ता है । फसल धीरे धीरे तैयार होती है तब नयी फसल का मामला उठता है । हम उसी समय वर्ष समाप्त कर देते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं समझता था कि फसल की दशा मार्च या अप्रैल तक ठीक ठीक मालूम हो जाती है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि फसल का तैयार होना दिसम्बर में प्रारम्भ होता है । हम सितम्बर से अनुमान लगाना प्रारम्भ कर देते हैं । जनवरी, फरवरी

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

और मार्च में काम बहुत बढ़ जाता है। अप्रैल में, फसल का वह काम समाप्त होने लग जाता है। हमें कोई ऐसा वर्ष तय करना है जो मुख्य फसल-ऋतु के बीच में हो, न कि अन्त में।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ६ (१९४२ के अधिनियम ७, धारा ४ का संशोधन)

उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कुछ संशोधन पेश किये हैं। वह, उन सब का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३ में, पंक्ति १४ के बाद यह जोड़ा जाय :

"(xiv) Three members of parliament of whom two shall be elected by the House of the people and one by the Council of States"

["(४) संसद् के तीन सदस्य जिन में से दो लोक-सभा और एक राज्य-सभा द्वारा चुने जायेंगे"]

(२) पृष्ठ २, पंक्ति ४० और ४१ में "to be nominated by the Chief Commissioner of Coorg" ["कुर्ग के मुख्यायुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा"] शब्द हटा दिये जायें।

(३) पृष्ठ २, पंक्ति ४३ और ४४ में "to be nominated by the Government of Mysore" ["मैसूर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा"] शब्द हटा दिये जायें।

(४) पृष्ठ ३, पंक्ति २ और ३ में "to be nominated" by the Government of Madras" ["मद्रास सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाये"] शब्द हटा दिये जायें।

(५) पृष्ठ ३ में—(१) पंक्ति १४ के बाद " (2A) The Persons to represent the interest referred to in clause (vi) (vii) (viii) of sub-section(2) shall be elected or nominated as may be prescribed"

["(२क) उपधारा (२) के खण्ड (६), (७) और (८) में निर्दिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को, या तो चुना जायेगा या नामनिर्देशित किया जायेगा जैसा कि परिनियत किया जाये"] यह वाक्य रखा जावे।

(२) पंक्ति १५ में "2A" ["२क"] शब्द के स्थान पर " २B"["२ख"] रखा जावे।

उपाध्यक्ष महोदय : हम किस प्रक्रिया को काम में लायेंगे ? क्या मैं सभी संशोधनों के प्रस्तुत हो जाने की अनुमति दूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि इसे निपटाया जाये तो शायद अन्य संशोधनों की आवश्यकता नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इन संशोधनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं व्याख्या कर चुका हूं कि इस सभा में प्रकट की गई इच्छाओं के समर्थन में, हम सहमत

हो गये हैं कि चुनाव के लिये नियम परिनियत कर दिये जायें, हां केवल ऐसे लोगों की नियुक्ति को जो चुने जाने लायक न हों अर्थात् थोड़ा उत्पादन करने वाले हों छोड़ा जाये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नियमों में स्पष्ट रूप से बता दिया जाय कि चुने जाने वालों और नामनिर्देशित होने वालों की संख्या क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन रखे गये।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मुझे इस से कोई मतलब नहीं कि सदस्य चुने जाते हैं या नामनिर्देशित किये जाते हैं। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सरकार इस अधिकार को अपने हाथ में लेना चाहती है। मैं माननीय मंत्री के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि क्या उन्हों ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव होगा या सरकार उन को नामनिर्देशित करेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाये गये इस प्रकार के नियमों पर आपत्ति की जा चुकी है। बोर्ड के संविधान को देखने से हमें पता लगता है कि नियमों के बन जाने से पूर्व सरकार को यह निश्चय कर लेना चाहिये कि प्रतिनिधियों का चुनाव होगा या उन को नामनिर्देशित किया जायेगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं अधीनस्थ विधान समिति का प्रतिवेदन देख चुका हूं और मैं श्री पाटस्कर से सहमत हूं कि विशेष रूप से बुरे लगने वाले नियम बदल दिये जायें। यह बात हमारे दिमाग में उस समय थी जब हम ने इस संशोधन का प्रारूप तैयार किया था। मतलब यह है कि नियम स्पष्ट होना चाहिये। मान लीजिये आप को चार व्यक्ति लेने हैं--मेरे माननीय मित्र इसे निश्चित बात न मान बैठें--तो दो व्यक्ति ५० एकड़ से अधिक भूमि में उत्पादन करने वालों द्वारा चुने जायेंगे और दो व्यक्ति ५० एकड़ से कम में उत्पादन करने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाली सन्थाओं द्वारा भेजे गये नामों में से नामनिर्देशित होंगे। या प्रारम्भ में हम ऐसा करें और कुछ समय उपरान्त जब बागों के छोटे स्वामी इकट्ठे हों, तो वह अपने में से किसी को चुन सकते हैं। जहां तक अधिक उत्पादकों का सम्बन्ध है, उन के चुनाव में कोई कठिनाई नहीं होती या तो हम सन्थाओं को अलग अलग प्रतिनिधित्व दे सकते हैं या हम सभी सन्थाओं को इकट्ठा कर सकते हैं। इस प्रकार का मताधिकार प्राप्त करना सरल है। कठिनाई तो छोटे उत्पादकों के सम्बन्ध में पैदा होती है ; उस पर हमें विचार करना है। हो सकता है कि प्रारम्भ में हम लोगों को नामनिर्देशित कर दें और बाद में हम नियमों का संशोधन कर दें। मेरे मित्र श्री केशवैयंगार ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें चाहिये कि हम इस मामले को बिल्कुल स्पष्ट कर दें; चाहे उन का अनुपात दो और दो हो या तीन और एक। यदि हम देखें कि कुछ छोटे उत्पादकों की कोई सन्था है तो हम उनसे एक व्यक्ति को चुनने के लिये कह सकते हैं और एक और व्यक्ति का उपबन्ध कर सकते हैं। मैं श्री पाटस्कर को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नियम बिल्कुल स्पष्ट और विशिष्ट होंगे।

श्री दामोदर मेनन : नामनिर्देशन शब्द से माननीय मंत्री का क्या मतलब है ; राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नियमों में इस का उपबन्ध किया जायेगा। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उस के लिये किसी व्यक्ति को ढूंढना कठिन है। यदि हम नामनिर्देशन की प्रक्रिया निश्चित करते हैं ; तो भी वह जिस को चाहें उस नामनिर्देशित नहीं कर सकते।

श्री दामोदर मेनन : क्या नामनिर्देशित करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नियमों में इस का वर्णन किया जायेगा और हम संबंधित लोगों से परामर्श अवश्य लेंगे ।

श्री ए० एम० थामस : किस उपबन्ध के अनुसार सरकार चुनने या नामनिर्देशित करने या चुनाव या नामनिर्देशित का अधिकार संभालने के लिये बाध्य है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं बताता हूं कि उन में से आधे तो चुने ही जायेंगे । हो सकता है सभी लोग चुने हुए हों ।

श्री ए० एम० थामस : अतः मैं सुझाव रखता हूं कि "नियम के उपबन्ध के अनुपात में चुने या नामनिर्देशित किये गये" शब्द जोड़ दिये जायें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : "परिनियत" का अर्थ होता है "नियम के उपबन्ध के अनुसार" ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : कुछ बात विश्वास पर भी छोड़ दीजिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : एक बार नियम बन जाने के बाद उन में परिवर्तन करना कठिन होगा । मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का यही विचार है । मैं नहीं समझता कि हम यहां पर कुछ वचन देने के बाद उस से डिग जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या २३, और १ से ४, जो खण्ड ६ के सम्बन्ध में माननीय मंत्री द्वारा रखे गये हैं प्रस्तुत करूंगा ।

श्री केशवैयंगार : मैं ने संशोधन संख्या २३ पर एक संशोधन पेश किया है । उस का अभिप्राय काफ़ी का उत्पादन करने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व देना है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि इस सभा के माननीय सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता तो नामनिर्देशन का कुछ अधिकार भी है ; और हम उस के लिये कुछ कर भी सकते हैं । पर एक बात और है जिस पर विचार करना है । हमें इस विधेयक को राज्य-सभा में भी भेजना है । विचार यह है कि संसद् के तीन सदस्यों में से दो इस सभा और एक राज्य सभा से चुने जायेंगे । यदि इस अनुपात को परिवर्तित किया जाये तो यह विधेयक राज्य सभा से पारित नहीं हो पायेगा ।

श्री नम्बियार : मैंने खंड ६ पर चार संशोधन पेश किये हैं । मुझे उन का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाय ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २ में, पंक्ति २८ और २९ के स्थान पर "(i) a Chairman to be elected by the members of the Board" ["एक सभापति जो बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुना जाय"] वापस रख दिया जाय ।

इस के पश्चात् श्री नम्बियार ने संशोधन संख्या ३७, ४० और ४४ का प्रस्ताव किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३ में, पंक्ति १४ के बाद यह जोड़ा जाय :

"(xiv) three members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People

and one by the Council of States" ["संसद् के तीन सदस्य जिन में से दो लोक-सभा और एक राज्य सभा से चुने जायेंगे"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति ४० और ४१ में, "to be nominated by the chief Commissioner of Coorg" ["कुर्ग के मुख्यायुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा"] शब्द हटा दिये जायं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति ४३ और ४४ में, "to be nominated by the Government of Mysore" ["मैसूर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाये"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति २ और ३ में "to be nominated by the Government of Madras" ["मद्रास सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाये"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३ में,

(१) पंक्ति १४ के बाद "(2A) The persons to represent the interests referred to in clauses (vi), (vii) and (viii) of Sub-Section (२) shall be elected or nominated as may be prescribed" ["(२क) उपधारा (२) के खण्ड (६), (७) और (८) में निर्दिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को या तो चुना जायेगा या नामनिर्देशित किया जायेगा जैसा कि परिनियत किया जाये" [यह वाक्य रखा जाये ।

(२) पंक्ति १५ में,

"(2A)" ["२क"] शब्द के स्थान पर "(2B)" ["(२ख)"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि श्री नम्बियार द्वारा प्रस्तुत किये गये कौन कौन से संशोधन इस संशोधन द्वारा अवरुद्ध हो गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् संशोधन संख्या ३४ को छोड़ कर शेष सभी अवरुद्ध हो गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः संशोधन संख्या ३७, ४० और ४४ अवरुद्ध हो गये ।

श्री वी० पी० नायर : मैं संशोधन संख्या ३४ पर बोलना चाहता हूं । सरकार ने सभापति को चुनने के बजाय उसे नामनिर्देशित करने का जो विचार किया है वह बहुत खतरनाक कदम है । सभापति को काफी बोर्ड की बैठकों का प्रधान बनना पड़ेगा और बोर्ड में जिन हितों के प्रतिनिधि हैं उन में सन्तुलन स्थापित करना पड़ेगा ।

इस के पश्चात्, जब आप कोई सभापति नियुक्त कर चुके हों, तो आप देखेंगे कि काफ़ी बोर्ड की नीति, टेलीफोन पर वाणिज्य मंत्रालय के किसी कक्ष से बताई जाया करेगी । यद्यपि सरकार का कहना है कि वे नामनिर्देशन करेंगे, फिर भी हम ने देखा है कि नामनिर्देशन प्रायः ऊलजलूल ढंग से किया गया है । परन्तु काफ़ी बोर्ड में प्रतिद्वन्दी हित रखने वाले विभिन्न व्यक्ति हैं उन का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है । और ऐसी स्थिति में जबकि आप सभापति पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो वाणिज्य मंत्री के विचारानुकूल हो, तो

[श्री वी० पी० नायर]

सरकार का दृष्टिकोण सदैव ही सुरक्षित रहेगा ; और दूसरी ओर सभापति उस ढंग से सन्तुलन न रख सकेगा जिस की विभिन्न हितों के व्यक्तियों को आवश्यकता होगी । मैं कहता हूं कि यही एक ऐसा बोर्ड नहीं है जिस में सरकार इस प्रकार से कदम उठाना चाहती है । एक रबर बोर्ड भी है —जोकि निकट भविष्य में स्थापित होगा । वहां भी एक विशिष्ट परिवर्तन किया गया है । इस मामले के पीछे कहानी है । इस के बारे में और इस सम्बन्ध में कि सरकार इस स्थिति में निर्वाचित सभापति के स्थान पर नियुक्त सभापति रखना क्यों आवश्यक समझती है, मैं कल कहूंगा । परन्तु यह बहुत ही स्पष्ट है । कम से कम जहां तक विनियमनकारी कार्यों का, जैसे सभापति जो बोर्ड की बैठकों में सभापतित्व करते हैं, सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है, सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति सरकारी प्रभाव से मुक्त नहीं होगा । इस के अतिरिक्त उस व्यक्ति को सरकार का दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से इस बोर्ड पर थोपना पड़ेगा । इसी कारण हम सभापति की नियुक्ति सरकार द्वारा किये जाने पर आपत्ति करते हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं जो पहले कह चुका हूं, उस से अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ८ । श्री बोगावत तथा डा० राम सुभग सिंह में से कोई भी यहां नहीं है । खण्ड ९ में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ८ तथा ९, विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ तथा ९ विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड १० से १७ तक

उपाध्यक्ष महोदय : कोई माननीय सदस्य कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा है । मैं इन सब खण्डों को प्रस्तुत करूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० से खण्ड १७ तक विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १० से १७ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १८—(१९४२ के अधिनियम ७ की धारा ३१ के स्थान पर नई धारा की आदिष्टि)

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे दो संशोधन हैं । मैं प्रस्ताव करता हूं :—

(१) पृष्ठ ६ पर पंक्ति १६ के पश्चात् यह वाक्यांश जोड़ा जाये :

"(e) to meet the expenses for securing better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for working,"

["काम करने की उत्तम स्थितियां, प्राप्त करने, सुविधाओं का उपबन्ध तथा उनमें सुधार करने, के तथा मजदूरों को

प्रोत्साहन देने के व्यय को पूरा करने के लिये"]

(२) पृष्ठ ६ पर--

(१) पंक्ति ८ में " and " ("और") को हटा दिया जाय ; और

(२) पंक्ति १६ में, अन्त में "and" ("और") जोड़ा जाय ।

श्री एन० सोमना : क्या मैं एक त्रुटि का संकेत कर सकता हूं ? संशोधन कहता है कि पंक्ति १६ के अन्त में 'और' जोड़ा जाय । मेरा विचार है कि वहां पर पंक्ति १२ होना चाहिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वहां 'और' शब्द है । मेरा ख्याल है कि यहां यह अशुद्ध टाइप हुआ है । पंक्ति १६ में, यह समाप्त होता है । मैं समझता हूं कि यह पंक्ति १२ में होना चाहिये । शब्द 'और' उप-खण्ड २(ख) में से निकाला जाता है । नहीं, नहीं यह ठीक है । यह ज्यों का त्यों होना चाहिये । क्योंकि अन्य खण्ड (ङ) बाद में आता है । यह संशोधन शुद्ध है । खण्ड (ङ) प्रस्तुत किया जा चुका है । वह संशोधन संख्या २४ है । यह 'और' खण्ड (घ) में जोड़ा जाना चाहिये । यह ठीक है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दोनों उपरोक्त संशोधन प्रस्तुत हुये तथा स्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"खण्ड १८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १८ संशोधित रूप में , विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १९ तथा २०

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड १९ पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"खण्ड १९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : नया खण्ड २०-क ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह हो चुका है ।

खण्ड २१--(१९४२ के अधिनियम ७, धारा ४८ का संशोधन)

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे दो संशोधन हैं । एक औपचारिक है और दूसरा आनुषंगिक है । मैं प्रस्ताव करता हूं :--

(१) पृष्ठ ७, पंक्ति ७ में "nomination" ("नाम-दशननि") के स्थान पर "nomination" or election ("नाम निर्देशन या निर्वाचन") शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ ८, पंक्ति ८ में, "in the Indian market" ["भारतीय बाज़ार में"] शब्दों को हटाया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दोनों प्रस्ताव प्रस्तुत हुये तथा स्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है --

"खण्ड २१ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २१ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १ विधेयक का नाम तथा अधि-नियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

उपाध्य महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री दामोदर मेनन : चर्चा का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री उस बात का, जो मैंने नियुक्त किये गये सभापति के लिये अधिक अधिकार प्राप्त करने के बारे में कही थी, उल्लेख किया गया था । मैं ने कहा था, मेरा ख्याल है जब नियुक्त किया गया सभापति काफ़ी बोर्ड का प्रमुख अधिकारी बन जाता है तो डर यह पैदा होता है कि सरकार नियुक्त किये सभापति को, व्यवहारिक रूप में, अपने स्वच्छन्द अधिकार भी दे दे । हो सकता है कि वाणिज्य मंत्रालय इस नियुक्त किये गये सभापति को अपने निदेशानुसार कार्यवाही करने को कहे । उसमें सदैव यह भय है । मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि सरकार उन मामलों में जहां बोर्ड तथा सभापति के मत में विभिन्नता हो, स्वयं विचार करेगी और स्वतंत्र निर्णय देगी । बोर्ड में उत्पादकों के प्रतिनिधियों में परिवर्तन के बारे में मंत्री महोदय ने जो छूट दी है, उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं । आशा करता हूं कि मंत्री महोदय निर्वाचित सभापति के सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : बोर्ड में निर्वाचन द्वारा तीन संसत्सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा और उत्पन्न होने वाली अनर्हता अधिनियम द्वारा हटा दी गई है । परन्तु मेरे मस्तिष्क में एक विचार आता है कि अधिनियम में निर्वाचन कर उपबन्ध होने के कारण राज्य विधान-मण्डलों के निर्वाचित सदस्य भी आ सकते हैं । अतः उन के लिये कोई उपबन्ध होना चाहिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा ख्याल है कि जिस सम्बन्ध में श्री सामन्त ने प्रश्न उठाया है, उन्हें उस बारे में विदित होना चाहिये कि हम संसत्सदस्यों की अनर्हतायें दूर कर सकते हैं । हम विधान-मण्डलों के सदस्यों की अनर्हतायें दूर नहीं कर सकते । वह उपयुक्त विधान-मण्डल में होना चाहियें । अतः हम यहां, किसी भी अधिनियम में जो हम यहां अधिनियमित करते हैं ; कोई उपबन्ध नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि सदस्यों की अनर्हताओं के बारे में प्रत्येक विधान-मण्डल को अपने नियम बनाने चाहियें, और हम इस प्रकार कुछ नहीं कर सकते ।

श्री दामोदर मेनन ने जो कहा है उस के बारे में, मैं सदैव ही छोटी छोटी कृपाओं के लिये कृतज्ञ हूं । मुझे प्रसन्नता है कि मैं ने जो किया है उसे उन्हों ने स्वीकार किया है ।

श्री केशवैयंगार : क्या मैं कुछ कह सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, मैं नियम को कुछ ढीला करूंगा । माननीय सदस्य बोल सकते हैं ।

श्री केशवैयंगार : विधेयक की इस अन्तिम स्थिति में क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूं कि अधिकार प्राप्त करना एक बात है और उस का सदुपयोग करना और बात । माननीय सदस्यों के सन्देह इस सम्भावना पर आधारित हैं कि इस विधेयक में जिन अधिकारों को प्राप्त किया गया है उन का दुरुपयोग होगा । अब बोर्ड के प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति करने में सरकार को पर्याप्त स्वेच्छा का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है और प्रत्येक बात बोर्ड के सदस्यों पर निर्भर है । परन्तु यह इस प्रकार केवल सरकार

के हाथ की कठपुतली बनेगा । मंत्री महोदय से मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि सभापति नियुक्त करने का प्रश्न केवल अल्प काल के लिये प्रयोगात्मक रूप में अपनाया जायेगा और शीघ्र ही हम निर्वाचन द्वारा नियुक्ति की पद्धति अंगीकार कर लेंगे ।

श्री एन० एम० लिंगम् : सभा तथा काफ़ी उद्योग से मेरा यह निवेदन है कि हम अब इस उद्योग के विकास तथा विस्तार में एक नया अध्याय आरम्भ करेंगे । वास्तव में, हितों और उद्देश्यों का एक साथ मिलना महत्वपूर्ण होता है । और हम अब उद्योग के विकास के एक नये क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं । इस में हमें अनिवार्य रूप से विभिन्न हित वालों, अर्थात उत्पादक, उपभोक्ता और मज़दूर के लिये बीच का रास्ता निकालना होगा । मुझे पूर्ण आशा है कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप हम सन्तुष्ट और प्रसन्न होंगे ।

श्री एन० राचय्या : काफ़ी बोर्ड जैसे समस्त बोतो में काम करने के लोकतन्त्रात्मक ढंग को प्रारम्भ करने के बारे में, मेरा यह मत है कि निर्वाचक-गण में सारे मज़दूरों के साथ उत्पादक को भी मिलाया जाय ताकि अपने आप में से किसी को सभापति नियुक्त करें । यदि उस प्रकार का वह लोकतंत्रात्मक ढंग चाहते हैं तो मैं उस का स्वागत करता हूं । यदि वे केवल सभापति की नियुक्ति के लिये इस लोकतंत्रात्मक ढंग को चाहते हैं तो हम इस नहीं चाहते । क्योंकि लोकतंत्रात्मक प्रणाली में धनी व निर्धन प्रत्येक को एक मत देने का अधिकार होता है, और यदि इस रूप में लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया जाता है, तो सदैव ही मान्य है ।

मैं इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं कि उत्पादकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये । मैं इसके लिये मना नहीं करता । परन्तु यह संरक्षण उपयुक्त प्रकार से होना चाहिये । इन विचारों के साथ मैं विधेयक के पारित होने का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री को कुछ कहना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उस के लिये उन्हें धन्यवाद देने के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी दस मिनट शेष हैं । खैर, अन्य कार्य हम कल ही आरंभ करेंगे ।

इस के पश्चात् लोक-सभा, बुधवार, २४, नवम्बर १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—500 LSD—5-5-55—24C